खण्ड-452, अंक-9
मंगलवार, 10 फाल्गुन, शक संवत् 1926
(1 मार्च, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	
नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं को सुने जाने की मांग ----	1-2
प्रश्नोत्तर ----	2-47
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं ----	48
जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	48
जनपद आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	49
गौतमबुद्ध नगर में ओखला हेड वर्क्स से सिंचाई विभाग द्वारा सोसायटी से खाली करायी गई भूमि का निस्तारण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	49
जिला पंचायत राज अधिकारी विहीन जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारियों की तैनाती करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	49-50
जनपद महाराजगंज में रोहित नदी पर बने त्रिमुहानी पुल के सेतु कर को समाप्त करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	50
जिला चिकित्सालय सीतापुर में वातानुकूलित बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	50-51
जनपद अम्बेडकरनगर में तिलहारा घाट पर निजआ नाले पर अधूरे पुल के निर्माण को पूरा करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	51
इलाहाबाद के दिवंगत जिला समाज कल्याण अधिकारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ----	51
जनपद खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत सुतिया नाले पर बांध का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ----	52
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ----	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
मंत्रि परिषद को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ----	52-53
दिनांक 25 फरवरी, 2005 को सदन में विश्वासमत प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व नेता प्रतिपक्ष की सहमति न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न ----	53-62
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2003-2004) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ----	63
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2003-2004) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ----	63
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2003-2004) का सैंतिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ----	63
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ----	64-71
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ----	71-101
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्ययोजना बनायी जाय" विषयक दिनांक 9 नवम्बर, 2004 को डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव (प्रस्ताव वापस) ----	102-114
नियम-51 के अंतर्गत सूचनाएं ----	114-115
बोर्ड परीक्षा के स्वकेन्द्र निर्धारण विषयक दिनांक 25 फरवरी, 2004 को नियम-56 की सूचना पर दिये गये आश्वासन के संबंध में जानकारी ----	115-116
जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम छलेशबांगर, नोयडा के किसानों को जमीन का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्यमंत्री का वक्तव्य ----	116-117
पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित कृष्णा नदी में बांध बनाने की परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अवशेष बन्धों के बन्द पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ----	117-118
प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में कार्यरत तदर्थ चिकित्साधिकारियों को नियमित किये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा नियम-51 के	

विषय	पृष्ठ-संख्या
अंतर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य ----	118-120
लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों में स्वीकृत आवासीय मान-चित्रों के पश्चात् भी व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमप्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ----	120-121
जनपद फैजाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिल्कीपुर को चालू किये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य ----	121-122
जनपद लखीमपुर खीरी विकास खण्ड बिजुआ बांकेगंज, तहसील गोला के विभिन्न ग्रामों में हुयी ओलावृष्टि से फसल के नष्ट होने एवं सहायता न मिलने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य ----	123
जनपद सिद्धार्थ नगर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री जयप्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य ----	123-124
लखनऊ स्थित टिकैतराय सचिवालय कालोनी के आवासों में सिविल अनुरक्षण का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमुदयाल वाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य ----	125
जनपद संत कबीर नगर के ग्राम जोरवा पुल से होते हुए पंचपोखरी बाजार तक अधूरी सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ----	125-126
जनपद इलाहाबाद स्थित शंकरघाट कालोनी, तेलियर गंज के शवदाह गृह की चिमनी को ऊंचा कराने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन ----	126
जनपद सोनभद्र के ग्राम पड़रक्ष में वन अधिनियम की धारा-4 की कार्यवाही रोक कर पट्टे के नवीनीकरण में अनापत्ति जारी न किये जाने के सबन्ध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर केवल वक्तव्य का स्थगन ----	126

विषय	पृष्ठ-संख्या
कानपुर इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाये जाने विषयक दिनांक 17 फरवरी, 2005 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-9 नत्थी "क" के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)---	126-127
प्रदेश में वर्ष 2004-2005 में किसानों को सूखे से हुयी क्षति तथा सूखा राहत देने हेतु मानक बनाये जाने विषयक दिनांक 17 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न संख्या-9 नत्थी "ख" के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन ----	127

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 1 मार्च, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

उपस्थित सदस्य - 346

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद	25-अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
2-अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच	26-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
3-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	27-अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
4-अजय कुमार, डा0	बागपत	28-अरविन्द कुमार सिंह	
5-अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद	उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
6-अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर	29-अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
7-अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा	30-अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
8-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	31-अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
9-अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	32-अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
10-अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई	33-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
11-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा	34-अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
12-अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	35-अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
13-अनीस अहमद खां		36-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
उर्फ फूल बाबू, श्री	पीलीभीत	37-आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
14-अनुग्रह नारायण		38-आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया	39-आलम बदी, श्री	आजमगढ़
15-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती	40-आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
16-अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद	41-आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
17-अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर	42-आशीष यादव, श्री	बदायूं
18-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई	43-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
19-अब्बास अली जैदी		44-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी	45-इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
20-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर	46-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
21-अमरमणि, श्री	महाराजगंज	47-इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
22-अमर सिंह यादव पुत्र		48-उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस	49-उदवभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
23-अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर	50-उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
24-अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया	51-उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

52-उमा शंकर कुशवाहा, श्री गाजीपुर
53-ओमकार सिंह यादव, श्री बदायूं
54-ओम प्रकाश, श्री सीतापुर
55-ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री सुल्तानपुर
56-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
57-ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
58-ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
59-कपिल देव यादव, श्री मऊ
60-कमलेश कुमार, श्री गोरखपुर
61-कमलेश कुमार पाठक, श्री कानपुर देहात
62-कमाल यूसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
63-कल्यान सिंह दोहरे, श्री कन्नौज
64-कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
65-कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
66-काशीराम, श्री रामपुर
67-किरण पाल कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
68-किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
69-किशन लाल बघेल, सेठ आगरा
70-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री बिजनौर
71-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
72-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
73-कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
74-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
75-कैलाश, श्री गाजीपुर
76-कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
77-कोविद कुमार, श्री शाहजहांपुर
78-कौकब हमीद खां, श्री बागपत
79-कौशल किशोर, श्री खीरी
80-कौशल किशोर, श्री लखनऊ
81-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री आगरा
82-गंगा बक्श सिंह, डा0 उन्नाव
83-गया चरन दिनकर, श्री बांदा
84-गीता सिंह, श्रीमती बलरामपुर
85-गुलाब देवी, श्रीमती मुरादाबाद
86-घूरा राम, श्री बलिया
87-चन्द्र किशोर, श्री महाराजगंज
88-चन्द्रदेव राम यादव, श्री आजमगढ़
89-चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
90-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री श्रावस्ती
91-चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
92-छेदी राम, श्री गाजीपुर
93-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
94-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
95-जंग बहादुर, श्री सुल्तानपुर
96-जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
97-जगदीश नारायण (राय), श्री जौनपुर
98-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री कुशीनगर
99-जगदीश सिंह राणा, श्री सहारनपुर
100-जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
101-जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
102-जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
103-जटाशंकर सिंह, श्री बहराइच
104-जय प्रकाश यादव, श्री गोरखपुर
105-जयप्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
106-जयराम विमल, श्री अम्बेडकरनगर
107-जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
108-जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
109-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री गोरखपुर
110-जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
111-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
112-डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री चित्रकूट
113-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
114-दयाराम, श्री कौशाम्बी
115-दया शंकर वर्मा, श्री जालौन
116-दिनेश सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
118-दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
119-दीनानाथ भाष्कर, श्री सन्त रविदास नगर, भदोही
120-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
121-देवकी नन्दन, श्री हाथरस
122-देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री गोरखपुर
123-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली

124-द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
125-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
126-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
127-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
128-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
129-नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
130-नन्दिता शुक्ला, श्रीमती — गोण्डा
131-नरेन्द्र कुमार, श्री — गोतमबुद्ध नगर
132-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
133-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
134-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
135-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
136-नवाब सिंह नागर, श्री — गोतमबुद्ध नगर
137-नारद राय, श्री — बलिया
138-परमजीत, श्री — मुजफ्फरनगर
139-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
140-पी0 के0 राय, डा0 — कुशीनगर
141-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
142-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
143-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
144-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
145-प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
146-प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
147-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ
148-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ
149-प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
150-प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
151-प्रेमलता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
152-प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
153-फतेह बहादुर, श्री — महाराजगंज
154-फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला) — देवरिया
155-बंशीधर राज, श्री — खीरी
156-बलराम यादव, श्री — आजमगढ
157-बाबूराम, एम0काम0, श्री — जालौन
158-बाबू लाल, श्री — गोण्डा
159-बाबू लाल, चौधरी — आगरा
160-बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
161-बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
162-बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
163-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री — झांसी
164-बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
165-बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
166-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
167-भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
168-भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
169-भरत सिंह, श्री — बलिया
170-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
171-भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
172-मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
173-मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
174-मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
175-मदन भैया, श्री — बागपत
176-मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
177-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
178-मलिक मसूद, श्री — आजमगढ
179-मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
180-मस्तराम चौ0, एडवोकेट — उन्नाव
181-महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
182-महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री — सीतापुर
183-महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी — अलीगढ
184-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा
185-महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर देहात
186-महेश नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
187-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
188-मान पाल सिंह, श्री — एटा
189-माया प्रसाद, श्रीमती — खीरी
190-मिथिलेश कुमार, श्री — शाहजहांपुर
191-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री — बहराइच
192-मुकुल उपाध्याय, श्री — अलीगढ
193-मुलायम सिंह यादव, श्री — बदायूं
194-मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
195-मुश्ताक सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
196-मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर — बिजनौर

197-मोख्तार अंसारी, श्री — मऊ
198-मोहन देव शंखवार, श्री — फिरोजाबाद
199-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री — मुरादाबाद
200-मोहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
201-मोहम्मद इरशाद खां, श्री — लखनऊ
202-मौहम्मद बशीर, चौधरी — आगरा
203-मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री — इलाहाबाद
204-मोहम्मद रिजवान, श्री — मुरादाबाद
205-मोहम्मद शफीर, श्री — फतेहपुर
206-यशपाल चौधरी, श्री — खीरी
207-यशवन्त सिंह, डा0 — मुजफ्फरनगर
208-याकूब, हाजी — मेरठ
209-योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
210-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री — गोण्डा
211-रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री — प्रतापगढ़
212-रणवीर रमा, श्री — मेरठ
213-रतन लाल अहिरवार, श्री — झांसी
214-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री — कुशीनगर
215-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 — मिर्जापुर
216-रविन्द्र मुण्डीर, प्रो0 — मेरठ
217-राकेश कुमार वर्मा, श्री — बाराबंकी
218-राकेश पाण्डेय, श्री — अम्बेडकरनगर
219-राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
220-राज किशोर सिंह, श्री — बस्ती
221-राजनाथ यादव, श्री — वाराणसी
222-राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
223-राजपाल सिंह बालियान, श्री — मुजफ्फरनगर
224-राजपाल सिंह सैनी, श्री — मुजफ्फरनगर
225-राजरानी रावत, श्रीमती — बाराबंकी
226-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती — बाराबंकी
227-राजा राम, श्री — प्रतापगढ़
228-राजीव कुमार सिंह, श्री — बाराबंकी
229-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री — प्रतापगढ़
230-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री — लखनऊ
231-राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री — एटा
232-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
233-राजेश अग्रवाल, श्री — बरेली
234-राजेश कुमार, श्री — खीरी
235-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 — गोरखपुर
236-राधेश्याम सिंह, श्री — कुशीनगर
237-राम इकबाल सिंह, श्री — बलिया
238-राम करन आर्य, श्री — बस्ती
239-राम किशुन, श्री — वाराणसी
240-राम कृष्ण, श्री — सीतापुर
241-राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
242-राम चन्द्र यादव, श्री — फैजाबाद
243-रामजी शुक्ला, श्री — औरैया
244-रामपाल यादव, श्री — सीतापुर
245-राम पाल वर्मा, श्री — हरदोई
246-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री — कन्नौज
247-राम प्रताप सिंह, श्री — गोण्डा
248-राम प्रसाद चौधरी, श्री — बस्ती
249-रामबाबू हरित, डा0 — आगरा
250-राम बिशुन आजाद, श्री — गोण्डा
251-राम भुआल निषाद, श्री — गोरखपुर
252-राम मगन, श्री — बाराबंकी
253-राम लाल अकेला, श्री — रायबरेली
254-रामवीर उपाध्याय, श्री — हाथरस
255-रामवीर सिंह, श्री — फिरोजाबाद
256-राम सेवक, श्री — सुल्तानपुर
257-राम स्वरूप सिंह, श्री — बिजनौर
258-रामहेत, श्री — सीतापुर
259-रामेश्वर सिंह यादव, श्री — एटा
260-रिजवान अहमद खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
261-रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
262-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 — मेरठ
263-लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
264-लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
265-लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकर नगर
266-लाल बहादुर यादव, श्री — जौनपुर

267-लुईस खुर्शीद, श्रीमती — फर्रुखाबाद
268-वसीम अहमद, श्री — आजमगढ़
269-विजमा यादव, श्रीमती — इलाहाबाद
270-विजय कुमार मिश्रा, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
271-विजय बहादुर पाल, श्री — कन्नौज
272-विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
273-विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
274-विद्या सागर गुप्ता, श्री — लखनऊ
275-विनय शाक्य, श्री — औरैया
276-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री — गोण्डा
277-विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री — इटावा
278-विनोद कुमार सिंह, श्री — जौनपुर
279-विनोद तिवारी, डा0 — पीलीभीत
280-विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
281-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
282-विश्राम सिंह यादव, श्री — हरदोई
283-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना" — शाहजहांपुर
284-वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री — बरेली
285-वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा" — ललितपुर
286-वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
287-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
288-शब्बीर, श्री — बहराइच
289-शमीमुल हक, श्री — मुरादाबाद
290-शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
291-शहजिल इस्लाम, श्री — बरेली
292-शाकिर अली, श्री — देवरिया
293-शारदा देवी, श्रीमती — गोरखपुर
294-शारदा नन्द अंचल, श्री — बलिया
295-शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
296-शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
297-शिव कुमार बेरिया, श्री — कानपुर देहात
298-शिव चरन प्रजापति, श्री — हमीरपुर
299-शिव तपस्या पासवान, श्री — चन्दौली
300-शिव पाल सिंह यादव, श्री — इटावा
301-शिव प्रताप यादव, डा0 — बलरामपुर
302-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर — प्रतापगढ़
303-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री — महाराजगंज
304-शिशुपाल सिंह यादव, श्री — एटा
305-शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री — जौनपुर
306-श्याम सिंह अहेरिया, श्री — मथुरा
307-श्यामदेव राय चौधरी, श्री — वाराणसी
308-श्याम नारायन, श्री — महाराजगंज
309-श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
310-श्याम लाल रावत, श्री — सीतापुर
311-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
312-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
313-श्रद्धा यादव, श्रीमती — जौनपुर
314-श्रीराम भारती, श्री — मिर्जापुर
315-संजीव दरियाबादी, श्री — कानपुर नगर
316-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
317-सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
318-सन्ध्या कठेरिया, कु0 — मैनपुरी
319-समर पाल सिंह, श्री — बागपत
320-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0 — मुरादाबाद
321-सलिल विशनोई, श्री — कानपुर नगर
322-सिद्ध गोपाल साहू, श्री — महोबा
323-सियाराम सागर, डा0 — बरेली
324-सुखदेव राजभर, श्री — आजमगढ़
325-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती — इटावा
326-सुन्दर लाल, श्री — उन्नाव
327-सुन्दर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
328-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री — गाजियाबाद
329-सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 — बांदा
330-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — जौनपुर
331-सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री — रायबरेली
332-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री — वाराणसी
333-सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
334-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
335-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
336-सुशील चौधरी, डा0 — सहारनपुर

337-सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	343-हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
338-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	344-हीरालाल गौतम, श्री	आजमगढ़
339-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	345-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
340-हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद	346-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
341-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़		
342-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर		

नोट :--श्री मुन्ना सिंह चौहान, सिंचाई मंत्री, श्री बनवारी सिंह यादव, प्रोटोकाल, नागरिक उड्डयन एवं राज्य संपत्ति राज्य मंत्री, श्री राम आसरे विश्वकर्मा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री एवं श्री अजीत कुमार राजू, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को सुने जाने की मांग

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, लोधी जी ललितपुर को बस से जा रहे थे ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(श्री धर्मपाल सिंह एवं श्री मुंशीलाल गौतम सहित भाजपा के अनेक सदस्यों द्वारा अपनी अपनी बात कहने का प्रयास करने पर व्यवधान ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय धर्मपाल सिंह जी, प्रश्न प्रहर हो जाने दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, कई महत्वपूर्ण सूचनाओं का उल्लेख किया गया है, तो जब आप नियम 56 लें तो आप थोड़ा सा देख लें ताकि सबको मौका मिल जाय अपनी बात कहने का। माननीय धर्मपाल सिंह ने दिया है, गौतम जी का है, मैंने भी दिया है, डा0 वाजपेयी का है, राम इकबाल सिंह जी का है, तो नियम 56 में जब भी आप प्रकरण लें तो सबको अवसर मिल जाय ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी, अग्रिम पंक्ति के लोग जरा कम बोलें तो पिछली पंक्ति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल पायेगा । उनके मामले भी हैं । अभी नेता प्रतिपक्ष का भाषण होगा, मुख्यमंत्री जी यहां रहेंगे वह सबका भाषण सुनेंगे । जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने लिखकर दिया है उसको तो अनिवार्य रूप से सुना जाना है । अभी बजट पर आप सबको बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

आखिर एक दिन में कितने नियम 56 लेंगे ? कल रखिये ।

श्री मुन्नी लाल गौतम–

मान्यवर, मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने नियम 56 पढ़ लिया है , मैंने आपके नियम 56 को पढ़ लिया है, राम इकबाल सिंह जी का पढ़ लिया है, सबका पढ़ लिया है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आज सवाल भी कम हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जाने दें ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में ड्राप्सी के मामले से संबंधित सरसों के तेल में आर्जीमोन की जांच किये जाने की मांग

****1-डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री मुन्शी लाल गौतम तथा श्री राम नरेश यादव–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत दो वर्षों में प्रदेश में ड्राप्सी के कितने मामले प्रकाश में आये हैं ? सरसों के तेल मे आर्जीमोन की जांच करने के लिए क्या प्रदेश में कोई व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या ? क्या उक्त की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)–

विगत 02 वर्षों में प्रदेश में ड्राप्सी की कोई घटना प्रकाश में नहीं आयी है ।

जी हां ।

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में सरसों के तेल का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के अन्तर्गत आर्जीमोन की जांच करने की भी व्यवस्था है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय अध्यक्ष जी, ड्राप्सी जैसी बीमारी के प्रति यहां सदन के अन्दर भी यह उत्तर आया है। इस पर काफी गम्भीरता से नियम 56 में सूचना लगायी गयी थी और अब माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि विगत दो वर्षों में प्रदेश में ड्राप्सी की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई । मान्यवर, इतना गलत उत्तर देना प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है । लखनऊ के अन्दर कई घटनाएं हो गयीं, कई लोगों की मृत्यु हो गयी और कई लोग के0जी0एम0यू0 में भर्ती हैं । मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है ? आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न है कि आपने उत्तर दिया है कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में सरसों के तेल का विश्लेषण किया जाता है । विश्लेषण के अन्तर्गत आर्जीमोन की जांच करने की भी व्यवस्था है तो अभी तक कितनी जांचें की गयी हैं ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, यह बिल्कुल सही है कि विगत 2 वर्षों में जो ड्राप्सी का कारक है, आर्जीमोन है जिसकी मिलावट के कारण ड्राप्सी फैलती है वह तो जरूर खोज पाया है लेकिन यह सही है कि पिछले 2 वर्षों में ड्राप्सी का कोई केस प्रदेश में नहीं पाया गया है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सरकार यह कह रही है कि विगत दो वर्षों में ड्राप्सी का कोई मामला नहीं हुआ । मैं बताना चाहता हूं कि 5 लोग इससे मर गये और 125 लोग भर्ती हैं । मंत्री जी का उत्तर अद्यतन उत्तर है। तो फिर कैसे कोई मामला सामने नहीं आया ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें, मंत्री जी का उत्तर आने तो दें ।

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, करेन्ट ईयर की बात नहीं पूछी गयी है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सदन में आज प्रश्न हो रहा है, तो उत्तर आज की स्थिति का आना चाहिये । मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस साल ड्राप्सी के 103 केस 26 फरवरी तक प्रकाश में आये हैं । इनमें से 28 मरीज आज की तारीख में के0जी0एम0यू0 में भर्ती हैं । कुल 3 मरीजों की मृत्यु हुयी है, जिसमें से एक की संदिग्ध कारणों से हुयी है, जिसका विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। यह स्थिति आज की तारीख की है, लेकिन विगत 2 वर्षों में कोई मामला सामने नहीं आया । यह 103 केस केवल लखनऊ जनपद के हैं और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ड्राप्सी का कोई केस प्रकाश में अब तक नहीं आया है ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह बहुत गंभीर प्रकरण है । मंत्री जी ने जो बाद में बताया, वह उत्तर इन्हें पहले देना चाहिये था । इस साल ड्राप्सी से 5 मौतें हुयी हैं । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो मौतें हुयी हैं, इन लोगों ने किन दुकानों से तेल खरीदा था, जहां मिलावट का तेल था और क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही शासन स्तर से की गई है ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, कुल 28 नमूने अपमिश्रण के पाये गये, इनमें से 15 नमूने आर्जीमोन अपमिश्रण के पाये गये और उनके खिलाफ अभियोजन पंजीकृत कर मुकदमा पंजीकृत कर प्रभावी कार्यवाही हुयी है, कुछ लोग जेल भी गये हैं ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, में आपके माध्यम से दो बातें जानना चाहता हूं । यह जो जन विश्लेषक प्रयोगशाला है, उसमें एक वर्ष में सरसों के तेल के कितने टेस्ट किये जा सकते हैं और दूसरी बात जानना चाहता हूं कि इस वर्ष में कितने नमूने प्राप्त हुये और कितने समय के भीतर इनकी जांच हो जाना चाहिये और कितने नमूने व्यवस्था के अभाव में अभी लम्बित हैं ? आखिरी बात यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है, उनमें से कितने लोग गिरफ्तार होकर सींखचों के पीछे गये और कितने लोग गिरफ्तारी को शेष हैं ? जो जनता की अप्राकृतिक हत्या के जिम्मेदार हैं, उनमें से एक के विरुद्ध रासुका लगी है, बाकी अभी रासुका लगने के लिये किस दिन की प्रतीक्षा में हैं, इनके खिलाफ कब रासुका की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, कुल 546 नमूने जन विश्लेषक प्रयागशाला में प्राप्त हुये थे और जो समय सीमा है, परीक्षण कर रिपोर्ट देने की, उसके अनुसार 286 मामलों की कुछ घन्टों में जांच कर एक हफ्ते के अन्दर उनकी रिपोर्ट दे दी गयी है, जिनमें से 52 नमूने अपमिश्रण के पाये गये, 18 नमूने आर्जीमोन मिलावट के पाये गये और बाकी 35 नमूने रंग आदि मिलावट के पाये गये । मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतनी त्वरित कार्रवाई किसी सरकार ने ड्राप्सी के मामले में नहीं की है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मिलावट अब हो रही है और कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, इस सम्बन्ध में जो बैठक हुयी थी, आप उसमें भी रहे हैं और आप सारे तथ्यों से अच्छी तरह से अवगत हैं, फिर क्यों आप उन्हीं प्रश्नों को दोहरा रहे हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, यह सरसों का तेल जिन फैक्ट्रियों से बनाया गया है, क्या उस फैक्ट्री के मालिक पर भी रासुका की कार्रवाई होगी ? दूसरा प्रश्न यह कि इससे सम्बन्धित कितने अधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है ? यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ।

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, इसमें जो सैम्पलिंग कराई गई है, वह उत्पादन के स्रोत से लेकर फुटकर विक्रेता तक कराई गई है । इसके अतिरिक्त जिन घरों में ड्राप्सी के केसेज प्रकाश में आये थे, उन घरों के तेल का भी परीक्षण कराया गया है । इस मामले में अपमिश्रण अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिन क्षेत्रों में फूड इंस्पेक्टर की कमी महसूस हो रही थी, उन क्षेत्रों में सेनेटरी इंस्पेक्टरों को 24 तारीख को फूड इंस्पेक्टर के अधिकार दे दिये गये हैं, ताकि एक अभियान के तहत कार्रवाई चलायी जा सके । जहाँ-जहाँ इस प्रकार की शिकायते हैं, वहाँ पर कठोर कार्रवाई करने के लिए डी0एम0/कमिश्नर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कब निर्देश दिये गये और कितनी कार्रवाई हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विगत दो वर्षों में ड्राप्सी का कोई केस प्रकाश में नहीं आया तो मान्यवर, जब इससे पहले कोई केस ही सामने नहीं आया तो कार्रवाई क्या होती ? आप जो नमूना ले रहे हैं, जो जांच करा रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन मेरा कार्रवाई का आशय यह है कि जो खुलकर तेल बेच रहे हैं, उसमें भी मिलावट की गुंजाइश हो सकती है, कार्रवाई तो तब होती जब इस प्रकार के निर्देश दिये गये होते कि जब तक ड्राप्सी का प्रकोप जारी रहेगा तब तक खुला हुआ तेल नहीं बिकेगा बल्कि डिब्बा बन्द तेल बिकेगा । मान्यवर, जब खुलकर तेल बिक रहा है तो ड्राप्सी तो होगा ही ।

***संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)–**

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें नेता विरोधी दल भी थे और बाजपेयी जी, जो इस वक्त सवालात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने एक भी सवाल नहीं किये थे । शायद वह उस मीटिंग से मुतमइन हुये थे कि जितनी सख्त कार्रवाई की बात की गई थी, आप उससे बहुत ज्यादा मुतमइन हुए थे । उस समय और कड़ी कार्रवाई होती लेकिन माहौल दूसरा हो गया । जहाँ तक हुकुम सिंह जी का कहना है और यह बात बिल्कुल सही

(इस समय 11 बजकर 15 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

है कि सीलबन्द डिब्बे से ही तेल खरीदना चाहिए । यह बिल्कुल सही बात है लेकिन हम समाजवादी लोग उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जो सीलबन्द डिब्बा खरीदने की हैसियत में नहीं हैं । यह सही है कि ड्राप्सी की शिकायतें या इस तरह की बीमारी पायी गयी है और उससे लोगों की मौतें हुई हैं।यह किसी पॉश एरिया में या किसी बड़े कोठी वाले या पढ़े-लिखे लोगों के इलाकों में नहीं है । यह ऐसे इलाकों में है जहाँ सड़ी नाली की गन्दगी है और ऐसे इलाकों में लोग बसे हुये हैं, हैदर कैनाल के बराबर जहां कीड़े-मच्छर आदि भी नहीं रहना चाहते हैं लेकिन वहां इन्सान बसे हुये हैं । ये लोग सीलबन्द डिब्बा नहीं खरीद नहीं सकते क्योंकि उनकी पूरे दिन की मेहनत-मजदूरी की आमदनी 40 से 50 रुपये होती है । इसलिये जो मजदूरी करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं वह एक रुपये, दो रुपये का तेल खरीदते हैं । इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि खुला तेल शुद्ध न हो । आपका सवाल सही है कि तेल सीलबंद डिब्बे से मिलना चाहिए । हमारी कोशिश है कि खुले डिब्बे से जो तेल बिक रहा है वह भी मानक के अनुसार होना चाहिए और उसके अन्दर मिलावट नहीं होनी चाहिए । हमने इसमें बहुत सख्त कार्रवाई की है । मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अलग बैठकों में आप कुछ बातें करते हैं और सदन में टोन बदल जाती है । (डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के अपने आसन से उठने का प्रयास करने पर) बाजपेयी जी, आप क्यों अपने शरीर को बार-बार तकलीफ दे रहे हैं । पहले पूरी बात सन लीजिए । जब बैठक हुई थी तो उस दिन आप सारी कार्यवाही से मुतमुईन थे और माननीय नेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विरोधी दल भी मुतमुईन थे कि बंद डिब्बे से तेल नहीं दिया जा सकता । बात यहाँ तक भी आयी थी कि खादी की दुकानों में जो तेल मिलता है वह खरीद लिया जाए लेकिन उसी वक्त यह बात भी आयी कि यह बहुत मंहगा होता है और रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला उसे नहीं खरीद सकता। मान्यवर, हमारी कोशिश है कि मिलावट का तेल न मिले और ज्यादा से ज्यादा शुद्ध तेल मिले । इसमें जो गलती किये हैं उनके विरुद्ध मुकदमा कायम हुये हैं और वे जेल में हैं । यह बात साफ हो गयी थी, लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी और नेता विरोधी दल की मौजूदगी में कि मात्र दुकानदार नहीं वह लोग भी जेल भेजे जा रहे हैं, जो तेल बनाते हैं, जहाँ से तेल की सप्लाई हो रही है वह लोग भी जेल में हैं और अभी तक उनकी जमानत नहीं हुई है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक तर्जे गुफ्तगू की बात है हम मुतमुईन थे लेकिन कभी-कभी तर्जे गुफ्तगू बहुत सख्त हो जाती है । वैसे आप में ऐब है ही नहीं, तो नजर कहाँ से आयेगा ? कहीं-कहीं आप लबादा पहन लेते हैं, तो साफ नजर आ जाता है । सवाल यह है कि आप जिन्दगी को ज्यादा कीमती मानते हैं या मिलावटी तेल को ज्यादा कीमती मानते हैं ? आपकी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि किसी तरह से जिन्दगी बचा सकें । जिन्दगी नहीं बचायें तो वह जहर खायेंगे । खुला तेल बिकना सरासर ज्यादती है । व्यवस्था करना सरकार का काम है, सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए । जहां पर गरीब आदमी रहते हैं वहां पर अच्छे तेल की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। आपने कहा कि हम समाजवादी लोग गरीबों की रक्षा के लिए उसे बिकवा रहे हैं तो बेचने दीजिए । मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह तो केवल लखनऊ की जानकारी दी । पूरे प्रदेश में कोई जिला नहीं बचा जहां ड्राप्सी के केसेज न हो रहे हों ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

आप अपने क्षेत्र के साथ इतने डूबे हैं कि आप पड़ोसी क्षेत्र भी नहीं देखते, बहुत काम है वहाँ । जब आप पड़ोस में नहीं देख पा रहे हैं तो पूरे पूरे प्रदेश को कहाँ देख पायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

हम अपना ही क्षेत्र देख लें वह काफी है । आप इतना बता दीजिए कि आपने इसका उत्तर देने के लिए कितने जिलों से रिपोर्ट मंगवाई है ? बिना रिपोर्ट के आप कैसे कह सकते हैं कि लखनऊ को छोड़कर बाकी कहीं ड्राप्सी नहीं है ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश से हम लोगों ने रिपोर्ट मंगायी है । सारे प्रदेश से 546 नमूने हमने मंगाये हैं । मैं जिलेवार बता रहा हूं । लखनऊ में 87 नमूने लिये गये । कानपुर नगर में 2, गौतमबुद्ध नगर में 3, गोरखपुर में 11, फिरोजाबाद में 1, हरदोई में कोई नहीं । इसी तरह से रायबरेली, आगरा, इलाहाबाद, बहराइच, गाजियाबाद, बरेली, बदायूं और अम्बेडकर नगर सारी जगहों से नमूने मंगाये गये हैं । सर्कुलर करके सूचना मंगायी गयी । सूचना मंगाने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लखनऊ के अलावा प्रदेश में कहीं पर ड्राप्सी के केस नहीं है ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नमूनों की संख्या नहीं बतायी है । ड्राप्सी से पूरे प्रदेश में 5 मौतें हो गयी हैं । सैकड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं । पूरे प्रदेश से आपने नमूने क्यों नहीं मंगाये ? क्या 2-4 दिनों में पूरे प्रदेश से नमूने मंगाकर जांच करायेंगे ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, पूरे प्रदेश से नमूने मंगाये गये हैं, यह मैं पहले ही बता चुका हूं । यह मैं उन जिलों के बारे में बता रहा हूं जहां से अपमिश्रण की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह सरकार ड्राप्सी की रोकथाम के लिये बहुत चिन्तित है । मैं के0जी0एम0यू0 गया था । वहां पर जो डाक्टर इलाज कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि कि जो मरीज भर्ती हुये हैं उनके इलाज के लिए सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है जबकि एक मरीज पर 50 हजार रुपये का खर्च आ रहा है । मेरे क्षेत्र में ड्राप्सी का मर्ज बढ़ता चला जा रहा है जो मरीज भर्ती हैं उनकी जनरल कोटे के पैसे से उनकी चिकित्सा हो रही है । क्या सरकार ड्राप्सी के मरीजों की चिकित्सा के लिए के0जी0एम0यू0 को अलग से धन उपलब्ध करायेगी ? दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेरे क्षेत्र में 5 मौतें हो गयी हैं । 2 मामलों में 50-50 हजार रुपये की सहायता दी गयी है लेकिन जो अन्य मौतें हुयी हैं उनकी किसी तरह की परवाह नहीं की गयी है । सरकार मरीजों के साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रही है । क्या इन लोगों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये की सहायता दी जायगी ।

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य ने के0जी0एम0यू0 के बारे में कहा वहां पर मेडीसिन के हैड आफ डिपार्टमेंट डा0 अग्रवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय टास्क फोर्स दल का गठन किया गया है। यह केवल ड्राप्सी के लिये बनाया गया है जो 24 घंटे देखरेख कर रहा है । मरीजों के उपचार के लिये चाहे वह दवायें हों या अन्य चीजें, सबकी व्यवस्था की गयी है । इसके लिये संसाधनों की कोई कमी नहीं आ रही है और न आने दी जायेगी । वहां पर मरीजों के रख-रखाव और इलाज की पूरी व्यवस्था है । ड्राप्सी से दो मरीज मरे थे । मुख्यमंत्री जी ने विशेष अनुकम्पा की और 50-50 हजार रुपये देने का काम किया है । यह सरकार गरीबों के हित के लिये कृत संकल्प है । गरीबों की चिकित्सा के लिये हम प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

सरकार गरीबों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के बारे में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के बारे में संवेदनहीन है । इसलिए जो लोग ड्राप्सी के कारण मर गए हैं उनको कोई धनराशि नहीं दे रहे हैं । मैंने पूछा है कि जो लोग के0जी0एम0यू0 में इलाज करा रहे हैं उनके इलाज के लिए सरकार ने कितना धन दिया है ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, यह इन्टरनल मैटर है । जो लोग के0जी0एम0यू0 में भर्ती हैं उनके इलाज के लिए

सारी व्यवस्था की है । इसके लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है । किसी भी प्रकार से संसाधनों की कमी नहीं होगी ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इन-इन जिलों से नमूने लिए गए । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जी से जानना चाहता हूं कि विभिन्न जनपदों से जो नमूने लिए गए उन सबका परीक्षण कराया गया और क्या उसमें मिलावट पायी गई ? अगर मिलावट पाई गई तो क्या कार्रवाई की गई ।

श्री जयवीर सिंह–

पूरे प्रदेश में 546 नमूने प्राप्त किए गए जिनमें 286 नमूनों का परीक्षण और विश्लेषण राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ में कराया गया और जिनके परिणाम भी मैंने बता दिए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेते हैं ।

श्री ओमप्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं मुझे भी एक प्रश्न करने का मौका दें । मैं मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । जहां पर मिलावट पाई गई वहां पर तेल बेचने वाले और निर्माण करने वाले लोगों पर कार्यवाही की गई जैसा कि मंत्री जी ने बताया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वहां के जो सम्बन्धित अधिकारी थे उनके खिलाफ जिम्मेदारी तय करके क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह सब बात आ गई ।

श्री ओमप्रकाश (ओ0 पी0 सिंह)–

इस प्रश्न का जवाब नहीं आया है । क्या बेचने वाले और निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्यवाही की गई उसी प्रकार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह–

मैंने पहले ही बता दिया कि उपचार की व्यवस्था व निरोधात्मक व्यवस्था के लिए टीम गठित कर दी । यह सब अखबारों में भी छपा है । जहां पर शिथिलता पाई वहां कार्यवाही की । हमने दो फूड इंस्पेक्टरों को निलम्बित भी किया है ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में थी तो उस समय ड्राप्सी की सबसे बड़ी घटना दिल्ली में हुई थी जिसमें 200 लोग बीमार हुये थे और 50-60 लोग मर गए थे । उसमें जब जांच हुई तो पता चला था कि गृहमंत्री के रिश्तेदार की ही फैक्ट्री थी । उसमें कोई कार्यवाही नहीं

हुई थी और उस समय की दिल्ली की सरकार ने इसकी लीपापोती करने का काम किया था । उस समय यह लोग कहां थे ?

श्री मुंशीलाल गौतम–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है । मुझे भी एक प्रश्न करने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब दूसरा प्रश्न ले रहे हैं ।

प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु महाविद्यालय परिसरों में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

****2-श्री राम इकबाल सिंह–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के परिसर में छात्रों एवं अध्यापकों को मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री राम आसरे विश्वकर्मा)–

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पठन-पाठन, परीक्षा संचालन, सेमीनार, संगोष्ठियों एवं शैक्षिक गतिविधियों/व्याख्यानों आदि के समय शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के प्रयोग को शासनादेश दिनांक 14 जून, 2004 द्वारा प्रतिबंधित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय, उपाध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने प्रश्न किया था कि विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के परिसर में छात्रों एवं अध्यापकों को मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबन्ध लगेगा ? उसका उत्तर आपने श्रीमन्, दिया है कि पठन-पाठन, परीक्षा संचालन, सेमीनार, संगोष्ठियों एवं शैक्षिक गतिविधियों/व्याख्यानों आदि के समय शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के ले जाने पर प्रतिबन्ध है । मान्यवर, मैंने साफ-साफ प्रश्न किया है और जिसका उत्तर स्पष्ट रूप से देना चाहिए । मैंने प्रश्न किया कि क्या विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज के परिसर में मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंधित करेंगे ? जैसा हम लोगों के साथ गनर का आना प्रतिबंधित है और माननीय मंत्रियों के साथ गनर आते हैं ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मैंने बताया है । यह तो व्यावहारिक नहीं है । प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है । यहां पर भी प्रतिबंधित है लेकिन फिर भी लोग ले आते हैं और बजते हैं । यह बात सही है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शैक्षिक माहौल को सही बनाने के लिए 14 जून, 2004 को कुलपतियों, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों और निदेशक उच्च शिक्षा को यह निर्देश दिये गये हैं कि

वे अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पठन-पाठन, परीक्षा संचालन, सेमीनार, संगोष्ठियों एवं शैक्षिक गतिविधियों/व्याख्यानों आदि के समय शिक्षक, कर्मचारी एवं विद्यार्थी अपने मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेंगे तथा मोबाइल फोन को बन्द रखेंगे ताकि पठन-पाठन आदि में किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो । यह पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है ।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि क्या विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज के परिसर में ले जाने पर प्रतिबंधित करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि पूरी तरह से प्रयोग पर प्रतिबन्ध है । ले जाने न ले जाने के बारे में हम यही कहेंगे कि यह व्यावहारिक नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में घाटे में चल रहे विश्वविद्यालयों की संख्या तथा उसे दूर करने के उपाय

***1-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं ? इस घाटे के प्रमुख कारण क्या हैं ? क्या सरकार द्वारा इस घाटे को दूर करने हेतु कोई प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

(क) छः राज्य विश्वविद्यालय।

(ख) अनानुमोदित पदों/मदों पर व्यय, घाटे का प्रमुख कारण है ।

(ग) जी हां ।

(घ) शासन द्वारा विश्वविद्यालयों में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु समय-समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं । नियमित पाठ्यक्रमों के शिक्षण शुल्क को 3 जून, 1995 के स्तर पर निर्धारित किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों की आय में हुई कमी की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जा रही है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि 6 राज्य विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं । मेरा पहला प्रश्न आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि ऐसे कौन से विश्वविद्यालय हैं और हर विश्वविद्यालय में कितना घाटा है ? आपने घाटे के कारण बताये हैं कि वित्तीय अनुशासनहीनता के कारण घाटा हुआ है, तो क्या सरकार जिन लोगों ने वित्तीय अनुशासनहीनता की है, के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, 6 राज्य विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं । इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, दीनदयाल विश्वविद्यालय गोरखपुर, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी । यह 6 राज्य विश्यविद्यालय हैं और इनमें जो घाटे की स्थिति है वह इस प्रकार है । लखनऊ विश्वविद्यालय में अब तक 12 करोड़ 84 लाख, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक 6 करोड़ 58 लाख 23 हजार, मेरठ विश्यविद्यालय में 6 करोड़ 73 हजार, सम्पूर्णानन्द कालेज में 1 करोड़ 40 लाख 55 हजार, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 1 करोड़ 26 लाख 10 हजार । मान्यवर, अब तक जो वित्तीय घाटे हैं उनकी यह स्थिति है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के घाटे के बारे में पूछने पर)

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

गोरखपुर की स्थिति रपष्ट नहीं है । इसको बाद में माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे । इसके अलावा 6 और विश्वविद्यालय हैं उसमें घाटे की कोई स्थिति नहीं है ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कितना घाटा है ? घाटे के कारण क्या थे ? अगर उन्होंने अनियमितता की है तो उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

घाटे के कारण जो हैं वह हैं परीक्षायें आयोजित कराने हेतु महाविद्यालयों को दी जाने वाली धनराशि, यात्रा अवकाश सुविधा, नगदीकरण आदि के भुगतान के कारण घाटा हो जाता है ? जब मद से ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं । विश्वविद्यालयों में समय-समय पर आडिट होता है इसका निरीक्षण किया जाता है कि भविष्य में आर्थिक वित्तीय अनुशासन बनाये रखें ताकि आर्थिक अनियमितता न हों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पिछले वर्षों आडिट आब्जेक्शन हुआ, 17 करोड़ की अनियमितता थीं माननीय सदस्य को जानकारी होगी इसमें सचिव शिक्षा के द्वारा जांच कराई जा रही है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के "ख" में कहा है, अनानुमोदित पदों/मदों पर व्यय, घाटे का प्रमुख कारण है । जो अनानुमोदित पदों की बात कही है तो विश्वविद्यालय में कितने-कितने पद अनानुमोदित हैं । क्या इन अनानुमोदित पदों पर वेतन का भुगतान हो रहा है ? इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? जिन विश्वविद्यालयों द्वारा अनियमितता की गई है जो घाटे में आए हैं उन विश्वविद्यालयों को अनियमितता के लिए नोटिस कब दी गई है ? क्या उस नोटिस के बाद वित्तीय अनियमितता जारी है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

अब तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय में 380 पद अनानुमोदित हैं

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 184 पद, गोरखपुर विश्वविद्यालय में कोई पद नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 157 पद अनानुमोदित हैं । चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कोई नहीं है । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में कोई अनानुमोदित पद नहीं है । माननीय सदस्य ने कहा है कि जो घाटे में विश्वविद्यालय हैं उसमें क्या हुआ, इसमें बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं अपने वित्तीय खर्चों को सीमित करके संसाधनों को जुटाकर घाटा पूरा करें । इसके अतिरिक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 2 करोड़ 23 लाख 71 हजार का अतिरिक्त अनुदान राज्य सरकार ने दिया है । लखनऊ विश्वविद्यालय को 2 करोड़ 34 लाख 38 हजार का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है । महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को 90 लाख 60 हजार रुपया अतिरिक्त अनुदान दिया गया है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि विश्वविद्यालयों को अन्तिम बार कब नोटिस दिया गया है । क्या उन विश्वविद्यालयों में अब भी अनियमिततायें हो रही हैं । दूसरी जानकारी जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में 157, लखनऊ में 380, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 184 अनानुमोदित पदों पर वेतन का भुगतान हो रहा है ? यह पद अनानुमोदित कब किए गए हैं ? शासन से पद के सृजन और स्वीकृति के लिए कोई प्रस्ताव शासन को भेजा गया था ? क्या यह शासन में लम्बित है ?यदि शासन में लम्बित है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन की है, अगर इसका प्रस्ताव शासन में नहीं भेजा गया है और जो इन अनानुमोदित पदों पर तैनाती की गई है और उनका वेतन भुगतान हो रहा है तो वहां के जो रजिस्ट्रार और कुलपति हैं और वित्त विभाग के फाइनेंस कन्ट्रोलर तैनात हैं, इसके बाद भी अगर यह हो रहा है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही करेंगे और जो वहां पर फाइनेंस कन्ट्रोलर बैठे हैं, उनका क्या दायित्व है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बड़ी देर से जगे हैं, यह जो अनियमितताएं हैं, यह उन्हीं की सरकार के समय की हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हैं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बजाय उत्तर देने के उन्होंने व्यंग करने की कोशिश की है । मैं जानना चाहता हूं कि यह किन-किन वर्षों में हुआ है ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, 18 महीने पहले किसकी सरकार थी ? आप सरकार में थे और नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं । ये सारी अनियमितताएं उसी समय की हैं और आपने कोई कार्यवाही नहीं की ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

आपने सीधे-सीधे लांछित किया है । मैं जानना चाहता हूं कि यह अनानुमोदित नियुक्तियां किन-किन वर्षों में हुई हैं और उस समय कौन-कौन अधिकारी थे ? क्या इसका प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि प्राप्त हुआ है तो कब से लम्बित है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी, आप स्पेसिफिक कहना चाहेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मैंने बता दिया है कि जितनी अनियमितताएं हैं, ये आपके समय की हैं, ये पिछली सरकारों की हैं । कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है अनुमोदन का, यह हमारी सरकार का कोई नहीं है, पिछली सरकार का है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

उपाध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सन्दर्भित किया जाए । यह वित्तीय अनुशासनहीनता का मामला है । एक तरफ सरकार वित्तीय अनुशासन लागू करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ अनानुमोदित पदों पर सैकड़ों लोगों को भुगतान हो रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित किया जाए ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क को जो वर्ष 95 के स्तर पर लाए हैं, क्या यह भी घाटे का एक फैक्टर बना है और जो शिक्षण शुल्क को वर्ष 95 के स्तर पर लाए हैं क्या इसे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू कर दिया गया है या नहीं ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

यह भी एक फैक्टर है, पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने फीस में जो कमी की है और शिक्षा को सस्ती किया है, उसके कारण भी विश्वविद्यालयों में कुछ घाटे की स्थिति आई है और इसके लिए विश्वविद्यालयों को प्रतिपूर्ति के लिए लिखा गया है । इसकी प्रतिपूर्ति के लिए विश्वविद्यालयों ने जो धन मांगा है, उसका आंकड़ा आ गया है और यह 6 करोड़, 80 लाख 50 हजार रुपये है । राज्य सरकार इसको पूरा करने जा रही है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय उपध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं आया है, इसलिये आप इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें । जिस प्रकार से वित्तीय अनुशासनहीनता की जा रही है और यह शासन के निर्देशों के बावजूद की जा रही है, यह जनता की जानकारी में जाना चाहिए । अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, मान्यवर तो मेरा कहना है कि इसको स्थगित कर लें और अगले दिन दोबारा ले लें अथवा इसको प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दें ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, जवाब तो सारे प्रश्नों का आ गया और जिसकी बात आप कर रहे हैं वह करना तो आपको चाहिए था । यह तो हमने पहले बता दिया कि यह पिछली सरकारों ने किया है उसकी हम जांच करा लेंगे ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से जनता के लिए जानकारी चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पिछली सरकारों ने किया है तो जांच का यह निष्कर्ष कि किन-किन सत्रों की तैनाती है । जब यह सदन उठेगा अगर इसकी जानकारी दे दें तो ठीक रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सारी बात आ गयी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरे जैसा व्यक्ति जब खड़ा हो गया, तीन बार आप खड़े हो गये । कम से कम सदन परम्पराओं से चले । आपने तीन-तीन अनुपूरक उन्हें दिये उसके विरुद्ध वह बिना अनुमति के भी खड़े हो गये । आपने मुझे एक भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछने दिया या आप यह कह दें कि हमें अनुपूरक पूछने की अनुमति नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मंत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि जो अनियमितताएं हैं, वह पिछली सरकारों की है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि सरकार की कन्टिन्यूटी होती है । यह कहकर सरकार जवाबदेही से नहीं बच सकती कि यह अनियमितता पिछली सरकारों की है । हम जानना चाहते हैं कि अगर यह अनियमितताएं पिछली सरकारों की हैं तो उनके खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की है ? दूसरी बात कि घाटे के सन्दर्भ में जो उत्तर दिया गया है तो इसमें मेरा कहना है कि विश्वविद्यालयों के घाटे की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में क्या-क्या योजनाएं बनायी गयी हैं और क्या-क्या उपाय लागू करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, हमने पहले ही अपने उत्तर में बता दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग 17 करोड़ की अनियमितता थी । सचिव उच्च शिक्षा इसकी जांच कर रहे हैं शेष विश्वविद्यालयों की भी हम जांच करा लेंगे ।

प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश हेतु अवैध कोचिंग संचालन के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

***2-श्री राम इकबाल सिंह–**

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में प्रवेश हेतु अवैध कोचिंग संचालित करने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम, 2002 के प्रमुख उपबन्ध निम्नवत् हैं :--

धारा-3 में कोचिंग केन्द्रों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण कराये जाने का प्राविधान है ।

धारा-4 में कोचिंग के लिए किसी संस्था के किसी अध्यापक या कर्मचारी को नियोजित करने का निषेध किया गया है ।

धारा-5 में रजिस्ट्रीकरण के निरस्तीकरण/निलम्बन का उल्लेख है ।

धारा-6 में निलम्बन/निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील का प्राविधान है ।

धारा-7 में उन प्रतिबन्धों का उल्लेख है जिनका पालन कर कोचिंग चलायी जायेगी ।

धारा-8 में सक्षम अधिकारी द्वारा कोचिंग केन्द्र के निरीक्षण का प्राविधान है ।

धारा-9 में विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन करने पर जुर्माने से दण्डित करने का प्राविधान है जो रुपये दस हजार से एक लाख तक हो सकती है ।

धारा-12 में कम्पनी द्वारा किये गये अपराधों के प्रति दण्डित करने की व्यवस्था है ।

धारा-13 में इस अधिनियम को अध्यारोही प्रभाव दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम इकबाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इस उत्तर पर कहना चाहता हूं कि क्या सरकार जानती है कि आज गली-गली में कोचिंग चल रहे हैं ? ग्रामीण इलाकों में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है । गांव के लड़के जो सक्षम हैं किराये पर मकान लेकर लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा आदि महानगरों में कोचिंग ले रहे हैं और जो लड़के शहरों में पढ़ रहे हैं उन विद्यालयों के अधिकांश अध्यापक कोचिंग चला रहे हैं । जिस पर आपने कहा कि संस्थाओं के अध्यापक या कर्मचारी कोचिंग में भाग नहीं ले सकते । यह कितनी बड़ी गम्भीर समस्या है ? आज छात्र के सामने विषमता की स्थिति पैदा कर दी गयी है । पचास-पचास हजार सालाना लेकर वही अध्यापक जो क्लासों में उनका भयादोहन करते हैं, टेस्ट में फेल कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं कि कोचिंग पढ़ो, तो श्रीमन्, शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है, हम शिक्षा के उद्देश्यों से भटक गये हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एक वर्ष में कितनी जगहों पर अवैध कोचिंग हेतु कार्यवाही की गयी है, कितनों की जांच हुई ? दूसरा लखनऊ महानगर में कितनी कोचिंग अवैध चल रही हैं ? यह माननीय मंत्री जी बतायेंगे और लखनऊ महानगर में एक वर्ष में कितने कोचिंग सेन्टर्स की जांच की गयी ? उसमें कितने अवैध पाये गये और कितने वैध पाये गये और अगर अवैध पाये गये तो कितने लोगों को दण्ड दिया गया है दस हजार से एक लाख के बीच में ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

कोचिंग के लिए स्पष्ट व्यवस्था है और समय-समय पर सक्षम अधिकारियों से जांच कराते रहे हैं और कार्यवाही कराते रहे हैं । लखनऊ में इस समय 520 कोचिंग संस्थायें पंजीकृत हैं और पंजीकृत कोचिंग के सापेक्ष 395 के प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं । 55 कोचिंग संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण

किया गया जिसमें 22 कोचिंग संस्थाओं में अनियमितता पायी गयी और उनको नोटिस जारी की गयी । तो यह लखनऊ की स्थिति है। अब यदि कहें तो दो चार महानगरों की और बता दें ।

श्री राम इकबाल सिंह–

आप सिर्फ 55 की ही जांच करा रहे हैं ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

शेष की और करा रहे हैं और सुन लें । कानपुर नगर में 55 कोचिंग संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया । 43 कोचिंग संस्थाओं को अधिनियम के तहत लागू किया गया है और चार के विरुद्ध कोचिंग अधिनियम, 2002 के अधीन परिवाद दाखिल किया गया है । वाराणसी के बारे में बता दूं । वाराणसी में 50 कोचिंग संस्थाओं के विरुद्ध नोटिस देने की कार्यवाही की गयी है। कृष्णा कोचिंग फिरोजाबाद के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी । वाराणसी में 9 अनियमित कोचिंग संस्थाएं पायी गयीं जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, लखनऊ में 55 कोचिंग संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें 22 में अनियमितता पायी गयी, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कब नोटिस दी गयी है ? इन्होंने कई अधिनियम बताये तो उसके अन्तर्गत कब उनके खिलाफ परिवाद या एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही की गयी ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, संख्या मैंने बता दी है । माननीय सदस्य को मैं अवगत करा दूंगा कि कब-कब नोटिस दी गयी ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्राइमरी स्टेज पर उनका पंजीकृत होता है । जैसा कि आपने कहा कि पांच सौ कोचिंग का पंजीकरण हुआ है । तो कुछ मानक बने होंगे या कोई सिस्टम होगा। उन पंजीकरण में से आपने बताया कि 55 का निरीक्षण किया गया जिसमें 25-30 के खिलाफ कार्यवाही आपने की । मेरा यह कहना है कि इतना लिटीगेशन बढ़ाने की क्या जरूरत है ? जब आप पंजीकरण करते हैं तो उसी समय देख लें । इतना लम्बा लिटीगेशन हो रहा है तो पंजीकरण स्तर पर कोई ठोस कदम कर देंगे तो जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । वहीं पर मामला सब्साइड हो जाए। अभी आपने कहा कि पांच सौ से ज्यादा पंजीकरण यहीं लखनऊ में ही हुए हैं, जिसका नतलब पंजीकरण ज्यादा हो रहे हैं, पंजीकरण में भी बेइमानी हो रही है और मानक के अनुसार पंजीकरण नहीं हो रहे हैं। पंजीकरण का क्या मानक, आधार है ? और क्या औचित्य देखा गया कि कोचिंग अनियमितताओं की जांच करानी पड़ गयी ? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बता दें ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, कोचिंग के मानक के सम्बन्ध में पूरा अधिनियम है, उसमें प्राविधानों के बारे में डिटेल से दिया गया है । मैं विधिवत सारी प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी आपके पास भेज दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने जब पूछा तो कहा गया कि बाद में जानकारी आपको दे दी जाएगी, अब दूसरे माननीय सदस्य ने पूछा तो कहा गया कि सारी जानकारी आपके पास भेज दूंगा । मान्यवर, जब इस प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है तो पूरे सदन के प्रति यह सहमति हो गई है, तो इससे सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी को देना चाहिए ।

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मूल प्रश्न से अलग माननीय सदस्य का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने बाइसों के बारे में डेटवार जानकारी चाही है मैं इन्हें यह जानकारी अलग से उपलब्ध करा दूंगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वह मूल प्रश्न से अलग है, जबकि उन्होंने स्वयं उत्तर में स्वीकार किया है कि 55 में से 22 कोचिंगों में अनियमितता हुई है, तो इससे सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर देना उनका दायित्व है कि इनमें क्या अनियमितता हुई है और उन अनियमितताओं के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यह प्रश्न मूल प्रश्न से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है और अनुपूरक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी इसके बारे में बता दें ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, माननीय राजभर जी भी संसदीय कार्यमंत्री रह चुके हैं और पाल साहब को भी इसके बारे में अच्छी जानकारी है । मान्यवर, रजिस्ट्रेशन की भी एक प्रक्रिया होती है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो अनुपूरक प्रश्न मैंने पूछा है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि 22 कोचिंगों में अनियमितता पाई गई, तो यह अलग से कैसे हो गया ? माननीय मंत्री जी इसके बारे में बतायें ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, मैंने पहले भी कह दिया था कि तिथिवार सूचना हमारे पास नहीं है, मैं बाद में सदन को अवगत करा दूंगा । जहां तक कोचिंग रजिस्ट्रेशन की क्या शर्तें हैं, जिसे माननीय सदस्य सुखदेव राजभर जी जानना चाहते हैं, तो वह हमारे पास उपलब्ध हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उसे पढ़कर सुना दूँ, लेकिन उसमें समय लगेगा ।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, प्रश्न के सम्बन्ध में जो लिखित उत्तर आया है उसमें धारा-04 में जो व्यवस्था दी गई है, उसका पालन नहीं किया जा रहा है, कुछ एक की जानकारी है हमारे पास, मान्यवर, विश्वविद्यालयों के और महाविद्यालयों के शिक्षकों की विधिवत कोचिंगें चलती हैं और वे जहां पर पढ़ाते भी हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि या तो यह कानून न बनायें और अगर यह कानून बनाया है तो उसका ईमानदारी से पालन होना चाहिए । मान्यवर, इन्होंने जो जांच कराई है लखनऊ में या अन्य स्थानों पर, वह किसके

माध्यम से कराई ? अपने विभाग से ही करवाई होगी ? जिनकी इनसे मिलीभगत रहती है । तो मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि क्या सरकार, जिलाधिकारी या जिला प्रशासन से विभिन्न कोचिंगों की जांच करायेगी और उस जांच में जो कोचिंगें दोषी पाई जायेंगी उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम आसरे विश्वकर्मा–

मान्यवर, माननीय गौर साहब ने ही इस सम्बन्ध में प्राविधान बनाया था, उसी के अनुसार कार्यवाही की जाती है । आप जो कह रहे हैं तो हम इसमें जांच करा लेंगे ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा में सुधार हेतु विशेष योजना

***3-डॉ0 अजय कुमार तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु कोई विशेष योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)–

जी हां ।

प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम एक मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित हो रही है ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने, बच्चों के ड्राप-आउट को समाप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है ।

मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय खोलकर शिक्षा की पहुँच में विस्तार किया गया है ।

बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराने हेतु सर्वेक्षण के माध्यम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण किया गया और उनके नामांकन हेतु स्कूल चलो अभियान संचालित किया गया है ।

बच्चों का ड्राप आउट कम करने हेतु शिक्षकों की नवीन भर्ती की गयी है तथा छात्र-अध्यापक अनुपात सुधारने हेतु स्थानीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से शिक्षा मित्र तैनात किये गये हैं ।

विद्यालयों में अवस्थापना सुविधायें सुदृढ़ की गयी हैं इसके अन्तर्गत भवनहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवन निर्माण तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है । विद्यालयों के विकास तथा रख-रखाव हेतु अनुदान दिया जाता है । समस्त वर्ग की बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों का वितरण किया जाता है । बालिकाओं को शिक्षा हेतु विशेष रूप से संकुल स्तर पर आदर्श संकुल विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं ।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु पाठ्य-पुस्तकों पर आधारित शिक्षक-संदर्शिकाएं विकसित की गयीं और विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोगार्थ उपलब्ध करायी गयी हैं । शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन हेतु शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है । इसके अतिरिक्त विद्यालयों का पर्यवेक्षण तथा उनके कार्य निष्पादन के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जा रहा है । छात्र-छात्राओं की परीक्षा

व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है । मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पका पकाया भोजन देने की मध्यान्ह पोषाहार योजना सभी जनपदों में प्रारम्भ की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डॉ0 अजय कुमार–

मान्यवर, बेसिक शिक्षा बच्चों की आधार शिला है और नींव है उनके अच्छे भविष्य की । मान्यवर, प्रदेश के जो सुदूर ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं उनमें बेसिक शिक्षा पर उतना अपेक्षित ध्यान नहीं है जितना की जरूरी है । मंत्री जी ने जो अपना विस्तृत उत्तर दिया है उससे प्रतीत होता है कि इस दिशा में कई प्रयास किये गये हैं और प्रयास किये भी जा रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले माह तक बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई और वर्तमान में छात्र अध्यापक का अनुपात क्या है और जो आपकी शिक्षा मित्रों को भर्ती करने की जो मंशा है वह यही है कि छात्र अध्यापक का अनुपात बढ़ाया जाए ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा की जा रही है तो उसमें मुझे कहना है कि यह उपेक्षा की जा रही थी लेकिन अब नहीं की जा रही है । जब हमारी सरकार ने यहां कार्यभार ग्रहण किया था तो शिक्षक-छात्र अनुपात 1 : 72 से भी अधिक था जो अब 1 : 52 हो गया है । मान्यवर, हमने 40,189 शिक्षकों की नियुक्ति की है और शिक्षा मित्रों की तैनाती की गई है इसके अलावा तीन हजार उर्दू शिक्षकों को भर्ती करने के लिए विज्ञापन भी जारी किया है । नए भवन भी बन रहे हैं । इसके अतिरिक्त डेढ़ किलोमीटर की परिधि में एक प्राइमरी स्कूल, तीन किलोमीटर की परिधि में एक जूनियर हाई स्कूल खुलवाने का विचार है तथा डेढ़ किलोमीटर में और वैकल्पिक शिक्षा भी हम स्थापित कर रहे हैं । मान्यवर, सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधा पहुंचाने पर हमारा पूरा ध्यान है पाठ्य-पुस्तक सभी बिरादरी के बच्चों को उपलब्ध कराई जायेगी, यह प्रस्ताव हमने कैबिनेट में पास किया है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो उत्तर के पृष्ठ-2 पर यह अंकित है कि बालिकाओं को शिक्षा हेतु विशेष रूप से संकुल स्तर आदर्श संकुल विद्यालय विकसित किये जा रहे हैं । तो यह कार्यक्रम क्या है ? मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा में गैर-बराबरी बढ़ रही है तो गैर-बराबरी दो तरीके से दूर हो सकती है एक तो ऊपर वालों को नीचे लाया जाए और दूसरे नीचे वालों को ऊपर लाया जाए । लेकिन जो वास्तविकता है वह यह है कि जो सम्पन्न परिवार के लोग हैं वह अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजकर पढ़ाना पसन्द नहीं करते हैं । मान्यवर, आपने यह कहा कि उपेक्षा की जा रही थी पिछली सरकार में तो आप तो विद्वान भी हैं, पुराने हैं और बाकी सब मंत्रियों से अच्छा उत्तर भी दे लेते हैं । अगर उपेक्षा होती तो सर्व शिक्षा अभियान किसका है, हमारा दिया हुआ है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो गैर-बराबरी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए क्या-क्या कदम इस डेढ़ वर्ष के शासनकाल में माननीय मंत्री जी के द्वारा उठाये गये हैं ?

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय खन्ना जी ने पूछा शंकुल विद्यालय के बारे में तो यह बालिकाओं

की शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु भारत सरकार की विशेष योजना है--नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजूकेशन फार गर्ल्स एट दि एलीमेन्ट्री लेवेल (एनपीईजीईएल) । इसमें आदर्श विद्यालय स्थापित किये जायेंगे उसमें बहुउद्देशीय हाल होगा, पुस्तकालय होगा, खेलकूद का सामान होगा तो ये आदर्श विद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं । जहां तक गैरबराबरी का सवाल है तो गैरबराबरी तो यह हो सकती है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जहां शिक्षा न हो तो वहां शिक्षा पहुंच रही है सभी बच्चों को वजीफा दे रहे हैं, लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, मिड डे मील सभी बच्चों को दे रहे हैं, सभी बच्चों को सरकार पाठ्य-पुस्तकें दे रही है सभी बिरादरी के बच्चों को और फीस माफ है तो गैरबराबरी कहां है इससे तो बराबरी का वातावरण सृजित होता है ।

डॉ0 अजय कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रति छात्र बालक या बालिका पर कितना उसके भोजन पकाने में खर्च आ रहा है अगर इसकी जानकारी हो तो मैं जानना चाहता हूं, सदन को उसकी जानकारी दें और कितना सामग्री पर खर्च आ रहा है उसकी जानकारी हो तो वह जानकारी उपलब्ध करा दें ?

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, 3 किलो प्रति बच्चा खाद्यान्न दिया जाता है । हमने यह किया है कि पहले गेहूं दिया जाता था अब चावल और गेहूं दोनों दिया जाता है । एक रुपया कन्वर्जन कास्ट है पका पकाया खाना देने का, 35 हजार रुपया किचेन शेड के लिए दिया गया है । जो खाना पकाने वाली महिला होती है उसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी होते हैं । ग्राम्य विकास विभाग और पंचायत विभाग से इसका समन्वय है और एक हजार रुपया खाना बनाने वाले को देते हैं । इस तरह से सारा खर्च आ रहा है सारे विद्यालयों में इसे जल्द लागू किया गया है और एक सितम्बर से अब तक अधिकांश विद्यालयों में यह लागू हो चुका है ।

डॉ0 अजय कुमार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रति छात्र कितना खर्च आ रहा है ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, प्रति छात्र हमने बताया कि 3 किलोग्राम प्रति माह प्रति बच्चा खाद्यान्न, इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि 100 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न और एक रुपया उसकी कन्वर्जन कास्ट पकापकाया भोजन बनाने में तो अब क्या खर्च जानना चाहते हैं आप ?

श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

मान्यवर, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान दोनों की सहभागीदारी से भवन निर्माण कराये जा रहे हैं, इस प्रकार वह शिक्षण कार्य न करके महज ठेकेदारी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य लोग हैं, इनको इससे दूर रखने का काम सरकार करेगी ? जिससे बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो और भवन निर्माण के लिए किसी अन्य एजेन्सी से काम कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री किरन पाल सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह सही है कि हमारे शिक्षक जो हैं, वह पढ़ाने के अलावा अन्य कार्य भी करते हैं । अभी माध्यमिक शिक्षा की परीक्षायें शुरु होने वाली हैं, इनमे भी इनको लगाया जा रहा है और काम में भी इनको लगाते हैं । लेकिन महज 2-3 कमरे ही बनवाये जाते हैं और कोई भी व्यक्ति 2-3 कमरे बनवा सकता है, यह वहीं पर रहते हैं और इसमें टेक्नीकल सुपरविजन के लिए आर0ई0एस0 विभाग की जिम्मेदारी है, तो क्या 2-3 कमरे बनवाने का काम ग्राम प्रधान और टीचर मिलकर नहीं कर सकते । उसमें गुणवत्ता भी अच्छी रहती है और आन दि स्पाट वह देखते रहते हैं । उसमें कोई दिक्कत नही है ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सही है कि शिक्षक और छात्र अनुपात कम हुआ है लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे प्राइमरी विद्यालय हैं, जिनमें एकल अध्यापक हैं ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि प्राइमरी अध्यापकों से प्राय: अन्य कार्य भी लिये जाते हैं जैसे जनगणना का कार्य, चुनाव से सम्बन्धित कार्य, पोलियो से सम्बन्धित कार्य आदि । इस कारण प्राइमरी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, उनका आधे से ज्यादा समय इन्हीं कार्यों में लग जाता है और जो शिक्षा देने का कार्य है, वह प्रभावित होता है । तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये, उसको बढ़ाने के लिये यह कार्य इनसे न कराये जाने पर विचार करेंगे ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने पूछा, प्रदेश में कितने विद्यालय चल रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि पहले 1/72 का अनुपात था जो अब 1/52 कर दिया गया है । हमारी जानकारी में कहीं किसी विद्यालय में इस अनुपात से कोई कमी नहीं है और जहां एकल शिक्षक था, वहां शिक्षा मित्र तैनात कर दिया गया है । यह कोई समस्या नहीं है । जहां तक अन्य कार्यों को कराये जाने की बात है, तमाम राष्ट्रीय नीतियों में इनको सहयोग करना पड़ता है, इसके लिये हम इनका ध्यान रखते हैं, परेशानी को हर वक्त ध्यान में रखते हैं ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं केवल दो बातें जानना चाहता हूं । नं0 एक तो यह कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या प्रतियोगी परीक्षाओं को नजर में रखते हुए पाठ्यक्रम मे कोई सुधार करेंगे और नैतिक शिक्षा पर बल देंगे ? दूसरी बात जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि 89 हजार शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और 27 हजार प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी है तो यह एक लाख सोलह हजार की नियुक्ति कब तक कर देंगे ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं, यह मैंने नहीं देखे हैं, पता नहीं आपने कहां से कह दिया ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस सदन में आपने उत्तर दिया है, पिछले सत्र में उत्तर दिया है ।

श्री किरन पाल सिंह–

जो हम कर चुके हैं, वह बताया है, यह इस समय कार्यरत हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आपने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में बताया था, यह बता दें कि इनकी नियुक्ति कब तक कर देंगे ?

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, इनको गलतफहमी है इनको ध्यान नहीं है । सतत् प्रक्रिया जारी है, शिक्षा मित्रों की हम भर्ती कर रहे हैं । इस वक्त 1 लाख 16 हजार शिक्षामित्र काम कर रहे हैं, लगभग 55 हजार और भर्ती कर चुके हैं, जो थोड़े बहुत कम रह गये हैं, उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ग्राम शिक्षा समिति के प्रस्ताव पास हो करके आ गये हैं और कार्यवाही चल रही है ।

***4-श्री सुरेश कुमार खन्ना–**

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

***5-श्री श्याम देव राय चौधरी–**

[दिनांक 15-2-05 के तारां0 प्र0 सं0-11 द्वारा उत्तरित] ।

प्रदेश में पूर्ण साक्षरता का निर्धारित लक्ष्य

***6-श्री राम करन आर्य–**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं ? इनमें महिलायें कितने प्रतिशत शिक्षित हैं ? क्या सरकार द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई अवधि निर्धारित की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

प्रदेश में वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 56.30 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं । इनमें 42.20 प्रतिशत महिलायें साक्षर हैं ।

भारत सरकार के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वर्ष 2007 तक 15-35 वय वर्ग हेतु 75 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(श्री भरत सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठ जायें, आप अगले प्रश्न में अपने सवाल पूछ लीजिएगा ।

श्री भरत सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा में सर्वशिक्षा अभियान के तहत् भारत सरकार से भी बहुत अधिक पैसा मिल रहा है और जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि

एक से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में नये भवन की व्यवस्था सरकार कर रही है लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सीधे प्रश्न करें ।

श्री भरत सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों से प्राइमरी स्कूलों की जो बिल्डिंगें जर्जर हैं या गिर गई हैं, वहां पर इस नियम के तहत् कोई नया भवन नहीं बन रहा है, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था माननीय मंत्री जी देंगे कि वहां पर भी भवन बन जाए और माननीय विधायकों के अधिकारों से जो विद्यालय चयनित किये जाते हैं, क्या उसमें जर्जर भवनों को भी शामिल किया जा सकता है ?

श्री किरन पाल सिंह–

मुझे खुशी है यह बताते हुए कि जहां पिछले कार्यकाल में सन् 2001 से 2004 तक केवल 3300 विद्यालयों के भवनों का निर्माण हुआ था, वहीं हमारी सरकार के अल्प कार्यकाल में 16 हजार नये विद्यालयों के भवनों का निर्माण कराया गया है । जहां तक जर्जर बिल्डिंगों का सवाल है, उसमें 8 हजार 5 सौ कक्षों के निर्माण का लक्ष्य 31 मार्च तक रखा गया है और वह पूरा हो जाएगा, जो रिपेयरिंग करने वाले हैं उनकी रिपेयरिंग कर दी जायेगी । जैसा कि आपने कहा कि मानक के अनुसार स्कूल नहीं बने हुए हैं, कहीं-कहीं पर एक किलोमीटर में बने हैं और कहीं-कहीं पर इससे अधिक दूरी पर हैं तो मानकों को पूरा करने के लिए 2 हजार प्राइमरी स्कूल और ढाई हजार अपर प्राइमरी स्कूल बनवाने की हमारी योजना है । चयन के समय जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष अपने आप ही स्कूलों का चयन कर लेते हैं, इसके लिए एक जी0 ओ0 सभी जिलों के लिए जारी कर दिया गया है, जिसके तहत् स्कूलों के चयन के निर्धारण में माननीय विधायकों का दखल होगा, यह जी0 ओ0 सभी जिलों में पहुंच भी गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम हेत–

मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, जिसमें अध्यापक तैनात न हों । मान्यवर, मेरे क्षेत्र जनपद सीतापुर के ब्लाक ऐलिया में प्राथमिक विद्यालय सहरोई चकरावत है, वहां पर केवल एक शिक्षामित्र तैनात है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पर अध्यापकों की तैनाती क्यों नहीं की गयी ? क्या मंत्री जी वहां पर अध्यापक तैनात करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

(बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा कुछ न कहने पर)

अब प्रश्न प्रहर समाप्त हुआ ।

तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राजकीय शिक्षा सेवा में लोक सेवा आयोग द्वारा सफल एवं योग्य अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में जानकारी

***7-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0ई0एस0 बैच 1996, 1997 एवं बैच 1999 में लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-8-03 के अनुसार सफल एवं योग्य पाये गये सभी 372 अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करा लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

वर्ष 1996, 1997 व 1999 में प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालेज (बालक/बालिका) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के पदों पर लोक सेवा आयोग से चयन कराया गया । अभ्यर्थियों को पात्रता के सम्बन्ध में विवाद के कारण मा0 उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 28-8-2003 के आदेश में लोक सेवा आयोग द्वारा मा0 न्यायालय में प्रस्तुत श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) में से 52 अभ्यर्थियों को तैनात करने के निदेर्श दिये । मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश में 372 अभ्यर्थियों को तैनात करने के आदेश नहीं दिये गये हैं । मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 50 अभ्यर्थियों की तैनाती हेतु कार्यवाही की जा रही है । अनुसूचित जनजाति के 02 अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण आयोग से संस्तुति प्राप्त नहीं हुयी है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र स्थित नालों की सफाई की मांग

1-श्री हरि प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित नालों की सफाई सिंचाई विभाग द्वारा कराई गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत नालों की सफाई धन अनुपलब्धता के कारण नहीं करायी गयी है ।

जनपद-प्रतापगढ़ (नगर) में स्थित राजकीय कन्या बालिका विद्यालय को उच्चीकृत किये जाने की मांग

2-श्री हरि प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ (नगर) में पुराना माल गोदाम रोड पर स्थित राजकीय कन्या बालिका विद्यालय के उच्चीकृत किये जाने का मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय कन्या प्राइमरी विद्यालय राजकीय कन्या हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण की कोई योजना न होने के कारण ।

जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र चिलकहर में टोंस नदी के कटाव से कोडरा गांव को बचाने हेतु प्रस्तावित धनराशि को अवमुक्त किये जाने की मांग

3-श्री राम इकबाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया में टोंस नदी के कटाव से बचाने हेतु कोड़रा गांव के लिये स्वीकृत धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

योजना वित्त पोषण हेतु नाबार्ड को प्रेषित की गई है ।

लखनऊ मोहान रोड पर शारदा नहर के पुल से बहरू नहर के पुल को जोड़ने वाली क्षतिग्रस्त पटरी की मरम्मत कराने की मांग

4-श्री भूपेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मोहान रोड पर शारदा नहर के पुल से बहरू नहर के पुल को जोड़ने वाली शारदा नहर की एक ओर पटरी को वर्ष 2000-01 वर्ष में डामरीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पटरी जगह-जगह से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरममत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी हां ।

जी हां ।

प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है । धन की उपलब्धता होने पर मरम्मत करा दी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के राजकीय इण्टर कालेज में मानक के अनुरूप कार्यरत शिक्षक तथा कालेज को दो पारियों में चलाये जाने की मांग

5-श्री हरि प्रताप सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, प्रतापगढ़ में मानक के अनुरूप

शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त राजकीय इण्टर कालेज को दो पारियों में चलाये जाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला योजनान्तर्गत द्विपाली योजना में परिव्यय की व्यवस्था न होने के कारण ।

जनपद उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक असोहा के कतिपय बन्द पड़े सरकारी ट्यूबवेल/पम्प कैनाल को ठीक करवाये जाने की मांग

6-श्री कौशल किशोर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के पुरवा विधान सभा क्षेत्र ब्लाक असोहा के अन्तर्गत कतिपय सरकारी ट्यूबवेल/पम्प कैनाल हाउस काफी अरसे से बन्द पड़े होने के कारण स्थानीय किसानों की फसल की हानि हो रही ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर इन सभी ट्यूबवेलों को ठीक करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जनपद उन्नाव के पुरया विधान सभा क्षेत्र ब्लाक असोहा के अन्तर्गत कुल 26 राजकीय नलकूप तथा 1 पम्प कैनाल, बनी साउथ, क्षमता 5 क्यूसेक स्थापित है । उपरोक्त 26 नलकूपों में से 22 नलकूप कार्यरत हैं तथा 4 नलकूप असफल हैं । चार असफल नलकूपों में से तीन नलकूप परित्याग की श्रेणी में हैं तथा एक नलकूप का पुनर्निर्माण किया जाना है ।

दिनांक 17-2-05 को 22 राजकीय नलकूपों में से 3 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं एक नलकूप विद्युत दोष से अस्थाई रूप से बन्द हैं ।

बनी साउथ पम्प कैनाल, 11 के0वी0 लाइन की लगभग 8 कि0मी0 तार चोरी होने के कारण, दिनांक 18/19-1-05 की रात्रि से बन्द थी, जो दिनांक 14-2-05 को चालू हो गयी है ।

जी हां ।

1 अदद असफल नलकूप संख्या-23 पी0जी0 का पुनर्निर्माण वर्ष 2005-06 की जनपद योजना में पुनर्निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने पर कराया जाना सम्भावित है । यांत्रिक दोष से बन्द तीनों नलकूपों को चालू करने की कार्यवाही की जा रही है तथा विद्युत दोष से बन्द 1 नलकूप विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर शीघ्रातिशीघ्र ठीक कराने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रायबरेली, विकास खण्ड-राही के प्राथमिक विद्यालय कोडर जहानपुर के कक्षा 1-5 तक के परीक्षार्थियों को विलम्ब से अंकतालिका हस्तगत कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

7-श्री शरदवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक विद्यालय कोडर जहानपुर, विकास

खण्ड-राही जनपद-रायबरेली का वर्ष 2003-04 का कक्षा 1-5 तक का परीक्षाफल विलम्ब से घोषित कर परीक्षार्थियों को अंकतालिका हस्तगत करा दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अंकतालिका हस्तगत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

कक्षा 1 से 4 तक का परीक्षाफल दिनांक 10-5-04 को घोषित किया गया । कक्षा-5 का परीक्षाफल दिनांक 21-5-04 को घोषित कर अंकपत्र दिनांक 22-5-04 को छात्रों को उपलब्ध कराया गया ।

परीक्षाफल विलम्ब से घोषित करने के आरोप में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के पत्रांक : 1193-43/2004-05 दिनांक 29-5-04 द्वारा संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निलम्बित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दोषी को निलम्बित किया जा चुका है ।

प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के कार्यालय भवन में अनाधिकृत रूप से खोले गये संघ कार्यालय को खाली कराये जाने की मांग

8-श्री सुल्तान बेग–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद-रायबरेली में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भवन के एक कक्ष में अपना कार्यालय बना लिया गया है जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों को बैठने में असुविधा हो रही है ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्राथमिक शिक्षक संघ का अपना निजी भवन गोराबाजार, रायबरेली में बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यहित में बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के उक्त कक्ष को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा कार्यालय भवन में एक कक्ष आवंटित किया गया है ।

जी हां ।

प्रकरण का परीक्षण कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-रायबरेली के प्राथमिक विद्यालय कोडर जहांनपुर में 50 प्रतिशत छात्रों को अनुत्तीर्ण करने की जांच

9-श्री सुल्तान बेग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्राथमिक विद्यालयों में नियमानुसार 50 प्रतिशत से अधिक छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया

बतायेगी कि प्राथमिक विद्यालय कोडर जहांनपुर विकास क्षेत्र-राही जनपद-रायबरेली में 50 प्रतिशत छात्रों को वर्ष 2003-04 में अनुत्तीर्ण कर दिया गया था, जिसकी जांच उप बेसिक शिक्षा अधिकारी से करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

जी हां । प्रकरण की जांच संतोषजनक न पाये जाने के कारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली द्वारा स्वयं जांच की जा रही है ।

जांचोपरान्त ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय कम्हरिया के सहायक अध्यापक श्री आराध्य शुक्ल द्वारा शिक्षण कार्य न करने व धन गबन करने की जांच की मांग

10-श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-सीतापुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय कम्हरिया, खुन-खुन क्षेत्र सकरन में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री आराध्य शुक्ल के विरुद्ध विद्यालय में शिक्षण कार्य न कर बी0आर0सी0 व डायट पर सम्बद्ध रहने, सम्बद्ध विद्यालय लहसड़ा का धन गबन करने तथा गैर सरकारी संस्था बेटी फाउण्डेशन के लिये कार्य कर पारिश्रमिक प्राप्त करने सम्बन्धी शिकायतें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को तथा उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 358/141 दिनांक 29-7-04 सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

शासनादेश संख्या 607/79-5-04 दिनांक 17-2-2005 द्वारा निदेशक बेसिक शिक्षा को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-गोरखपुर के तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग के अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

11-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोरखपुर की तहसील कैम्पियरगंज के वीर बहादुर सिंह राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान वर्ग की कक्षाओं हेतु वर्तमान शिक्षण सत्र 2004-05 में अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से प्रवक्ता पद हेतु संस्तुति प्राप्त न होने के कारण ।

जनपद-बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पांच वर्षों से अधिक एक ही जनपद में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण करने की मांग

12-श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पांच वर्षों से अधिक समय से एक ही जनपद में कार्य कर रहे लिपिकों का स्थानान्तरण वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में अन्य जनपदों में करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जनपद बलिया के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विगत पांच वर्षों से अधिक समय से तीन लिपिक कार्यरत हैं । इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बस्ती में लगड़ी पम्प कैनाल के पम्प को ऊपर उठाकर खरीफ फसल की सिंचाई की मांग

13-श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में लगड़ी पम्प कैनाल का पम्प बरसात में हटा दिया जाता है ? क्या इस कारण खरीफ की फसल की सिंचाई नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पम्प को ऊपर उठाकर खरीफ फसल की सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी हां ।

खरीफ फसल में जिस अवधि में पम्प व मोटर स्थापित रहते हैं उस अवधि में सिंचाई होती है ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत पम्प नहर के पम्प गृह के अन्दर नदी के सामान्य जल स्तर के अनुरूप ऊँचाई पर 3 नदद हारिजेन्टल पम्प स्थापित हैं । वर्षाकाल में जल स्तर बढ़ने पर मोटरों को डूबने से बचाने के लिए लगभग डेढ़ से दो माह तक हटाना पड़ता है । पम्प कैनाल के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में एक परियोजना विचाराधीन है, जिसके अन्तर्गत इस समस्या के निदान हेतु हारिजेन्टल पम्प सेट के स्थान पर वर्टिकल पम्प सेट लगाये जाने का भी प्राविधान है ।

रायबरेली के प्राथमिक पाठशाला राम साण्डा, ऊंचाहार में शिक्षा मित्र के चयन में हुई अनियमितता से संबंधित पत्र

14-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 12820 दिनांक 18-11-2004 जो प्राथमिक पाठशाला राम साण्डा, ऊंचाहार, रायबरेली में शिक्षा मित्र के चयन में हुई अनियमितता से संबंधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

मा0 सदस्य के पत्र संख्या 12820 दिनांक 18-11-2004 में श्रीमती सुषमा देवी को उक्त ग्राम की निवासिनी न होने का उल्लेख करते हुए उनका अभ्यर्थन निरस्त करने का उल्लेख किया गया है । विशेषज्ञ बेसिक शिक्षा अधिकारी की सूचना के अनुसार वर्ष 2003-04 के लिये ग्राम शिक्षा समिति राम साण्डा द्वारा शिक्षा मित्र चयन हेतु 5 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त कर वरीयता सूची बनायी गयी। जिसमें प्रथम श्रीमती सुषमा देवी एवं द्वितीय वरीयता पर किरन देवी का नाम अंकित था । द्वितीय वरीयता प्राप्त किरन देवी द्वारा प्रस्तुत शिकायत कि श्रीमती सुषमादेवी उक्त ग्राम की निवासिनी नहीं है, इस पर श्रीमती सुषमा देवी द्वारा अपने निवास के साक्ष्य हेतु जिलाधिकारी ऊंचाहार द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत किये । जिसके अनुसार जिला समिति द्वारा श्रीमती सुषमा देवी (प्रथम वरीयता) को उक्त पद हेतु चयनित माना गया । उक्त विषय पर यह भी सूच्य है कि शिकायतकर्ता किरन देवी द्वारा योजित रिट याचिका संख्या-7044 (एस/एस)/2004 मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-11-2004 के अनुक्रम में जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा समस्त साक्ष्यों के आलोक में निर्णय पत्रांक-4133-34/2004-05 दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 द्वारा किरन देवी का प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया तथा श्रीमती सुषमा देवी के अभ्यर्थन को सत्य पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की तैनाती का मापदण्ड

15-कुँ0 भारतेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर के प्राथमिक विद्यालयों में कितने विद्यालय शिक्षक विहीन, कितने एकल शिक्षक और कितने विद्यालयों में दो शिक्षक नियुक्त हैं ? जनपद में छात्र संख्या के आधार पर कितने शिक्षकों की कुल आवश्यकता है ? शिक्षकों की तैनाती का क्या आधार (मापदण्ड) है ?

श्री किरन पाल सिंह–

जनपद-बिजनौर में शिक्षक विहीन विद्यालय शून्य हैं । 259 एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं, जिसमें से 236 विद्यालयों में एक-एक शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं तथा 671 विद्यालयों में दो शिक्षक तैनात हैं ।

जनपद में 1 : 40 के अनुपात में 6722 शिक्षकों की आवश्यकता है । विभाग द्वारा जनपद हेतु सृजित पदों के आधार पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यालयवार आवंटित पदों के अनुसार अध्यापकों की तैनाती की जाती है ।

जनपद बिजनौर में शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में सेवारत स्थायी शिक्षकों की संवा शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी

16-कुँ0 भारतेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बिजनौर में शासन द्वारा प्रदत्त अनापत्ति के आधार पर कुल कितनी शिक्षण संस्थायें हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा दिला रही हैं ? उक्त संस्थाओं में कितने शिक्षक सेवारत हैं और इनमें से कितने स्थाई हैं ? स्थाई शिक्षकों की सेवा शर्तें क्या हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद बिजनौर में कुल 13 शिक्षण संस्थायें हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से परीक्षा दिला रही हैं ।

उक्त शिक्षण संस्थाओं में कुल 436 शिक्षक सेवारत हैं तथा इनमें से 274 शिक्षक स्थायी हैं ।

उक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड की नियमावली एवं सेवा शर्तों के अनुसार हैं ।

आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बी0ए0 प्रथम वर्ष की हिन्दी पुस्तक कथा धारा में प्रख्यात साहित्यकार श्री कमलेश्वर के बारे में दी गयी असत्य व भ्रामक जानकारी

17-कुँ0 भारतेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा स्थित डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की बी0 ए0 प्रथम वर्ष हिन्दी पाठयक्रम हेतु प्रकाशित पुस्तक 'कथा धारा' में पृष्ठ-37 पर देश के प्रख्यात साहित्यकार श्री कमलेश्वर के बारे में असत्य और भ्रामक जानकारी दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके संशोधन पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

वर्तमान समय में विश्वविद्यालय में संशोधित पुस्तक ही पढ़ायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में बन्द पड़े सरकारी नलकूपों को ठीक कराने की मांग

18-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी जनपद फतेहपुर में कितने

सरकारी नलकूप लगे हैं तथा उनमें से कितने खराब पड़े हैं ? खराब नलकूपों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी, जनपद फतेहपुर में 65 राजकीय नलकूप लगे हैं, जिनमें से 23 नलकूप (20 नलकूप फेल तथा 3 नलकूप परित्यक्त) स्थाई रूप से एवं दिनांक 17-2-2005 को 2 नलकूप अस्थाई रूप से (एक नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 1 नलकूप विद्युत दोष से) खराब हैं ।

अस्थाई रूप से बन्द 2 नलकूपों को शीघ्रतम दोषमुक्त करा कर चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

स्थाई रूप से खराब 23 नलकूपों में से 3 नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित हैं जिनका पुनर्निर्माण नहीं होना है । शेष 20 फेल नलकूपों में से 5 नलकूपों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है तथा 15 नलकूपों का आगामी वर्षों में पुनर्निर्माण कराया जाना, उक्त कार्य की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-देवरिया के रुद्रपुर में नगवा-छपरा बांध की मरम्मत हेतु अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा धन आवंटित करने का प्रस्ताव

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर जनपद-देवरिया अन्तर्गत नगवा-छपरा बांध राप्ती नदी बाया की मरम्मत कराने के लिए धन आवंटित करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के नकईल-डहरौली तटबन्ध के मरम्मत हेतु अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा धन आवंटन सम्बन्धी प्रस्ताव

20-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर जनपद-देवरिया अन्तर्गत नकईल-डहरौली तटबंध की मरम्मत कराने के लिये धन आवंटित करने विषयक अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव वर्ष, 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं, अपितु वर्ष 2004-05 में धन आवंटन कर क्षतिग्रस्त नकईल-डहरौली तटबंध की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण/बिना प्रशिक्षण प्राप्त लिपिकों को कम्प्यूटर भत्ता दिये जाने का प्रकरण

21-श्री राम इकबाल सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में कितने लिपिकों को कम्प्यूटर भत्ता दिया जा रहा है ? उन लिपिकों में कितने प्रशिक्षण प्राप्त लिपिक हैं ? क्या यह सही है कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त लिपिकों को भी कम्प्यूटर भत्ता दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

(क) 80 कर्मचारियों को ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी हां ।

(घ) कम्प्यूटर पर कार्य करने के कारण प्रोत्साहन स्वरूप ।

जनपद-महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र सिसवा के अन्तर्गत गण्डक नहर परियोजना के रख-रखाव के कार्य को रोका जाना

22-श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गण्डक नहर परियोजना के नहरों, अल्पिकाओं, पुलों, कुलावों, फाटकों, पटरियों का रख-रखाव सिसवा विधान सभा क्षेत्र जनपद-महाराजगंज के अन्तर्गत रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर तथा बुलन्दशहर के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

23-श्री मुन्शी लाल गौतम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर तथा बुलन्दशहर में ऐसे कितने सरकारी प्राइमरी तथा सीनियर बेसिक विद्यालय हैं, जिसमें एक भी अध्यापक तैनात नहीं है ? उक्त विद्यालयों में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

कोई नहीं ।

छात्र अध्यापक अनुपात को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2004-05 में 544 शिक्षा-मित्रों तथा 2005-06 में 1700 शिक्षा-मित्रों का चयन प्रस्तावित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा के राजकीय महिला महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान की कक्षाओं में अध्यापकों के पदों को सृजित की मांग

24-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि राजकीय महिला महाविद्यालय, बांदा में स्नातक स्तर पर विज्ञान विषय की कक्षाओं में अध्यापकों के पदों का सृजन न किये जाने के कारण शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है ? क्या यह सही है कि उक्त सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने अपने अ0शा0 पत्रांक-2255/70-5-2000 लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2000 द्वारा आश्वासन दिया था ?- यदि हां, तो सरकार उक्त पदों को कब तक सृजित कराकर विज्ञान की कक्षायें प्रारम्भ की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत महाविद्यालय को विज्ञान संकाय की सम्बद्धता प्राप्त है, परन्तु पद सृजन के अभाव में सम्प्रति कक्षायें संचालित नहीं हैं । आवश्यक पदों के सृजन की कार्यवाही प्रगति पर है । पद सृजन के उपरान्त विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारम्भ की जायेंगी ।

जनपद-सुल्तानपुर के नरसड़ा वि0 खं0 बल्दीराय के श्री हनुमन्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने की मांग

25-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्प्यूटर सं0-सी-10106087 पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/106087/2004, दिनांक 4-8-04 जो श्री हनुमन्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नरसड़ा वि0खं0 बल्दीराय जनपद-सुल्तानपुर को धारा-9 (4) के अन्तर्गत हाई स्कूल की मान्यता प्रदान करने विषयक पत्र था, प्रमुख सचिव, सचिव, शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मान्यता प्रदान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो उक्त मान्यता कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद -शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग में सभी खराब वाहनों को ठीक कराने की मांग

26-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के सिंचाई विभाग में कितने वाहन हैं, उनमें से कितने खराब हालत में हैं ? क्या सरकार सभी खराब वाहनों को ठीक कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जनपद शाहजहांपुर में कुल 10 वाहन हैं जिनमें से 4 वाहन खराब हैं ।

जी नहीं ।

खराब चारों वाहन अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर चुके हैं तथा मरम्मत योग्य नहीं हैं ।

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[दिनांक 15-2-05 के अ0 ता0 प्र0 सं0-96द्वारा उत्तरित]

जनपद-शाहजहांपुर के लघु सिंचाई विभाग में अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लघु सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर में लघु सिंचाई विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में अध्यक्ष, समाजवादी जनता पार्टी का शिकायती-पत्र दिनांक 24-7-2003 मुख्य अभियन्ता तथा पत्र दिनांक 9-3-2004 प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गई? यदि हां, तो जांच के आधार पर दोषी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई, मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

29-श्री फतेह बहादुर सिंह–

[दूसरे सोम0 के अता0 प्र0 सं0-152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित] ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद द्वारा विद्यालयों के मान्यता प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन-पत्र

30-श्री आर0 एस0 कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 2006 की परीक्षा हेतु अनेक विद्यालयों के मान्यता प्रकरण/आवेदन-पत्र दिनांक 25-6-2004 को स्वीकार करने के उपरान्त शासन को अनुमोदनार्थ भेजे गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त मान्यता

प्रकरणों का अनुमोदन कार्यवाही में शासन द्वारा अनावश्यक विलम्ब होने के कारण परिषद् द्वारा मान्यता पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ? क्या कक्षा 9 व कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का पंजीकरण न हो पाने के कारण छात्रों के समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद-बस्ती के बन्धों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय

31-श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-जनपद में बंधों की मरम्मत पर वर्ष 2004-05 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ? घाघरा नदी के सैफाबाद से रामपुर बंधे पर कितनी धनराशि दी गई है तथा कितनी खर्च की गई और कितनी धनराशि शेष है ? शेष धनराशि कब तक खर्च की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जनपद बस्ती को बंधों की मरम्मत हेतु वर्ष 2004-05 में अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में रु0 47.94 लाख का आवंटन हुआ था ।

घाघरा नदी के सैफाबाद से रामपुर तक के बंधे पर अनुरक्षण मद के अन्तर्गत रु0 8.02 लाख आवंटित किया गया, जो व्यय हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत रत्न डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में चौ0 चरण सिंह पीठ बनाने की योजना

32-डा0 राम बाबू हरित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत रत्न डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में चौ0 चरण सिंह पीठ बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महाविद्यालयों में बी0 एड0 की कक्षाओं को बिना मानक पूरे किये ही मान्यता दिये जाने की जांच की मांग

33-डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 2003 से दिसम्बर, 2004 तक कितने महाविद्यालयों में बी0 एड0 कक्षायें खोलने की अनुमति शासन द्वारा दी गयी है ? क्या अनेकों स्थानों पर बिना मानक पूरे किये ही बी0 एड0 की मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

289 महाविद्यालयों में बी0 एड0 कक्षाएं खोलने की अनापत्ति दी गयी ।

ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तिघरा-मराछी बांध के पास कटाव निरोधक कार्य पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन कार्य कराये जाने की मांग

34-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा तिघरा-मराछी बांध पर ग्राम बनकटी के पास कटाव निरोधक कार्य कि0मी0 5.80 पर 150 मीटर लम्बाई में पिचिंग एवं लांचिंग एप्रन कार्य कराये जाने के संबंध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन में भेजा गया था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र नकईल-डहरौली ग्राम सोनबरसा में अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तावित कार्य कराये जाने की मांग

35-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया नकईल-डहरौली, ग्राम सोनबरसा कि0मी0 01.200 से 1.500 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन करने हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

सिंचाई विभाग की सम्पत्ति (भूमि) पर सिंचाई विभाग के जिलेदार श्री हरीराम के विरुद्ध शिकायती-पत्र

36-श्री मुंशी लाल गौतम–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग की सम्पत्ति (भूमि) पर सिंचाई विभाग के जिलेदार हरीराम द्वारा जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत शाहपुर रजबहा के किमी0 7.0 के पास ग्राम कालूखेड़ा में नहर की भूमि पर मकान/दुकानें/सेप्टी टैंक/फोन नं0-226120 लगे होने की जांच अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उन्नाव ने पत्र संख्या-698/स0अ0-2/सी0ए0, दिनांक 29-4-04 द्वारा आख्या शासन को भेजी है ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

श्री हरीराम, जिलेदार के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र पर की गयी जांच के आधार पर इनका सैप्टिक टैंक नहर की भूमि पर बना पाया गया । इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध उ0प्र0 कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट के अन्तर्गत विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी, सिंचाई खण्ड उन्नाव में वाद पंजीकृत कराया गया है, जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है । श्री हरीराम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के कतिपय ग्रामों/विकास खण्डों में प्राथमिक/ जू0 हाई स्कूल खोले जाने की मांग

37-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश जारी किया गया है ? क्या यह सही है कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड सण्डीला के समग्र ग्राम तलौली के मजरा हथुरहा में प्राथमिक विद्यालय तथा विकास खण्ड बेहन्दर के समग्र ग्राम नौघा मजरा कासिमपुर में प्राथमिक विद्यालय तथा तुरनादेव नरिचारी समग्र ग्राम में जू0 हाई स्कूल स्थापित न करके अन्य ग्रामों का चयन कर विद्यालय खोले गये हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त ग्रामों/विकास खण्ड में प्राथमिक/जू0 हाई स्कूल खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

चयनित समग्र ग्राम तलौली में प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल पूर्व से ही स्थापित है। चयनित समग्र ग्राम कासिमपुर में पूर्व से ही जूनियर हाई स्कूल संचालित है तथा यह प्राथमिक विद्यालय बेहदर कला से भी सेवित है जो कासिमपुर से 500 मीटर की दूरी से कम है । चयनित समग्र ग्राम तुरनादेव में प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित है तथा यह जूनियर हाई स्कूल माडेर से भी सेवित है, जिसकी दूरी 02 किमी0 से कम है ।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के जूनियर हाई स्कूल, बिरौली के भवन का निर्माण मानक के अनुरूप न होने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

38-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के जू0हा0 स्कूल बिरौली के भवन का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराने की जांच कराके दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर के जूनियर हाई स्कूल बिरौली के भवन का निर्माण अवर अभियन्ता, सर्व शिक्षा अभियान की देख-रेख में मानक के अनुरूप कराया जा रहा है, तथापि शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र संख्या-सा0नि0वि0 (बे0)/6839/04-05, दिनांक 17-2-05 द्वारा जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर में उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न होने से धनराशि की वसूली की मांग

39-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-हरदोई के विकास खण्ड बेहन्दर में उच्च प्राथमिक विद्यालय, सन्तार खेड़ा का भवन निर्माण कार्य मानक के अनुरूप न कराये जाने पर सहायक अभियन्ता, सर्वशिक्षा अभियान, हरदोई द्वारा भवन के निर्माण के स्थल निरीक्षण के उपरान्त निर्माणकर्ता प्रभारी द्वारा कतिपय कार्य पूर्ण कराने तथा रु0 एक लाख तेइस हजार की धनराशि की वसूली किये जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई को 01 जनवरी, 2005 को पत्र भेजा है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि की वसूली कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

11वें वित्त आयोग के अन्तर्गत चयनित तकनीकी इकाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा की जांच हेतु प्रकरण संदर्भित है । जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40-कुंवर भारतेन्द्र सिंह–

[2सरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़, तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली में निर्मित ड्रेन में सिल्ट की सफाई कराने की मांग

41-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर-तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के ग्राम-कोहरौली के अन्तर्गत निर्मित ड्रेन में सिल्ट, मिट्टी आदि जमा होने के कारण सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ड्रेन की सफाई करायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं । ड्रेन से सिंचाई नहीं होती है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के आधार पर सिंचाई विभाग द्वारा केवल ट्रंक ड्रेनों की ही सफाई की जाती है और यह ड्रेन ट्रंक ड्रेन की श्रेणी में नहीं आता है । अतः शासन की नीति के अनुसार वर्तमान में इस ड्रेन के सफाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2003 की सन्निरीक्षा (स्कूटिनिग) हेतु प्राप्त आवेदन पत्र तथा घोषित परिणाम

42-श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ0 प्र0 की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2003 की सन्निरीक्षा (स्कूटिनिग) हेतु कितने छात्र /परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ? क्या उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि परीक्षा केन्द्र जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मीरापुर बहोरिया गदूदोपुर, जौनपुर तथा सन्त परमहंस इण्टर कालेज, औंका, जौनपुर एवं अशोक इण्टरमीडिएट कालेज, जौनपुर के हाईस्कूल के कितने छात्रों के स्कूटिनेन के आवेदन पत्र प्राप्त हुये है और क्या उनका परिणाम घोषित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मु[illegible] सिंह यादव–

[37574 आवेदन पत्र प्राप्त हुये ।

जी हां ।

1-जय बजरंग उ0 मा0 विद्यालय बहोरिया गदूदोपुर, जौनपुर परीक्षा केन्द्र नहीं था ।

2-परीक्षा केन्द्र सन्त परमहंस इ0 का0 औंका जौनपुर एवं अशोक इण्टर कालेज, जौनपुर के

क्रमश: 12 एवं 08 कुल 20 परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और उनका परिणाम भी घोषित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-प्रतापगढ़, अतरसण्ड ब्लाक मंगरौरा के राजकीय डिग्री कालेज में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की शिक्षा हेतु कालेज को मान्यता दिये जाने की मांग

43-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, अतरसण्ड ब्लाक मंगरौरा जनपद-प्रतापगढ़ में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की शिक्षा छात्रों को दिये जाने हेतु क्या सरकार उक्त कालेज को मान्यता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में निजी क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों को संचालित कराने की शासकीय नीति एवं उक्त संकाय के संचालन हेतु बजट व्यवस्था उपलब्ध न होने के कारण ।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

44-[दिनांक 15-2-05 के अता0 प्र0 सं0-4 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के प्राइमरी कक्षाओं में सभी छात्रों को नि:शुल्क किताबें न उपलब्ध कराने के खिलाफ कार्यवाही की मांग

45-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी कक्षाओं में इस वर्ष सभी छात्रों को नि:शुल्क किताबें उपलब्ध कराने के आदेश दिये गये हैं ? क्या शाहजहांपुर जनपद के कई स्कूलों में नवम्बर, 2004 तक बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये उक्त विद्यालयों के छात्रों को पुस्तकें वितरित करायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां ।

शिक्षा सत्र, 2004-05 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के बालकों तथा समस्त वर्ग की बालिकाओं को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित कराने हेतु निर्देश दिये गये थे ।

जनपद शाहजहांपुर में अक्टूबर, 2004 तक नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित कर दी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के तटबन्धों की मरम्मत हेतु अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

46-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, देवरिया द्वारा वर्ष 2004 में एक प्रस्ताव तटबन्धों की मरम्मत कराये जाने विषयक शासन को धन आंबटित करने जिसमें रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र के मराठी-नगवा डौला राप्ती बायां बांध के निर्माण हेतु भेजा गया, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

47-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-देवरिया विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया, पाण्डेय माझा योगिया, ग्राम जोगिया किमी0 5.700 से 5.760 पर प्रस्तावित कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आवंटन हेतु वर्ष 2004 में शासन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

प्रदेश में महाविद्यालय खोलने के लिए शासन द्वारा एन0 ओ0 सी0 जारी करने के संबंध में मांग

48-श्री राम करन आर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाविद्यालय खोलने के लिए शासन द्वारा क्या मानक निर्धारित किये गये हैं ? प्रदेश में वर्ष 2004-2005 के सत्र में कितने नहाविद्यालयों को खोलने हेतु शासन द्वारा एन0 ओ0 सी0 जारी की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

नये महाविद्यालय खोले जाने के लिए शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या-3411/सत्तर-2-2002-2(166)/2002,

दिनांक 11 अक्टूबर, 2002 द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं जिसमें नये महाविद्यालय की स्थापना एवं अन्य के मानक मुख्य रूप से निम्नवत् निर्धारित किये गये हैं:-

(क) नगर निगम क्षेत्र-5000 वर्ग मीटर

(ख) नगरपालिका क्षेत्र-7000 वर्ग मीटर

(ग) अन्य क्षेत्र-20000 वर्ग मीटर ।

महिला महाविद्यालय के लिए उक्त मानक की 50 प्रतिशत भूमि पर्याप्त होगी ।

विधि महाविद्यालय के लिए:-

विधि त्रिवर्षीय के लिए-1200 वर्ग मीटर

विधि पंचवर्षीय के लिए-1500 वर्ग मीटर

तथा दोंनो के लिए-2000 वर्ग मीटर ।

उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त कृषि संकाय/महाविद्यालय के लिए न्यूनतम 15 एकड़ पृथक भूमि अपेक्षित होगी:-

(2) सोसायटी/ट्रस्ट पंजीकृत एवं अद्यतन नवीकृत हो ।

(3) महाविद्यालय/संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो।

(4) संस्था के नाम मानकानुसार राजस्व अभिलेखों में भूमि अंकित हो ।

(5) सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा आवेदक संस्था के प्रस्ताव पर संस्तुति की गयी हो ।

328

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चन्दौली के स्वामी योगानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति की मांग

49- श्री सोमारू राम सरोज–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी योगानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय सैफपुर चहनियां-वाराणसी वर्तमान में चन्दौली जनपद में प्रधानाध्यापक के पद को पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना था ? क्या यह सही है कि उक्त पद पर अपने ही गांव के सवर्ण व्यक्ति की नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नियुक्ति को निरस्त करते हुए नियमानुसार नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रधानाध्यापक का एकल पद होता है तथा एकल पद पर आरक्षण लागू नहीं होता ।

जी हां ।

चयन समिति की संस्तुति के आधार पर अधिक गुणांक वाले व्यक्ति की प्रथम वरीयता के आधार पर नियुक्ति की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि नियमानुसार नियुक्ति की गयी है ।

जनपद गाजियाबाद के जू0 हा0 स्कूल पिलखुवा में कार्यरत प्रधान अध्यापिका श्रीमती जगवती देवी गुप्ता के वेतन विसंगति को दूर किये जाने की मांग

50-श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गाजियाबाद जनपद के जूनियर हाईस्कूल पिलखुवा में कार्यरत श्रीमती जगवती देवी गुप्ता, प्रधान अध्यापिका को दि0 1-1-98 से अपने से कनिष्ठ श्रीमती स्नेह प्रभा शर्मा स0 अध्यापिका जो उसी विद्यालय में कार्यरत हैं, से कम वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री किरन पाल सिंह–

जी हां।

जी हां ।

कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु नि:शुल्क बोरिंग योजना

51-श्री राम इकबाल सिंह–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु नि:शुल्क बोरिंग योजना लागू है ? यदि हां, तो कितने जिलों में यह योजना कार्यरत है ?

श्री शाकिर अली–

जी हां ।

यह योजना प्रदेश के 69 जनपदों (ललितपुर को छोड़कर) में लागू है ।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में पलिया-छपरा बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही की मांग

52-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में पलिया-छपरा बांध का उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक अधिशासी अभियन्ता कार्य खण्ड, देवरिया का प्रस्ताव धन आबंटित करने हेतु शासन को वर्ष 2004 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद महाराजगंज के राजकीय इण्टर कालेज, पनियारा में विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु अध्यापकों की नियुक्ति

53-श्री फतेह बहादुर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, पनियारा, जनपद-महाराजगंज में अध्यापकों के अभाव में विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य बन्द कर दिया गया है जिससे छात्रों को विज्ञान पढ़ने हेतु दूर जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति करके विज्ञान वर्ग का शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

शिक्षण कार्य बन्द नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के कतिपय बांधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने की मांग

54-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर अन्तर्गत मराछी-नगवां डौला बांध, भूसवल-पिंडरा बांध, पिंडरा करनपुर बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धनराशि आबंटित किये जाने हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर के कथित बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही की जानकारी की मांग

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में पाण्डेय माझा-जोगिया बांध, नकईल-डहरौली बांध, पचलड़ी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धनराशि आंबटित किये जाने

हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

केवल पचलड़ी बांध की योजना उत्तर प्रदेश बाढ़ नियत्रंण परिषद की स्थाई संचालन समिति से अनुमोदन के उपरान्त नाबार्ड से वित्त पोषण कराने हेतु शासन को प्राप्त हुई है ।

पचलड़ी बांध की योजना नाबार्ड में वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में नगवां-छपरा बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने की मांग

56-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में नगवां-छपरा बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धनराशि आबंटित किये जाने हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शासन को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के फलस्वरूप कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है ।

जनपद देविरया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में तिघरा मराछी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही

57- अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रुद्रपुर में तिघरा-मराछी बांध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड, देवरिया द्वारा धनराशि आवंटित किये जाने हेतु वर्ष 2004 में शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

जी हां ।

प्रश्नगत बांध के कि0 मी0 0.00 से 17.600 तक उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की योजना उ0 प्र0 राज्य बाढ़ नियत्रंण परिषद की स्थाई संचालन समिति के अनुमोदनोपरान्त नावार्ड से वित्त पोषण कराने हेतु शासन को प्राप्त हुई है ।

परियोजना नाबार्ड को वित्त पोषण हेतु प्रेषित कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58-डा0 सुशील चौधरी–

[उसरे बुद्धवार के अता0 प्र0 सं0-1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम अमईपुर खड़ा व जगतपुर जैतीपुर में कन्या इण्टर कालेज खोले जाने की मांग

59-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उनके पत्र सं0 सी0एम0/वी0 को0/एम-112123/2004 दि0 4-11-04 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, माध्यमिक शिक्षा को आदेश जो ग्राम अमईपुर खड़ा व जगतपुर जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में कन्या इण्टर कालेज खोलने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

राजकीय कन्या हाईस्कूल/इण्टर कालेज खोले जाने की योजना बजट के आभाव में समाप्त है । वित्त विभाग द्वारा विगत कई वर्षो से इस मद में कोई भी बजट व्यवस्था नहीं की जा रही है ऐसी स्थिति में कन्या इण्टर कालेज स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मिर्जापुर के वाण सागर परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब के लिये दोषियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

60-श्री राम नरेश यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाण सागर परियोजना, जनपद-मिर्जापुर में अब तक कुल कितना धन खर्च हुआ है तथा कौन-कौन से कार्य कराये गये ? उक्त योजना कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा इस योजना के विलम्ब के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुन्ना सिंह चौहान–

बाण सागर परियोजना के अन्तर्गत जनवरी, 2005 तक कुल रु0 503.726 करोड़ की धनराशि का व्यय मध्य प्रदेश नहरों, बाणसागर बांध एवं सम्बद्ध कार्यो पर उत्तर प्रदेश के अंशदान के रूप में मध्य प्रदेश को भुगतान, भू-अर्जन, लाइनिंग, भवन निर्माण आदि विभिन्न मदों पर किया गया है ।

वन भूमि की उपलब्धता के आधार पर वन भूमि के हस्तान्तरण न होने के कारण विलम्ब हुआ है। अत: न तो कोई अधिकारी/कर्मचारी विलम्ब के लिए उत्तरदायी है और न ही उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

(इस समय पर 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुये)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 01 मार्च, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी:-

पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में । दूसरी सूचना श्री हीरालाल गौतम की आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री नवाब सिंह नागर की गौतमबुद्ध नगर में ओखला हेडवर्क्स सिंचाई विभाग द्वारा सोसायटी से खाली करायी गयी भूमि का निस्तारण करने के संबंध में, चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की जिला पंचायत राज अधिकारी विहीन जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारियों की तैनाती करने के संबंध में, पांचवी सूचना श्री चन्द्र किशोर की जनपद महाराजगंज में रोहित नदी पर बने त्रिमुहानी पुल के सेतु कर को समाप्त करने के संबंध में, छठी सूचना श्री राम हेत भारती की जिला चिकित्सालय सीतापुर में वातानुकूलित बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने के संबंध में । सातवीं सूचना श्री आर0 के0 सिंह पटेल की है, श्री आर0 के0 सिंह पटेल उपस्थित नहीं हैं । आठवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकर नगर के लिलहारा घाट पर निजआ नाले पर अधूरे पुल के निर्माण के संबंध में तथा नवीं सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की इलाहाबाद के स्व0 जिला समाज कल्याण अधिकारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में है । चूंकि श्री आर0 के0 सिंह पटेल उपस्थित नहीं हैं इसलिये उनके स्थान पर श्रीमती माया प्रसाद जी की सूचना को स्वीकार किया जाता है ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं--डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री कौशल किशोर, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राम इकबाल सिंह, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री कालीचरन राजभर।

इस प्रकार कुल 9 सूचनायें स्वीकार की गयीं और स्वीकार की गयी सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

जौनपुर के विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[मान्यवर, जनपद जौनपुर विकास खण्ड सरकोनी नवसृजित विकास खण्ड है । इसमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का होना अति आवश्यक है जिससे उस क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य सुविधायें आसानी से उपलब्ध हो सकें ।

अत: इस लोकमहत्व के प्रश्न पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए विकास खण्ड सरकोनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की मांग करता हूं ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद आजमगढ़ के सरायमीर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हीरा लाल गौतम–

[मान्यवर, आप अवगत ही हैं कि उ0प्र0 सरकार लोक निर्माण विभाग के माध्यम से विभिन्न मार्गों, सड़कों का सुन्दरीकरण नवनिर्माण, टूटी सड़कों, गड्ढों की मरम्मत का कार्य, गड्ढा मुक्त सड़क योजना के तहत किया जाना तीव्र गति से संचालित है । सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सरायमीर के दीदारगंज तक एवं फूलपुर से मार्टीनगंज होते हुए बरदह तक, अम्बारी व दीदारगंज मार्ग से मार्टीनगंज होते हुए सिसवारा गम्भीरपुर तक के अवशेष भाग एवं मार्टीगंज-आरा वाया कमालपुर तक जो लोक निर्माण द्वारा संचालित है, वर्तमान समय में पूरी तरह क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण जर्जर अवस्था में हो गयी है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, परन्तु सम्बन्धित अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे जनता में निराशा एवं असन्तोष की भावना बढ़ती जा रही है । ऐसी स्थिति में किसी समय भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है । जबकि उक्त मार्गों के निर्माण हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध है ।

अतएव लोकहित महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं ।]

गौतमबुद्ध नगर में ओखला हेडवर्क्स सिंचाई विभाग द्वारा सोसायटी से खाली करायी गयी भूमि का निस्तारण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नवाब सिंह नागर–

[मान्यवर, जनपद-गौतमबुद्ध नगर के साथ यमुना के दूसरी ओर सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के ओखला हैडवर्क्स खण्ड के अन्तर्गत दिल्ली मथुरा रोड पर अपोलो अस्पताल के पास सिंचाई विभाग की सैकड़ों एकड़ जमीन पर पीजन सोसायटी का कब्जा चल रहा था जिसको सिंचाई विभाग ने मा0 उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत कर 389 एकड़ जमीन को उक्त सोसायटी से खाली करा लिया है विभाग द्वारा इस जमीन की कीमत 4 हजार करोड़ के लगभग आंकी गई है तथा शासन से इस जमीन को निस्तारण हेतु लिखा गया है ताकि दोबारा इस बेशकीमती जमीन का कोई अनधिकृत कब्जा न कर सके। मेरी मांग है कि सिंचाई विभाग द्वारा इस जमीन का निस्तारण राष्ट्रीय अखबारों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर खुली बोली द्वारा किया जाए तो आंकी गई कीमत से भी अधिक कीमत प्राप्त हो सकेगी ।

अत: मैं इस अति लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।]

जिला पंचायत राज अधिकारी विहीन जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारियों की तैनाती करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस माननीय संदन एवं सरकार का ध्यान उन जनपदों की ओर

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आकृष्ट किया जाना है जिसमें लम्बे समय से जिला पंचायत राज अधिकारियों की तैनाती न होने के कारण जनहित की क्षति हो रही है । 73वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप ग्राम, क्षेत्र एवं जिला स्तर पर ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के उन्नति हेतु तमाम सरकारी योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के माध्यम से प्रत्येक जनपद में किया जा रहा है तथा शासन की भारी धनराशि व्यय की जा रही है । जिले स्तर पर उपरोक्त व्यवस्था की देख-रेख हेतु जिला पंचायत राज अधिकारियों की नियुक्ति की व्यवस्था है । प्रदेश में जितने जिले सृजित हैं उतने जिला पंचायत राज अधिकारी प्रदेश में कार्यरत हैं परन्तु अव्यवस्था के चलते प्रदेश के जनपद श्रावस्ती, गाजीपुर, अकबरपुर आदि में जिला पंचायत राज अधिकारियों की तैनाती नहीं की गई तथा यह जनपद पंचायत राज अधिकारी राज्य स्तर, मंडल स्तर एवं जिले स्तर पर सम्बद्ध रखे गये हैं । जिला पंचायत राज्य अधिकारियों की तैनाती न होने के कारण उक्त जनपदों की जनता काफी आक्रोश एवं रोष में है जो कभी भी जन आन्दोलन का रूप ले सकता है ।

अतएव उक्त लोकमहत्व के मामले में आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद-महाराजगंज में रोहित नदी पर बने त्रिमुहानी पुल के सेतु कर को समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र किशोर–

[मान्यवर, जनपद महाराजगंज से फरेन्दा रोड पर 30 वर्ष पूर्व बना त्रिमुहानी पुल का सेतु कर अभी भी वसूला जा रहा है जबकि अन्य जगहों पर सेतु कर समाप्त किया जा चुका है । उपरोक्त पुल क्षतिग्रस्त भी हो गया है । अभी तक उक्त पुल का सेतु कर लिये जाने से जनपदवासियों को काफी असुविधा हो रही है और जनमानस में आक्रोश व्याप्त है ।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद महाराजगंज में रोहित नदी पर बने त्रिमुहानी पुल के सेतु कर को समाप्त करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जिला चिकित्सालय सीतापुर में वातानुकूलित बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत–

[मान्यवर, जिला चिकित्सालय सीतापुर जो जनपद स्तर का एक मात्र ऐसा चिकित्सालय है जहां पर जिले से कोने-कोने से ग्रामीणांचल से आग से जले अथवा अग्नि कांड की दुर्घटनाओं के शिकार पीड़ित महिलाएं पुरुष व बच्चे इलाज के लिए जाते हैं और आइसोलेशन वार्ड में रखे जाते हैं जिसमें टिटनेस के रोगी भी रखे जाते हैं जिला चिकित्सालय में बर्न यूनिट न होने के कारण अधिकांश मरीजों की मृत्यु इन्फेक्शन के कारण हो जाती है । जिला चिकित्सालय सीतापुर में पूरे जनपदवासियों की तरफ से अलग से वातानुकूलित बर्न यूनिट बनाये जाने की मांग की जाती रही है । यदि चिकित्सालय सीतापुर

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में एक अलग से वातानुकूलित बर्न यूनिट स्थापित कर दी जाए तो पीड़ितों का सही इलाज होने के साथ गरीबों का इलाज भी संभव हो जायेगा और उन्हें असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है ।

अतएव इस अविलनम्बनीय लोकहित महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जिला चिकित्सालय सीतापुर में एक वातानुकूलित बर्न यूनिट की स्थापना किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद-अम्बेडकर नगर के तिलहारा घाट पर निजआ नाले पर अधूरे पुल के निर्माण को पूरा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा–

[मान्यवर, जनपद अम्बेडकरनगर में पूर्वांचल विकास निधि राज्य अंश के अन्तर्गत अकबरपुर हार्ल्टफातगंज मार्ग सेग तिलहारा घाट पर निजआ नाले पर पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ भी कर दिया गया पुराना पुल तोड़ कर नाले की दीवार खड़ी भी कर दी गई परन्तु इसके उपरान्त उक्त पुल का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड अम्बेडकरनगर द्वारा रोक दिया गया है । जिससे आम जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्रीय जनता में पुल निर्माण न होने से आक्रोश व्याप्त है ।

अस्तु इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उक्त अधूरे पुल के निर्माण की मांग करता हूं ।]

इलाहाबाद के दिवंगत जिला समाज कल्याण अधिकारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

[मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव की हत्या 15-12-04 को सायंकाल कर दी गई है । स्व0 श्रीवास्तव अपने कार्यालय में विभाग के कार्यों से संबंधित अनेकों गोपनीय अभिलेख रहते थे । इनकी हत्या शासकीय अभिलेखों की रक्षा और शासन की नीतियों के परिपालन में करते हुए स्व0 श्रीवास्तव के परिवार में उनकी पत्नी, 2 कन्यायें एवं एक पुत्र है जो अवयस्क हैं तथा इनकी पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से कम से कम 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करना सर्वथा उचित होगा । इस हेतु शासन से आग्रह करता हूं ।

आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल ने 22-12-2004 को तथा जिलाधिकारी, इलाहाबाद ने भी 20-12-2004 को प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को भी आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु निवेदन किया है ।

थाना-कर्नलगंज, इलाहाबाद में 15 दिसम्बर, 04 को एफ.आई.आर. दर्ज हुई है, परन्तु अभी तक अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जो कि चिन्ता की बात है । अत: तत्काल अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की अपेक्षा है ।

उपरोक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलंबनीय है अत: नियम 301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद-खीरी के श्रीनगर क्षेत्रान्तर्गत सुतिया नाले पर बांध का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, माननीय सदन के संज्ञान में एक अतिमहत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय लोकमहत्व सूचना लाना चाहती हूं ।

मेरे विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर, विकास खण्ड फूल बेहड़, गूम ग्राम सभा, लखीमपुर खीरी में पचपेड़ी घाट जो निधासन को जोड़ता है । सुतिया नाले पर बांध का निर्माण न होने के कारण आस-पास के ग्रामों की जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अत: मैं मांग करती हूं कि जनता के हित के लिए कृपया बांध बनवाये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 01 मार्च, 2005 को नियम-300 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुईं । इसके अतिरिक्त दिनांक 25-2-2005 को डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा दी गयी नियम-300 की सूचना को भी आज सुना जायेगा ।

पहली सूचना डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी की दिनांक 25-02-2005 को सदन मे अचानक विश्वास मत का प्रस्ताव रखे जाने के संबंध में । दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य व श्री लालजी वर्मा की भारत के संविधान तथा प्रक्रिया नियमावली में मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव रखने की व्यवस्था न होने के वावजूद दिनांक 25-02-2005 के उपवेशन में रखे गये उक्त प्रस्ताव के संबंध में, तीसरी सूचना श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, डॉ0 सुशील चौधरी तथा श्री श्याम सूरत उपाध्याय की दिनांक 25-02-2005 को सदन में प्रस्तुत विश्वास मत के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व नेता, विपक्ष की सहमति न लिये जाने के संबंध में । चौथी सूचना श्री हुकुम सिंह की भी इसी विषय पर है । पांचवी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मंत्रि परिषद् को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठक न बुलाये जाने के संबंध में है ।

मंत्रि-परिषद् को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों की बैठक न बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, पहले आप 25-02-2005 की सूचना पर अपनी बात रख लें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मेरी सूचना मंत्रि परिषद् को परामर्श देने वाली स्थाई समितियों की बैठक न बुलाये जाने के संबंध में है । इस संबंध में केवल इतना कहना है कि नियमावली के अन्तर्गत शासन के माननीय

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मंत्रीगणों को परामर्श देने के लिए आपके द्वारा माननीय विधायकों की एक समिति बनायी जाती है । उस समिति की बैठक पिछले कई वर्षों से नहीं बुलाने की परम्परा बढ़ती जा रही है । मान्यवर, इन समितियों में आपके द्वारा मनोनयन होता है । इसमें विधान सभा सचिवालय का समय भी लगता है । लेकिन धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि समितियों की बैठकें नहीं बुलायी जा रही हैं । अगर किसी कारणवश अब बैठक करना प्रासंगिक नहीं रह गया है तो नियमावली में, समितियों में मनोनयन के संबंध में प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाय । नियम बने रहें, आप मनोनयन करें और समिति बने तथा बैठक न हो यह उचित नहीं है । इस पर मैं आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपसे बैठकर बात करेंगे, जैसा आपका निर्देश होगा, जैसा आपका आदेश होगा उसका पालन किया जायेगा ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को थोड़ा गंभीर होना चाहिये । जो बैठक बुलायी जाये उसमें आना चाहिये । परिवहन विभाग की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुयी । एक भी माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हुये । तो नियमों का पालन दोनों तरफ से होना चाहिये । इसको भी आप संज्ञान में लें ।

श्री अध्यक्ष–

आपने बैठक बुलायी और माननीय सदस्य नहीं आये इसकी सूचना विधान सभा के कार्यालय को दी जानी चाहिये । केवल दो समितियों की, एक श्रम विभाग की समिति की और एक दूसरे विभाग की समिति की बैठक हुयी है । इसको गंभीरता से लेना चाहिये । जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा इसकी बैठक करके, विचार करके कोई रास्ता निकाला जायगा । अगर माननीय सदस्य नहीं आते हैं तो उसका कोई विकल्प ढूंढा जाना चाहिये ।

दिनांक 25 फरवरी, 2005 को सदन में विश्वास मत प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व नेता प्रतिपक्ष की सहमति न लिये जाने पर औचित्य का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विश्वास मत के बारे में मेरी सूचना थी ।

श्री अध्यक्ष–

सभी दलों से एक-एक नेता बोल लें ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है किसी एतबार से । जब प्रश्न नहीं बनता है तो मेरा निवेदन है कि इसको न लें । इस तरह से विश्वास मत पहले भी आया है और इस तरह का सवाल पहले सदन में नहीं उठा है । सरकार को पूरा विश्वास प्राप्त है । ऐसा पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है ।

श्री हुकुम सिंह–

कभी ऐसा नहीं हुआ है । यह पहली बार हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा पहले भी हो चुका है, हमारे संज्ञान में है कि ऐसा पहले भी हुआ है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, जिनकी सूचनायें हैं, दो-दो मिनट सुन लें ।

मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, हमें यह पता चल जाय कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नीयत क्या है । नीयत बता दें तो मैं साफ जवाब दे दूं । अगर औचित्य पर औचित्य के लिये बोलना चाहते हैं तो बात और है । पिछले वर्ष भी इसी तरह का प्रस्ताव हो चुका है । आप उठायेंगे तो हम जवाब देंगे । समय की मजबूरी है, थोड़ा जाना चाहता हूं । आपकी नीयत अविश्वास के प्रस्ताव की है तो बजट आ रहा है, उस पर विधेयक पेश होगा तो दोनों एक होकर शक्ति परीक्षण कर लेना । विषय तो नीयत का है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

सरकार को विश्वास मत प्राप्त करने की जरूरत क्या थी ? जबकि बहुमत पर प्रश्नचिन्ह नहीं लग रहा था । नियमावली के किस नियम के तहत विश्वास मत प्राप्त किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

आप सुन लीजिए हम भी इस पर बढ़िया व्यवस्था देना चाहते हैं ताकि बार-बार के लिए संकट खत्म हो जाय । हालांकि नेता सदन ने इस पर अपनी बात कह दी है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

हमारी सरकार के बहुमत पर प्रश्न चिन्ह लगाने की मंशा नहीं है । हमारी नियमावली और संसदीय परम्पराओं के पालन करने की बात है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर श्री हुकुम सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री प्रमोद कुमार को दो-दो मिनट सुन लेते हैं ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

नियमावली के नियम 300 को पढ़ लीजिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इस पर मुझे भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वर्मा जी इस पर सभी लोग नहीं बोलेंगे चूंकि यह बात सदन के संज्ञान में आ गई इसलिये मैंने कहा कि श्री हुकुम सिंह, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री प्रमोद कुमार दो-दो मिनट अपनी बात रख लें।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मेरी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तरफ से हुकुम सिंह जी बोल लेंगे ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं श्री हुकुम सिंह जी से श्री वाजपेयी जी से व अन्य सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर ज्यादा जोर न दें । यह सरकार भाग नहीं रही है कि 6 माह के लिए अलग हो जायें । इसलिये विश्वास मत प्राप्त कर लिया अभी धन विधेयक आएगा ।

श्री अध्यक्ष–

नेता सदन ने आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लिया है ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

अध्यक्ष महोदय, सदन नियमानुसार चलता है । परम्पराओं से चलता है । सरकार को अधिकार है वह कोई प्रस्ताव ला सकती है लेकिन प्रश्न यह है कि जब किसी ने सरकार के बहुमत के बारे में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया । प्रस्ताव आने के दो घण्टे पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुयी थी वहां पर विपक्ष के किसी माननीय सदस्य से इस संबंध में परामर्श नहीं किया गया न ही आपके कार्यालय को कोई औपचारिक रूप से सूचना दी गयी । सीधे यहां पर विश्वास मत का कागज आता है और सीधे उस पर प्रश्न उपस्थित किया जाता है और कार्यवाही में लिखवा दिया कि मंत्रिपरिषद् का विश्वास है । मंत्रिपरिषद् में विश्वास का प्रस्ताव अपने आप ही अस्थिरता उत्पन्न करता है । इस तरह के प्रस्ताव को लाने की कोई जरूरत नहीं थी । प्रस्ताव लाने से जनमानस के बीच यही संदेश जा रहा है कि सरकार जाने वाली है । इस तरह से एक नई परम्परा क्यों डाली जाय ? मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव पढ़ दिया और उस पर सदन में हां और न हो गई । मेरा अनुरोध है कि जिनकी नोटिस है उनको एक-एक मिनट दे दें । कि वे अपनी बात कह लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो ठीक है लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप भी उस समय वहां मौजूद थे । जब यह प्रस्ताव रखा जा रहा था तो आपने विरोध नहीं किया उस समय ।

श्री लालजी टण्डन–

कहा था ।

श्री अध्यक्ष–

आपने प्रस्ताव पास होने के बाद कहा । आपने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता थी ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, भगोड़े भी सवाल उठाने लगे ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं चलेगा । एक सूचना पर 25-25 आदमी हस्ताक्षर करें तो सबको तो मौका नहीं दिया जा सकता ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, मेरी सूचना पर अकेले मेरे हस्ताक्षर हैं । हुकुम सिंह जी के बाद मुझे भी बोलने का अवसर दें । पहले नम्बर की सूचना मेरी है, कहीं नियमों और परम्पराओं का पालन करेंगे आप कि केवल हाथ हिलायेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हुकुम सिंह जी और वाजपेयी जी में अग्रेयता के लिये विवाद चल रहा है । यह इनका आपसी द्वंद जब तक यह तय नहीं करेंगे तो आप किसको बुलायेंगे । आप भगोड़ों को भी समय देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में चन्द बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, 25 तारीख को जिस समय महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा समाप्त होने के बाद मतदान की स्थिति आने लगी उसी समय यह रखा गया कि सरकार के प्रति यह सदन विश्वास प्रकट करता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि एक प्रक्रिया निर्धारित है नियमावली के नियम-110 में उल्लेख है कि बिना सूचना के कौन-कौन से प्रस्ताव किये जा सकते हैं ? इसमें यह नहीं दिया गया है कि विश्वास मत बिना अनुज्ञा के आ सकता है ? नहीं आ सकता है तो उसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है और वह यह है कि नियमों को निलम्बित करते हुए अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन की अनुज्ञा लेनी चाहिए। मान्यवर, 25 तारीख को न तो आपकी अनुमति ली गई, यह तो आप जानें कि आपकी अनुमति ली गई कि नहीं और आपने दी ? अगर अनुमति हो जाती है तो वह सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद रखा जा सकता है । आपने कहा कि ऐसा पहले भी हुआ है । मैंने देखा है 1993 की कार्यवाही में देखा है और बकायदा अध्यक्ष की तरफ से कार्यवाही में अंकित है कि सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद ही प्रस्ताव रखा जायेगा । पहले अनुज्ञा ली गई और उसके बाद विश्वास मत का प्रस्ताव रखा गया । मान्यवर, 25 तारीख में यह नहीं हुआ । इस प्रकार सबसे उच्च पंचायत में नियमों का मखौल किया जायेगा । विश्वास मत का प्रस्ताव रखने के लिए न आपकी अनुज्ञा की आवश्यकता है ? न सदन की अनुज्ञा की, न कार्य मंत्रणा और न आपकी । इसके बाद नियम और नियमावली की भी कोई आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, जिस तरह से यहां पर विश्वास मत प्रस्ताव पास किया गया उससे जो संदेश जनता

में गया है और जैसा नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम 6 महीने के अन्दर जाने वाले नहीं हैं । आप अविश्वास का प्रस्ताव ले आयें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

हमने अविश्वास का प्रस्ताव नहीं कहा है । हमने कहा है कि धन विधेयक आयेगा, उस समय आप शक्ति परीक्षण करा लेना । आप शक्ति दिखाइयेगा, हम उधर बैठ जायेंगे जाकर । कई बार बैठ चुके हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

क्या शक्ति इतनी है कि हम नियमों को स्थगित कर दें ? सदन की परम्पराओं की अनदेखी कर दें? संदेश जो हम कह रहे हैं लोगों के बीच गया है वह यह गया है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक उधर गये हैं वे कितने संतुष्ट हैं ? यह भी शंका व्यक्त की जा रही है कि वे सरकार के पक्ष में नहीं है, इसलिये मत विभाजन नहीं किया खाली विश्वास मत का प्रस्ताव पास करा लिया । प्रदेश में यह भी चर्चा है कि यह सरकार जा रही है । यह सोच है कि मुख्यमंत्री जी यहां विश्वास दिखाकर महामहिम राज्यपाल को सिफारिश करने वाले हैं कि एसेम्बली को भंग कर दिया जाय । अनावश्यक रूप से सारे प्रदेश में एक चर्चा का विषय यह बना दिया कि यह सरकार अल्पमत में आ चुकी है । इसे अल्पमत से बचाने के लिए यह कार्यशैली अपनायी गयी है । ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी समाज और प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है । यह सरकार बहुमत खो चुकी है और विधान सभा भंग कराना चाहती है । मेरा आग्रह है इस कारण यह औचित्य का प्रश्न बन जाता है । मैं चाहता हूं जो कार्यवाही अनियमित हुई है उस अनियमित कार्यवाही को कार्यवाही में नहीं रहना चाहिए । आपको अधिकार है जो विश्वास मत बिना सदन की अनुज्ञा के प्राप्त किया गया है उसको कार्यवाही का हिस्सा माना गया है उसको कार्यवाही से हटा दिया जाए ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं आपको आश्वस्त करता हूं । औचित्य का प्रश्न उठाने का कारण क्या है ? आप घबड़ाओ मत, डरो मत, हम विधान सभा भंग नहीं करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

भंग करें या न करें होनी ही है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करते हैं ।

(मेजें थपथपाई गईं)

***श्री लालजी वर्मा–**

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत सदन को अधिकार है कि वह अपनी नियमावली

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बनावे और इसी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 बनाई गई है । इसमें विभिन्न प्रस्तावों के लिए प्रक्रिया दी गई है प्रस्ताव कैसे लाया जाए नियम-110 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन प्रस्तावों को बिना सूचना के सदन में अध्यक्ष की अनुज्ञा से लाया जा सकता है ? निश्चित रूप से मान्यवर विश्वासमत का प्रस्ताव था, लेकिन यह विषय विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम-110 में जो विषय दिए गए हैं उसके तहत नहीं है । संविधान में भी निश्चित रूप से कहीं भी विश्वास मत का कोई प्रयोजन नहीं दिया गया है । मान्यवर आप कहेंगे कि पहले हुआ है, परम्परा है तो जो परम्परायें रही हैं उसमें राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद् गठित करने के पहले इस बात का निर्देश दिया है एक महीने के अन्दर विषय गया है संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधान सभा को संदेश दिए जाने का अधिकार है आप मंत्रिपरिषद् को निर्देश दें कि यह संविधान के अनुसार हो ? उसके अनुसार विश्वास मत प्राप्त किया जा सके । विभिन्न अवसरों पर विश्वास मत सदन के सामने लाए गए हैं जो प्रस्ताव दिया गया है उसको कार्यमंत्रणा समिति है सदन सुपीरियर है, सदन सर्वोच्च है अगर इसको कार्यमंत्रणा समिति में नहीं दिया तो सदन की अनुज्ञा लेकर कोई विषय सदन में ला सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं किया गया । यह जो मान्यवर, विश्वास मत का प्रस्ताव 25 फरवरी को प्रस्तुत किया गया है उसमें न तो कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश ली गई और न ही आपके पास भेजा गया और न ही सदन की अनुज्ञा ली गई । 1970 का दृष्टान्त है जैसी परम्परा है उस समय माननीय सदन ने प्रस्ताव रखा कि अमुक सदस्य को निलंबित किया जाए वह प्रस्ताव कराया गया । लोगों को शंका हुई कि सरकार अल्पमत में तो नहीं आ गई है ? इसलिए प्रस्ताव किया गया । आज की परिस्थिति दूसरी है कोई विषय विचारणीय नहीं है । ऐसे में नियमों में भी यह नहीं है न तो ऐसा संविधान में है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई नई बात नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

उस प्रस्ताव को बिना नियमों के ले लिया गया । नियमों का उल्लंघन किया गया है यह सरकार की हताशा और निराशा का परिचायक है ।

(व्यवधान)

अगर यह प्रस्ताव सदन के सदस्यों को धमकाने के लिए लाया गया है यह प्रस्ताव जो अनधिकृत रूप से लाया गया है इसको सदन की कार्यवाही से निकालने की कृपा करें ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्रतापूर्वक आपका आभार व्यक्त करता हूं कि एक विवाद पर आपने मुझे भी अपने विचार रखने का अवसर दिया । आपसे कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यह कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की सूची में नहीं था और कार्य मंत्रणा समिति में लिया भी नहीं गया लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण स्वयं अपने आप में विश्वास प्रस्ताव होता है । राज्यपाल का अभिभाषण अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सदन पारित कर दे तो वह एक तरह से मंत्रि परिषद् में विश्वास समझा जाता है अन्यथा सरकार को नैतिकता के आधार पर त्याग-पत्र देना होता है । 1967 में चन्द्रभानु गुप्त की सरकार इसी आधार पर गिर गई थी । वह राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं करा पाए थे । लेकिन इस सरकार को तो राज्यपाल के अभिभाषण पर विश्वास मिला है, कोई विश्वास का संकट नहीं था । बजट एक-एक पारित होता है, उसमें जो बजट पारित हो जाएगा वह सरकार के विश्वास मत के बराबर ही है और एक पर भी अगर सरकार पराजित हो जाए तो वह सरकार पराजित समझी जाती है । मैं मानता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं था और सरकार को उसे लाना नहीं चाहिए था । जैसे ही मैं बाहर गया, मीडिया वाले पूछने लगे, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है ? आवश्यकता इसकी नहीं थी, लेकिन लाया गया । इसके दो संदेश हो सकते हैं कि 6 महीने तक विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं है । संविधान और नियमावली में मंत्रि परिषद् में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, राज्यपाल या राष्ट्रपति जैसी भी स्थिति होती है, वह इसके लिए निर्देश देते हैं, लेकिन ऐसा नियमावली में नहीं है । हमारे साथियों को जो एक भ्रम हो गया था, उस चिन्ता को भी मुख्यमंत्री जी ने दूर कर दिया कि विधान सभा भंग नहीं होगी । अध्यक्ष जी, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो नियमावली है उसके अनुसार जब तक नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों सहमत न हो जायें, तब तक कोई प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता है । नेता सदन तो सहमत थे और मौन सहमति थी, नेता विरोधी दल की क्योंकि उन्होंने खड़े होकर प्रतिकार नहीं किया यदि नेता विरोधी दल नहीं चाहते थे तो खड़े होकर कहना चाहिए था कि नेता सदन आप गलत प्रस्ताव ला रहे हैं क्योंकि नेता विरोधी दल खड़े नहीं हुए तो में समझता हूं कि अगर किसी गुप्त समझौते के तहत यह प्रस्ताव लाया गया है, मैं जानता हूं लेकिन ला नहीं सकता क्योंकि हमारी सदस्य संख्या नहीं है, 1/5 होनी चाहिए । बसपा की भी सदस्य संख्या नहीं है । यह तो मुख्यमंत्री जी का सौभाग्य है, टण्डन जी ला सकते हैं, भाजपा ला सकती है, लेकिन इतनी डरी है, हरियाणा के चुनाव के बाद, इनकी हालत इतनी खराब है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

बिहार में क्या हुआ ?

श्री प्रमोद कुमार–

भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा चुनाव के बाद पालिटिकल डायरिया हो गया है, इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो गई है, रही बात झारखण्ड और बिहार की, आप जो मंसूबे बांधे हैं वह पूरे नहीं होने वाले हैं, वहां सरकार धर्म निरपेक्ष दलों की ही बनेगी । अध्यक्ष जी, आपने औचित्य के प्रश्न पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं । लेकिन 180 दिन के अन्दर मंत्रि परिषद् के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु जो प्रस्ताव लाया गया है, इसको लाने की आवश्यकता नहीं थी ।

(डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया । आप बोलेंगे तो मौर्या जी भी बोलेंगे । मेरी बात मान लीजिए ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

अध्यक्ष जी, यह एक अलग सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं निर्णय भी देना चाहता हूं, आप रुकें न ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया । आपने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि यह सदन मंत्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है ? कार्य मंत्रणा समिति में आप लाये नहीं । आप कार्यवाही उठाकर देख लें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या यह बहस हो रही है ? यह किस नियम में बोल रहे हैं । आपसे अपना भी संरक्षण चाहूंगा, मान्यवर, क्या यह बहस हो रही है ? अगर यह बहस नहीं हो रही है, तो किस नियम के तहत हमारे विद्वान साथी डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी बोल रहे हैं ? जैसे आपने निर्देश दिया सभी दलों के माननीय नेतागण बोल लिये उसके बाद डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के बोलने का क्या औचित्य है ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, यह सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप मेरी बात सुन लें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

बराबर सदन का समय खराब करने की आदत हो गयी है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पेश नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न का जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है उसमें विभिन्न दलों के नेताओं को आपने सुना है । प्रारम्भ में ही नेता सदन ने पूरी बात कह दी थी उसके बाद इस पर चर्चा के लिए और ग्राह्यता पर कहने के लिए एक भी वाक्य नहीं था । डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बार-बार आग्रह किया कि हम इसको एकेडेमिक बहस के लिए ले जाना चाहते हैं ? मान्यवर, औचित्य का जो प्रश्न रखा है उसमें मात्र एक अनुच्छेद का जिक्र माननीय लालजी वर्मा जी ने किया कि आर्टिकल 208, जिसके तहत हम कार्य संचालन नियमों का निर्माण कर सकते हैं । इसके अलावा किस नियम का उल्लंघन हुआ

है इसका उल्लेख किसी माननीय सदस्य ने नहीं किया है न हुकुम सिंह जी ने किया है, न श्री लालजी टण्डन जी ने किया है । अगर डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अकेले विद्वान हैं तो यह उनका दुर्भाग्य है कि वह ऐसी जगह फंसे हैं कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते । पहले तो किसी भी नियमावली के किसी भी नियम के उल्लंघन का उल्लेख नहीं किया गया । इसलिए जैसाकि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी स्थिति में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । वस्तुस्थिति वही है ।

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-105 प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तें इसमें लिखा है कि कोई प्रस्ताव ग्राह्य हो सके तो इसके लिए वह निम्न शर्तें पूरी करेगा, अर्थात् कि--'उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा' इसलिये यह प्रश्न उचित है कि यह सदन मंत्रि परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है। इसके आगे 'उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंगात्मक पद, अभ्यारोप या मान हानिकारक कथन नहीं होंगे', श्रीमन् इसमें कोई भी मान-हानिकारक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया । 'उसमें व्यक्तियों की सार्वजनिक हैसियत के अतिरिक्त उनके आचरण या चरित्र के निर्देश नहीं होंगे', श्रीमन् बहुत लोगों के चरित्र के बारे में बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद भी कोई टिप्पणी नहीं की गयी । 'उसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा', 'उसमें ऐसे विषय पर फिर से चर्चा नहीं उठायी जायेगी जिस पर उसी सत्र में अथवा पिछले 6 मास के भीतर, जो भी समय पहले पड़ता हो, चर्चा हो चुकी हो' ।

श्री लालजी वर्मा–

आप क्या पढ़ रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं नियमावली पढ़ रहा हूं । इसमें आगे के बिन्दु में 'उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा नहीं की जाएगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की संभावना हो', 'वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अन्तर्गत हो ।' यह नियमावली में लिखा है मैंने पढ़ दिया ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

(व्यवधान)

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

वाजपेयी जी आप बैठ जायें । आपका लिखा नहीं जायेगा ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियमावली के किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

नोट :-[xxx] यह अंश माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । पहले पूरी बात तो सुन लें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, दूसरी बात जब माननीय नेता सदन ने यह प्रस्ताव रखा था तो उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष या और किसी सदस्य ने इस प्रस्ताव को रखे जाने का विरोध नहीं किया ।

(किया-किया की आवाजें)

जब प्रस्ताव विचारार्थ ले लिया और मत विभाजन के लिए आवाज दी और प्रश्न उपस्थित करने के बाद वह पारित हो गया तब अचानक माननीय सदस्य कहने लगे कि कैसे हो गया । सुरेश कुमार खन्ना जी ने कहा था । जब यह प्रस्ताव पूरी तरह से पारित हो गया है तो उस समय सवाल खड़ा किया गया । डॉ0 वाजपेयी जी ने एक सवाल उठाया है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा । मान्यवर, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-313 में है--**अवशिष्ट शक्तियां**--ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर 'निर्देश' करें और इसी में नियम-314 में है--**अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी**--"किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायेगी । मान्यवर, अंत में एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि यह सारे प्रश्न उठाने का कारण आज नियम-300 के समय का दुरुपयोग करने के अलावा इनकी कोई और मंशा नहीं है । कदाचित एक भ्रम है कि विश्वास प्रस्ताव रखने की जो प्रक्रिया है उसे शायद अविश्वास मत की प्रक्रिया से शामिल माना गया है । इसमें एक चौथाई की कोई बाध्यता नहीं है, न ही अनुज्ञा चाहिए । जो प्रस्ताव है वह पूरी तरह से नियमों के अन्तर्गत है । जो नेता सदन ने प्रस्ताव किया सदन ने उसे ध्वनि मत से पारित किया और उसमें आपका विनिश्चय भी हो गया इसलिये यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है और न ही औचित्य का प्रश्न बनता है । आपसे अनुरोध है कि इसे अग्राह्य कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रस्तुत सूचना पर मैंने हुकुम सिंह जी, लालजी वर्मा जी, प्रमोद कुमार जी और राजस्व मंत्री जी को सुना इस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं । मैं अपना डिसीजन कल दूंगा ।

माननीय नेता विरोधी दल जी को 1.00 बजे बोलना है । एक बजने वाला है ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, हमारी नियम-56 की सूचना है । एक दलित की बेटी का बलात्कार किया गया । आप भी बेटी के पिता हो, हम भी बेटी के पिता हैं । बाप के सामने बेटी का रेप किया गया । यह अति लोक महत्व की सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जायें । पहले वहां तक पहुंचने तो दें ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2003-2004) का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री अध्यक्ष–

मैं मद संख्या-4 ले रहा हूं ।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की नियम समिति (2003-2004) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2003-2004) का द्वितीय प्रतिवेदन †

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश' जी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2003-2004) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो जनपद महाराजगंज में कारागार निर्माण हेतु नवीन सेवा पर अप्राधिकृत व्यय से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2003-2004) का सैंतिसवां प्रतिवेदन †

श्री शिवकुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति (2003-2004) का 37वां प्रतिवेदन जो 'जनपद खीरी ग्राम-नटेरा तथा अगेठी, तहसील धौरहरा में वर्ष 1986-1987 के मध्य समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों मे आवंटन हेतु क्रय की गई भूमि घोटाले से संबंधित तीसवें प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के सम्बन्ध में है, को प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मद सं0 07, 08, 09 में कुछ नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम-311 में एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष को एक बजे बोलना है, समय हो रहा है, आप बैठ जायें ।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्य एक साथ खडे होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

---

†छपे नहीं गये ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 01 मार्च, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है--

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह की श्री राजबीर सिंह, चेयरमैन नगर पंचायत, एलम, मुजफ्फरनगर की पंजाब नेशनल बैंक से निकलते समय हत्या किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

दूसरी सूचना (1) श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, डॉ0 सुशील चौधरी, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, (2) श्री श्यामदेव राय चौधरी एवं (3) श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' की जनपद कौशाम्बी के श्री शिवसागर सिंह जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता की हत्या एवं वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एवं काशी विश्वनाथ मंदिर पर तैनात पी0ए0सी0 के जवान द्वारा की गयी हत्या के संबंध में है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम-311 में दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

जो सूचना आपने नियम-311 में दी थी उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है, 311 की परम्परा खत्म हो गई है । नियम-56 में हम आपकी सूचना को देख लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हुकुम सिंह जी, आप बोलिये, लेकिन केवल ग्राह्यता पर ही बोलियेगा ।

***श्री हुकुम सिंह–**

मान्यवर, मैं केवल ग्राह्यता पर ही बोलूंगा । मान्यवर, प्रदेश में जब भी कभी अपराधों की, कानून व्यवस्था की चर्चा होती है, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं एक तरफ से किये जाते हैं कि ज्यादा हो रहे हैं और सरकार की तरफ से आंकड़े पेश किये जाते हैं कि घट रहे हैं ।

मान्यवर, डेढ़ बजे दिन के मुजफ्फरनगर के एलम में पंजाब नेशनल बैंक के सामने वहां के नगर पंचायत के चेयरमैन श्री राजबीर सिंह जो हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे और एक वरिष्ठ नेता भी थे, उनके साथ प्रमोद नाम का एक व्यक्ति भी था, कुछ काम से बैंक गये थे, जैसे ही यह लोग बैंक से बाहर निकले, ताबड़तोड़ गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी गई । मान्यवर, पहले भी श्री राजबीर सिंह पर चार बार हमला किया जा चुका था जिसके लिए उन्हें सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की गई थी, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इतने बड़े वरिष्ठ नेता को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा । मान्यवर, दिन के डेढ़ बजे का समय हो, बैंक का प्रांगण हो, नेशनल हाई-वे हो और उससे सौ गज की दूरी पर पुलिस चौकी हो । वहां पर इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है, पुलिस वाले भी दुबक करके पीछे बैठ गये, एक आदमी भी बाहर निकल करके नहीं आया । मान्यवर, इसमें एक तो हत्यारे गिरफ्तार नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किए गए, उन पर दस-दस मुकदमे हत्याओं के, अपहरण के, लूट के, डकैती के चल रहे हैं, ऐसे अपराधी तत्व, ऐसी घटना कर दें, उसके बाद भी आज तक उनकी गिरफ्तारी न हो, न ही उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही हो । दूसरी चिन्ता की बात यह है कि जिस आदमी पर पहले भी कई हमले हो चुके हों तो फिर उसकी सुरक्षा को वापस लेने का क्या कारण था ? क्या इसके पीछे कोई दवाब था ? मान्यवर, श्री राजदीर सिंह का बेटा जिसकी उम्र 19 वर्ष है, उसकी भी जान का खतरा हो गया है क्योंकि अब वह हत्यारे यह कह रहे हैं कि अगर पेश होंगे तो उनके परिवार को खत्म करके पेश होंगे । क्या माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम उस बेटे की रक्षा के लिए सुरक्षा का आश्वासन देंगे? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर घटना के बारे में आज की कार्यवाही रोक करके चर्चा करवा लें ।

मुख्यमंत्री (मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, इस घटना को सरकार गम्भीरता से ले रही है और लॉबी में बैठे अधिकारियों को मैं निर्देशित करता हूं कि जिन्होंने हत्या की है, उनका विशेष गिरफ्तारी का इंतजाम किया जाए और उनके बेटे को सुरक्षा आज शाम तक उनके घर पहुंच जाए ।

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार और श्री जगदम्बिका पाल की है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, श्री शिव सागर सिंह जो कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे जिनकी हत्या हुई उनके अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही हो जाए और उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए यह मैं मांग मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूं ।

मान्यवर, वाराणसी में जो घटना हुई है ज्ञानवापी मस्जिद में और जिसमें साम्प्रदायिक ताकतें अफवाह फैला रही हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, आप देखें एक निश्चित सूचना पर दो घटनाओं की सूचनाएं दी जा रही हैं ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

मान्यवर, महोबा में दो जुड़वा बहनों की हत्या की गई और डाक्टर राजपूत की हत्या की गई है। मान्यवर, ज्ञानवापी में घटना के बाद सिपाहियों पर गोली चली है । एक सिपाही ने मारा और उसके बाद साम्प्रदायिक अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है जो कि निन्दात्मक है ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यह सूचना ग्राह्य नहीं है यह अनुरोध है चूंकि एक निश्चित सूचना में दो घटनाओं का उल्लेख नहीं हो सकता ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, एक सूचना पर दो घटनाओं का जिक्र कैसे आ सकता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

***श्री जगदम्बिका पाल–**

मान्यवर, आप प्रतिदिन बी0जे0पी0 के सदस्यों की कार्यस्थगन की पहली सूचना लेते हैं हम लोग कोई एतराज नहीं करते है अगर आपने हमें बोलने की अनुमति दे दी है तो इन वरिष्ठ सदस्यों को कहने का कष्ट करें कि हस्तक्षेप न करें । मान्यवर, सदन की कार्यवाही के संचालन का काम पीठ का है लेकिन यह काम करना माननीय वाजपेयी जी ने भी शुरु कर दिया है और एक संचालन यहां से भी होता है और यह निर्देश देते हैं कि ऐसा किया जाए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यवाही का संचालन पीठ करती है आप पाल जी शिव सागर वाले मामले पर बोलें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के लिए दो-तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं । एक तो विषय अत्यन्त लोकमहत्व का हो, अविलम्बनीय हो और घटना तात्कालिक हो ।

(व्यवधान)

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, एक सुनिश्चित घटना हो ।

श्री अध्यक्ष–

वह ठीक कह रहे हैं कि एक निश्चित घटना हो ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ज्ञानवापी में घटना हुई ।

श्री अध्यक्ष–

आप ज्ञानवापी पर न बोलें, शिव सागर वाले मामले पर बोलें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पिछले दिनों से इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब माननीय सदस्यों ने दो निश्चित घटनाओं पर सूचनाएं एक साथ दी हैं तो एक को भी नहीं सुना जाना चाहिए और यह सूचना अग्राह्य हो जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब अब आपकी बात हो गई ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि इस दल ने वहां पर अनावश्यक अफवाहें फैलाने की कोशिश की है ताकि साम्प्रदायिक तनाव बढ़े । पिछले दिनों लखनऊ में तनाव हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

आप साम्प्रदायिक तूल देना चाहते हैं ।

माननीय नेता विरोधी दल, आपके कई माननीय सदस्यों ने बनारस की घटना पर सूचनाएं दी हैं मैं चाहता हूं कि आप किसी एक माननीय सदस्य से उस पर बुलवा लें ताकि आपका भाषण शुरु हो सके।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक संगठित अफवाह फैलाने की चेष्टा की है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है और अगर इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो ठीक नहीं रहेगा, इसको आप देखें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कह दिया है, आपका बजट भी होना है आप चर्चा प्रारम्भ करेंगे बजट पर तो मैं चाहता हूं कि कोई एक बोल ले ।

***नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–**

मान्यवर, जिसमें एक नोटिस में दो घटनाएं आ गयीं उनको तो बोलने का इतना समय दिया और जिसमें सुनिश्चित एक घटना के बारे में दिया है उसको बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह तो रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर माननीय टण्डन जी के घर चौक जाना होगा तो हजरतगंज होकर ही जायेंगे । किसी घटना के बारे में बताने के लिए, इतना तो बताना ही होगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना कल 28 फरवरी की सुबह 10 बजे की । मान्यवर, वहां के ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में सुरक्षा बल लगाये जाते हैं । शिफ्ट में लगते हैं, रात दो बजे से जिन लोगों की ड्यूटी लगी थी वह 10 बजे अपनी ड्यूटी समाप्त करके फल फूल कटरा के सामने पी.ए.सी. की बसें खड़ी थीं उस पर वह लोग सवार हो चुके थे । एक सिपाही जो धीमी गति से आ रहा था उसका नाम था रामध्यान प्रजापति, वह जब बस के पास आया तो सूबेदार सूर्यनाथ मिश्र, उन्होंने कुछ टोक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

होगा इतने में रामध्यान प्रजापति ने फायर खोल दिया और वह वहीं करीब में फूल बाजार है, वह गोली गरीब फूल विक्रेता सुनील उर्फ बबलू भारद्वाज की खोपड़ी में जाकर लगी और उसकी खोपड़ी उड़ गयी तो इस पर पास में बैठे हुए पी.ए.सी. के सिपाही ने उसकी इस हरकत पर उसको दबोचना चाहा तो उसने फायर खोल दिया जिससे हैड कांस्टेबिल प्रेम सागर यादव, हैड कांस्टेबिल उमेश सिंह और उमाशंकर राय मारे गये और रामसूरत राय तथा सीताराम गौड़ गम्भीर रूप से घायल हो गए और जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और एक अन्य जय प्रकाश यादव और असलम अंसारी भी घायल हुए हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक तो जो ये सिपाही हैं इन लोगों की इतनी लम्बी ड्यूटी होती है, उबाऊ होती है कि वह मानसिक अवसाद में रहते हैं यह जांच का विषय होना चाहिए । आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्हें इसे जरूर देखना चाहिए ताकि मानसिक अवसाद में इस तरह की घटनाएं न घटित हों । दूसरी बात यह है कि एक समतामूलक समाज में समता की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और जाति धर्म और वर्ग के आधार पर जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वह नहीं होना चाहिए । मैं यह मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं । [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह पिछली बार भी कहा गया था, यह नहीं लिखा जायेगा, आप बैठें, हरीश जी खड़े हैं बोलने के लिए ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, यहां जो मरे हैं या जो घायल हुये हैं उनको भी उतना ही मुआवजा दिया जाय । अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि वहां जो बसें खड़ी होती हैं, इन जवानों को लाने और ले जाने के लिए, उससे पूरी सड़क जाम हो जाती है । इस समस्या के बारे में स्थानीय स्तर पर भी निवेदन किया गया था, इससे निजात दिलाई जाय ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय । हमारे यहां ऐसा नहीं होता । जिनकी मानसिकता, संस्कार ऐसे हैं, जो जाति-धर्म की बात करते हैं । हमारे यहां कोई जाति-धर्म नहीं है । कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। कुछ लोगों के संस्कार ही ऐसे हैं जो जाति धर्म की भावना की बात करते हैं । हमारी सरकार में इस तरह की कोई मानसिकता नहीं है ।

(श्री श्यामदेव राय चौधरी के पुन: खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आपका नहीं लिखा जायेगा, न कार्यवाही का अंग माना जायेगा ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'—

मान्यवर, इसमें जाति और मजहब की कोई बात नहीं है । हमारे सुरक्षाकर्मी पी0ए0सी0 के जवान ने अपने ही साथियों को मार दिया और एक निर्दोष लड़का सुनील भारद्वाज, उसकी भी जान चली गयी । इसमें जाति मजहब की कोई बात नहीं है । हमारे सुरक्षाकर्मी, जिनके ऊपर हम सबकी जानमाल की सुरक्षा का भार है, यदि वह ही ऐसा करेंगे तो यह गंभीर मामला है । मैं चाहूंगा कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय । साथ ही पी0ए0सी0 के मृतक जवानों की भांति जो निर्दोष मृतक है, उसको भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाय । वहां जनता में बड़ा आक्रोश है, आतंक और भय है, एकदम चलती हुई सड़क पर दिन के उजाले में व्यस्ततम क्षेत्रों में यह लोमहर्षक नरसंहार हुआ है । पर दिनदहाड़े व्यस्ततम क्षेत्र में अपने साथियों को उसने मारा है, इस घटना की उच्चस्तरीय जांच कराये जाने की मैं मांग करता हूं ।

***श्री सुखदेव राजभर—**

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जिनको केवल इसलिये टाल दिया जाता है कि कानून व्यवस्था पर बहस 4 तारीख को होने वाली है । ज्ञानवापी और नक्सलाइट बेल्ट में जो सिपाही और इंस्पेक्टर लगाये जाते हैं, वह यह समझते हैं कि हम सजायाफ्ता हो गये हैं, वह ड्यूटी पर फ्रस्ट्रेशन के मूड में जाते हैं और यह जो घटना हुयी है, यह उसी का फल है । वहां सुरक्षाकर्मियों में फ्रस्ट्रेशन है, यह वहां जाना नहीं चाहते हैं इसीलिये इतना बड़ा हादसा हो गया । आज ला एण्ड आर्डर के चक्कर में पब्लिक आर्डर बिगड़ रहा है और यहां कोई न कोई गुमराह करके माहौल खराब करेगा। हम यहां आपसे निवेदन कर रहे हैं, बोलने के लिए भीख मांग रहे हैं । यह जो जवान हादसा किया है, यह एक बड़े मर्डर का मुल्जिम रहा है, उसके बाद भी उसको वहां की ड्यूटी में लगाया गया । इस घटना में एक निर्दोष भी मारा गया, उसको भी 5 लाख का मुआवजा दिये जाने की मैं मांग कर रहा हूं। वह फूल बेचकर अपना गुजारा करता था, उसको भी 5 लाख का मुआवजा दिया जाय ।

***संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)—**

मान्यवर, बीसवीं वाहिनी पी0ए0सी0, आजमगढ़ की इस परिसर में ड्यूटी लगी हुई थी, 2 बजे से 10 बजे तक की ड्यूटी में थे । इस घटना की जितनी भी निन्दा की जाय, जितनी भी फिक्रमन्दी की जाए कम है । बहुत निन्दनीय है और बहुत ही बुरी घटना है । इस प्रकार की घटनाएं और भी हुई हैं, उसके लिए भी सरकार चिन्तित है और जो भी कार्यवाही मुमकिन हो सकती थी, सरकार ने की है । मान्यवर, इस तरह के मामलात कब, कहां पेश हो जाएं, इसके लिए कोई पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता लेकिन इस तरह की घटनाओं को रंग देना कि यह साम्प्रदायिक था, यह बड़े अन्याय की बात है । उसके लिए ऐसा माहौल बनाना, इस प्रकार का माहौल बनाना कि उक्त जाति वालों को इतना दिया गया, और उक्त जाति वालों को इतना दिया गया यह अच्छी बात नहीं है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने एक नई बात कह दी, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, जहां पर मैं हूं यहां पर भी वह रह चुके हैं, हमारे पूर्व संसदीय कार्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि वह टेंशन में रहते हैं और यह समझते हैं कि ऐसी जगह ड्यूटी लगाकर उनको कोई सजा दी गई है । मान्यवर, यह एक प्रक्रिया है, ट्रांसफर होते रहते हैं, किसी की कहीं ड्यूटी लगती है और किसी की कहीं पर लगती है, किसी न किसी को तो वहां पर जाना ही था । जहां तक पी0ए0सी0 का मामला है, पी0ए0सी0 की तो सारी जिन्दगी ही इसी तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गुजरती है, कहीं 24 घंटे के लिए, कहीं 48 घंटे के लिए और कहीं पर 2-3 दिन के लिए उन्हें भेजा जाता है । उनका तो मूवमेंट का ही मामला है, उनके ऊपर मूवमेंट की ही जिम्मेदारी है, इसी प्रकार की सुरक्षा में वह लगाये जाते हैं । लेकिन यह जो अचानक वाक्या हुआ है, सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है । गोली चली यह सबके सामने है, उसका पोस्ट मार्टम हो गया है, सम्बन्धित जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है और वह कस्टडी में है, हर तरह का परीक्षण किया जा रहा है कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया ? सरकार इस बात पर भी गम्भीर है कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था हो, जिससे कि ऐसे हालात न उत्पन्न हों । इसलिये मान्यवर, इसे अग्राह्य किया जाए ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो उत्तर दिया गया है, उससे इधर तो मैं उत्तर दिला नहीं सकता हूं । आपने अपना निवेदन कर दिया और उन्होंने उसे सुन लिया । दोनों सूचनाएं जो नियम-56 में थीं, उनको मैं अग्राह्य करता हूं और जब कानून व्यवस्था पर चर्चा होगी तब उस समय इस पर भी चर्चा कर ली जायेगी ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुईं, अत: अस्वीकृत हुईं, उनके नाम इस प्रकार हैं :--श्री नवाब सिंह नागर, श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री भरत सिंह, श्री दद्दू प्रसाद, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री उदयभान करवरिया, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री लालजी वर्मा, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री मुन्शीलाल गौतम, श्री रामहेत, श्री छोटे लाल वर्मा, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री कौशल किशोर, श्री धर्मपाल सिंह तथा डॉ0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी ।

माननीय नेता विरोधी दल आप अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और इसे लगातार दे रहा हूं । मैं चाहूंगा कि इसको आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, मैंने आपकी सूचना पढ़ी है । मैं आपको बुलाकर बात करना चाहता था । जिस तरह से सूचना लिखी गई है, वैसे नहीं लिखा जाता है । आज आप मेरे कक्ष में आ जाईएगा ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, मैंने नियम-56 में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी है । कृपा कर उसको सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सूचना निरस्त कर दी है, फिर दे दीजिएगा । माननीय नेता विरोधी दल आप बोलें ।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, मेरी सूचना ले लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है । आपने कहा था कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिए, कार्यस्थगन के समय उसे सुन लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है । उस पर वक्तव्य आ जायेगा । उस समय आप प्रश्न पूछ लीजिएगा ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, आप यह कह दीजिए कि इन दोनों की सूचनायें कल ले लेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, देख लेंगे ।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

***नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–**

मान्यवर, वर्ष 2005-2006 का जो बजट भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है उसके संबंध में उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं । पहले तो मुख्यमंत्री जी को उनकी इस कला के ऊपर बधाई देना चाहता हूं कि कभी गलत आंकड़ों पर और कभी आंकड़ों के जंजाल में वे सारे फैक्ट्स सदन के सामने आने नहीं पाते आते हैं तो अपने उत्तर में इस तरह से घुमा देते हैं कि जहां से लोग समझते ही नहीं हैं कि क्या सही है और क्या गलत है । बजट सरकार का आइना होता है । महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की जो नीति होती है, उसका प्रतिबिंब होता है । लेकिन बजट में यथार्थ सामने आता है । जो कुछ भी कहा गया है, इसमें यथार्थ कितना है ? मान्यवर, दूध कितना है और पानी कितना है, हमें इसकी विवेचना करनी होगी ? तथ्यों में काफी गैप है और काफी गुमराह करने वाला बजट है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं । राधेश्याम सिंह जी व दूसरे माननीय सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाएं ।

श्री लालजी टण्डन–

सारे प्रदेश की हकीकत को आप देखें तो आज समाज का हर वर्ग ऐसा नहीं है जो कष्ट में न हो और जो कष्ट में है उसके बारे में कोई दिशा निर्देश या रास्ता नहीं दिखाया गया है । मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर बहुत चर्चा हुई है । मुख्यमंत्री जी के पास जो आंकड़े हैं और जो आंकड़े हमारे पास हैं दोनों में एक बड़ा अन्तर है । ऑफिसियल आंकड़े नहीं मिलते हैं । आपके पास जो आंकड़े होते हैं और हमारे पास जो आंकड़े हैं इसमें बहुत अन्तर है । यह अन्तर क्यों है ? इसलिए है कि यथार्थ आंकड़ा नहीं मिलता । ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए । बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए । आज प्रदेश में हृदय विदारक घटनायें हो रही हैं, तमाम घटनायें अभी दो-एक दिन में घटित हुई हैं । आप कह रहे हैं कि अपराध कम हो रहा है और पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कमी आयी है । मान्यवर, अगर अपराधों में कमी आयी है तो फिर एक पिता के सामने उसकी नाबालिग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया यह क्या बताता है । सरकार को रूडलेसली इसको क्रश करना चाहिये लेकिन कोई न कोई मजबूरी जरूर है । अभी दो सगी बहनों के साथ बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गयी और बाहर निकलते समय जो भी मिला उसको मार दिया गया । यह घटनायें क्या बताती हैं । यह लोमहर्षक घटनायें किधर ले जाना चाहती हैं । मेरा अनुरोध है कि इसको दबाने और छिपाने से और आंकड़े पेश कर देने से इन पर रोक नहीं लगायी जा सकती । इसके जिम्मेदार लोगों को सजा देनी चाहिये । आज सत्ता के केन्द्र अकेले मुख्यमंत्री नहीं रह गये हैं, सत्ता के 2-3 केन्द्र हो गये हैं । मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे लेकिन दूसरा सत्ता का केन्द्र बीच मे आ जायगा और कहेगा कि यह नहीं होगा, आदेश स्टे हो जायगा । इसका नतीजा यह होता है कि अपराधी सींखचों के पीछे नहीं जा पाते हैं और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं । नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं । मैं चाहूंगा कि यह जो जघन्य अपराध हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाय । प्रशासन को कठोर होना चाहिये । विपक्ष जो कहता है उसका मतलब कठघरे में खड़े करना नहीं है, हम आपको आइना दिखाते हैं कि आज यह-यह हो रहा है अगर सच है तो कार्यवाही करें । इससे आपकी पर्सनालिटी का विकास होगा । आप तीसरा मोर्चा बना रहे हैं ।

मुझे खुशी होगी कि जब मैं सुनुंगा कि उत्तर प्रदेश ने एक प्रधानमंत्री दिया है । आपका तीसरा मोर्चा कामयाब हो इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है । लेकिन आप जहां हैं वहां आपको देखना चाहिए कि आज क्या हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है । आप लोहिया जी का नाम लेते हैं तो आपको लोहिया जी वाले तेवर दिखाने चाहिये । मान्यवर, अब मैं बजट के बारे में कहना चाहता हूं । यह घाटे का बजट है, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी इसमें कहीं कोई निर्देश नहीं है । वार्षिक योजना के बारे में मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि भारत सरकार से उम्मीद से ज्यादा मिला है । लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि भारत सरकार से सहायता न मिलने के कारण काम रुका हुआ है । तो यह दोनों बातें विरोधाभाषी हैं, इसमें कौन सी सही है, मैं समझता हूं कि उनकी बाद वाली बात ज्यादा सही है । भारत सरकार से पैसा नहीं मिलता है यह कहना उचित नहीं है । वार्षिक योजना के लिए हम जितना राज्य के संसाधनों से आय दिखायेंगे उसी के अनुपात में केन्द्र मदद देगा । हमारे संसाधन नहीं होंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा । इस बजट का नाम सुनकर जरा मुझे आश्चर्य हुआ कि यह जेंडर बजट है । घाटे का बजट, मुनाफे का बजट, विकासोन्मुख बजट तो सुना था लेकिन यह जेंडर बजट जो कहा गया तो मैं समझता हूं कि यह कॉमन जेंडर है इससे कुछ निकलता नहीं है । 13,500 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना का प्रारूप और एक हजार करोड़ रुपये के संसाधन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी वहां आश्वासन देकर आए हैं । यह एक हजार करोड़ रुपया कहां से आएगा । इसमें इसका कोई साधन नहीं बताया गया है । कोई आमदनी का जरिया नहीं बताया गया है जहां से यह पैसा आएगा और यह वार्षिक योजना पूरी होगी । यह घाटा इसलिये हर साल बढ़ता जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष प्रति व्यक्ति 6, 488 रुपये का कर्जा था वह आज बढ़कर 7, 175.25 रुपये हो गया है आगे जो बजट आएगा उसमें यह कर्जा और बढ़ेगा । इस कर्जे के बारे में हरेक कोई कहता है कि यह हमारे समय का नहीं है पिछली जो नालायक सरकारें रही हैं उसके कारण यह कर्जा बढ़ा है । लेकिन कर्जा घटाने के लिए कौन उत्तरदायी है । इस बजट से 13 हजार करोड़ का कर्जा और बढ़ेगा । यह भी अनुमान है कि इस साल अन्त तक 116 करोड़ रुपये और बढ़ जायेंगे । राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष 4.4 प्रतिशत था जो इस वर्ष के अन्त तक बढ़कर 5.3 प्रतिशत हो जायेगा । राजस्व घाटे को कम करने के लिए कहा गया वह सम्भव नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने कानून बनाया है उसका पालन मुख्यमंत्री जी ने भी किया है दोनों सदनों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत से ज्यादा मंत्री मंत्रिपरिषद् में नहीं रहेंगे लेकिन यहां पर जिनको

मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया है वे ऐसे विभाग में हैं जहां पर न तो कुछ है और जिनको निगमों में अध्यक्ष बनाकर मंत्रीपद का दर्जा दिया गया है यह ऐसे निगम हैं जहां तनख्वाह नहीं मिल रही हैं कर्मचारियों को लेकिन एक-एक मंत्री वहां पर आपने बिठा दिया पहले भी चेयरमैन होते थे दर्जा मंत्री का होता था लेकिन मंत्री पद नहीं दिया जाता था मंत्री पद देने से उसके साथ कई तरह के खर्च बढ़ रहे हैं डूबती हुई नाव के ऊपर आपने एक बड़ा पत्थर और रख दिया । अगर आप लोग यह सब जानते तो क्यों यह ऐसा बजट आता । क्योंकि न आप इसे समझते हैं और न इसके बारे में कुछ मालूम है । मैं बजट के ही आंकड़े बता रहा हूं ।

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहें ।

श्री लालजी टण्डन–

यह संविधान विरोधी बात है । मान्यवर, 2005-2006 के बजट में 69295.19 करोड़ रुपये का कुल व्यय होगा और इसमें 18935 दशमलव समथिंग यह इतना घाटा होगा । राजस्व का घाटा तो होगा ही । राजस्व में कोई बढ़ात्तरी नहीं होगी तो विकास कहां से होगा । यही कारण था कि पिछले वर्ष कितना पैसा केन्द्र सरकार से स्वीकृत होकर आया और यहां व्यय ही नहीं हुआ और वापस चला गया। हम यहां संसाधन के लिए चिल्ला रहे हैं और जो पैसा आ रहा है वह वापस जा रहा है । हो यह रहा है कि सारी की सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त की जा रही है । सारे संवैधानिक तंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है । मान्यवर, फिर क्या कोई प्रस्ताव आ गया है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रस्ताव नहीं है । माननीय सदस्य गोरखपुर ने चाहा है कि उनको आज बोलने का अवसर मिल जाय । वे डाक्टर भी हैं और उनको मरीजों को भी देखना होता है । जल्दी जाना चाहते हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

तो मान्यवर, यह घाटे का बजट कैसे पूरा करेंगे और इस घाटे में वह सब सम्मिलित नहीं है, जिन कर्मचारियों को 3-3 साल से वेतन नहीं मिल रहा है ?

(सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें ।

श्री लालजी टण्डन–

आप अपनी जिम्मेदारी तो ओढ़िये । डेढ़ साल हो गया है, क्यों नहीं तनख्वाहें दे रहे हैं । जो पिछली सरकारों के समय का बकाया है वह तो उन्होंने नहीं दिया लेकिन जब से आप आये हैं आप क्यों

नहीं दे रहे हैं ? आप कहते कि लो हम पैसा दे रहे हैं पिछली सरकारों का बकाया भी दे रहे हैं । ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने अपराध को पिछली सरकार के ऊपर डालकर मुक्त हो जायं । सरकारों की तो कन्टीन्यूटी होती है । आपको जो लायबिलिटी मिली है उसको आप पूरा करिये यह आपकी जिम्मेदारी है । राजस्व व्यय 48071.08 करोड़ व्यय होगा । पूंजीगत व्यय 21,224 करोड़ रुपये होगा। मान्यवर, आज अगर इन सबको जोड़कर यह व्यय घटा दें तो राजस्व क्या बचता है ? राजस्व में जो यहां का प्रशासनिक व्यय है वह निकल जाय तो काफी है । उससे विकास कहां से होगा ? कहां से पैसा आयेगा विकास करने के लिए ? राजस्व में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पूंजीगत आपके पास बढ़ नहीं रहा है, योजनागत में आप स्वयं कह रहे हैं कि भारत सरकार पक्षपात कर रही है । भारत सरकार पक्षपात कर रही है फिर भी हम समर्थन कर रहे हैं । एक नई परम्परा चल रही है वे सड़क के ऊपर चिल्लाते हैं फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं । आप कहते हैं कि वे पक्षपात कर रहे हैं फिर भी आप समर्थन कर रहे हैं । एक नई परम्परा बढ़ाने जा रहे हैं । मान्यवर जो संसाधन हैं ।

(श्री जगदम्बिका पाल के कुछ कहने पर)

श्री लालजी टण्डन–

अब आपके इतनी बुद्धि होती तो एक दिन क्यों मुख्यमंत्री रहते ?

(हँसी)

श्री जगदम्बिका पाल–

टण्डन जी पुराना इतिहास रहा है मीरजाफर का, उस समय भी बुद्धि का सवाल नहीं था विश्वासघात का सवाल था ।

श्री लालजी टण्डन–

विश्वासघात करना और सहना दोनों आपका स्वभाव है । मान्यवर तीन साल के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो पैसा खर्चा नहीं हो पाया है 2002-2003 में 653 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हो पाया है भारत सरकार से पैसा आया और वह लौट गया । 2003-2004 में 1397 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ है 2004-2005 के बजट में 1909 हजार 661 करोड़ रुपया आया था इसमें 8 हजार करोड़ रुपया खर्चा हुआ 1661 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ है । एक तरफ संसाधन नहीं हैं दूसरी तरफ पैसा आ रहा है वह खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं । इसका कारण यह है जब वित्तीय अनुशासन ढीला हो जाता है तो इसी तरह होता है । आपको बचाने वाला कोई नहीं है जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं इन्होंने तय कर लिया है कि एक-दो लोग जो कहेंगे वह कर दो तो वह अपनी जगह सुरक्षित हैं । क्या जरूरत है दिमाग लगाने की । कोइ रिस्क लेने की, भयग्रस्त मानसिकता के साथ ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती है इसकी अपनी स्वायत्ता है निर्देश दे सकते हैं हाथ पैर डालकर कलम पकड़कर दस्तखत नहीं कराये जा रहे हैं लेकिन मजबूर करके दस्तखत कराये जा रहे हैं । बहुत अच्छे अधिकारी हैं उनको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है । बुद्धि में ताला डाल दिया है और उसकी चाभी यहां पर है आपके पास । जब तक वह ताला खुलेगा नहीं कुछ होगा नहीं । प्राथमिकता के क्षेत्र बताए गए उसमें एक ऊर्जा का क्षेत्र है पूरे बजट को देख लें तो ऊर्जा के लिए कोई धनराशि नहीं बढ़ाई गई है । अगर आप निजी क्षेत्र से बिजली लेंगे

तो वह आपको मुफ्त देने वाली नहीं है । उनसे भी खरीदनी पड़ेगी ।बजट में कोई प्राविधान नहीं है खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे नहीं तो देंगे कहां से । पूरी मोनोपोली निजी क्षेत्रों के हाथों में होने जा रही है । एन0टी0पी0सी0 से तो रो गाकर मोहलत लेते हैं कुछ देते हैं कुछ नहीं नरेश जी जानते हैं। लेकिन यह निजी क्षेत्र के लोग आपको ऐसे एक भी नहीं देंगे । निजी क्षेत्र के लोग यहां पर बिजली का उत्पादन करने का खूब आश्वासन दे रहे हैं लेकिन प्रगति हो नहीं रही है । मेंने बताया था, आप कुमार मंगलम् का एक पत्र दिखा रहे थे, यह वही है 10-12 साल पहले रोजा में पावर हाउस लगाने का आफर दिया था, पी0पी0ए0 हो गया और आश बनाये रखी गई । आज हम फिर धोखा खा रहे हैं कि वही बिड़ला लगा देंगे । आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप जो प्रयास कर रहे हैं हम उसके विरोधी नहीं हैं । हम चाहते हैं कि निजी पूंजी ज्यादा से ज्यादा निवेश हो लेकिन सबका इतिहास तो देख लें । जो प्रयास पहले हुआ है उसको तो देख लें । मान्यवर, पावर हमारी प्राथमिकता में है लेकिन उसमें हम कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं दे रहे हैं । हम अपने साधन लगा सकते हैं लेकिन उस तरफ भी हमारा कोई प्रयास नहीं है आपने निजी क्षेत्र में इसे लगाने का फैसला लिया है वह तो आप देखेंगे । मै तीन बार यहां उठा चुका हूं कि आप बहुत ज्यादा कान्फीडेन्स में हैं, लेकिन जो पूंजीपति हैं उनके लिए सबसे बड़ा काम मुनाफा है, जब तक वह नहीं आएगा तब तक वह कुछ नहीं करेंगे । इसलिए आप इसको सावधान होकर करें । यदि हम कहते हैं तो आपके मित्र कहते हैं कि आपकी नीतियों का हम विरोध करते हैं । यदि आपने भी गलती की जो हम कर चुके हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, 1991 में मैं ऊर्जा मंत्री था, विष्णु प्रयाग परियोजना जे0पी0 को दी गई थी, 3 साल में पूरा करने का वादा था, आज वर्ष 1991 से 2005 आ गया है, 14 साल हो गए हैं । लोग कहते हैं कि 12 साल में घूरे के भी दिन बहुर जाते हैं ।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

2006 में चल जायेगी ।

श्री लालजी टण्डन–

आपको उसमें कठोरता करनी होगी । टिहरी बांध, आखिर भारत सरकार क्या चाहती है, उत्तरांचल को भी कोई आपत्ति नहीं है उसके बन जाने से हमें 1000 मेगावॉट से ज्यादा बिजली तत्काल मिलने लगेगी और वह तैयारी के करीब है, थोड़ा जोर लगाने की बात है । मनेरी भाली, यह भी प्राइवेट क्षेत्र मे दी गई थी, इसके भी बनते-बनते वर्षों हो रहे हैं । आज आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमने तो उस समय प्रयोग किया था जब प्राइवेटाइजेशन का नाम लेते ही उत्तर प्रदेश में बिजली बन्द हो जाती थी । लेकिन मैं कहता था कि यह आपको अधिकार नहीं है, नीति बनाने का काम सरकार का है और हम उसके ऊपर नहीं दबे । इसलिये तत्काल जहां से आपको बिजली मिल सकती है, ऐसी परियोजनाओं पर ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है । आप सभी जानते हैं, कोई भी पावर परियोजना लगाने में 4-5 साल का न्यूनतम समय लगता है, जब बड़ी तेजी से काम चले । आप कहते थे कि दो साल में करा देंगे, डेढ़ साल बीत गये हैं । इसलिए मान्यवर, जब हम पिछली सरकारों की आलोचना करते हैं तो उनसे हमें अनुभव भी लेना चाहिए कि उन्होंने जो किया था उसका परिणाम क्या हुआ और जो हम कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए सेफ्टीवाल हमने लगायी है कि नहीं ।

मान्यवर, आवास के क्षेत्र में हमने यह कहा था कि जो बड़ी परियोजनाएं चलती हैं इसमें जो उसके लिए बिल्डर्स हैं अगर उनकी हैसियत है, अगर उनके पास सारी टेक्नालॉजी है, तो उसकी

जानकारी करने के बाद, जांच करने के बाद अगर सही पाई जाती है तो उन्हें दीजिए । लेकिन हो यह रहा है कि उन्हें मोबिलाइज किया जा रहा है । होना यह चाहिए कि जो छोटा है वह भी काम करे और जो बड़ा है वह भी काम करे । अगर कोई उसके बारे में कुछ कहे तो ठीक है लेकिन अगर पूरी बात सामने आने के बजाये उसको दण्डित किया जाये, यह उचित नहीं है । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सारे प्रदेश में विकास प्राधिकरण कर्जामुक्त हो गए थे । दो-चार को छोड़कर जिनकी हालत बहुत खराब थी उनको छोड़कर । सबसे ज्यादा खराब हालत, ज्वलंत हालत गाजियाबाद की थी । सारे भारत के आवास प्रतिनिधियों के सम्मेलन में छाती ठोककर हमने कहा था कि हमने विकास प्राधिकरणों को कर्जविहीन कर दिया और कई सौ करोड़ रुपये की एफ0डी0 उनकी बन गई है । लेकिन अब यह कर्ज की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं । अब इसमें जो केन्द्र सरकार का कर्जा होगा वह केवल राजस्व विकास को प्रभावित नहीं करेगा बल्कि योजनागत विकास को भी प्रभावित करेगा । क्योंकि केन्द्र से जो कर्ज लिया होगा तो वह राशि तो केन्द्र काट लेगा । एक हकीकत की तरफ चलें । अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को अप्रिय लग रहा हो तो । अगर आप यह कहते हैं कि मैं आपके प्रति कुछ मिला हुआ हूं तो इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्हें तो आपको ब्लेकमेल करके अपना काम कराना है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, ब्लेकमेल तो भाई-बहन में होता था । पूरे प्रदेश की जनता देखती थी कि एक तरफ रक्षाबन्धन की दुहाई दी जाती थी और दूसरी तरफ किस प्रकार से ब्लेकमेलिंग होती थी । इस तरह की दुहाई क्यों दे रहे हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

आपको देखकर याद आ जाता है । मान्यवर, शहरी विकास को आपको गम्भीरता से देखना चाहिए कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुईं कि तीसरे का वक्त आ रहा है । आज नगरों का विकास करना चाहिए और जो उनकी संवैधानिक हिस्सेदारी बनती है जिसके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं । उस आयोग की रिकमंडेशन अभी तक नहीं मानी है । नहीं मानना है तो इंकार कर दें लेकिन उस पर कोई फैसला तो करें । भारत का 74वाँ संविधान संशोधन केवल इसलिये किया गया था । कि यह जो स्थानीय निकाय है इनको आत्मनिर्भर माना जाय और उसके लिये स्व0 राजीव गाँधी जी ने बहुत प्रयास किया था । यह लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं बस सोनिया गाँधी की जय बोल देते हैं । तो मान्यवर, राजीव गाँधी का बड़ा भारी योगदान था स्थानीय निकायों को शक्तिशाली बनाने के लिए । उन्होंने चौहत्तरवें संशोधन में यह कल्पना की थी डॉ0 लोहिया जी ने और दीनदयाल जी ने इसकी कल्पना की थी । लेकिन ये इसे स्वाबलम्बी नहीं बनाना चाहते हैं, एक स्थानीय सरकार चाहते हैं और उसके लिए एक विधेयक पेश किया है । मंत्री जी सबको हटाना चाहते थे लेकिन न्यायालय से स्टे हो गया । क्या मजाक है, जनता चुनकर भेजती है और आप जांच कराकर हटा देंगे। व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए । मुझे मालूम है जिससे वह पीड़ित हैं वह रामपुर की महिला चेयरमैन है । लेकिन एक के लिए सारे लोकतंत्र को जड़ से क्यों काटकर फेंक रहे हो । मैं जानता हूं कि आप भी सहमत नहीं होंगे लेकिन पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है कि आजम खाँ जी जो चाहे कह दें और जो चाहे कर डालें । हमारे सामने यदि कोई शिकायत आयी तो हमने सीधे सचिव को भेज दिया वहां से डी0एम0 को भेज दिया गया और उसमें रिपोर्ट आ गयी । अगर गुनाहगार है तो जवाब के लिए अवसर दिया, अगर सेटिसफैक्टरी नहीं है तो हटाया और अगर वह न्यायालय से स्टे ले आया तो यह उसका अधिकार है ।

आज यह सारी प्रक्रिया खत्म है । आप सारे विभाग देख लीजिए सबसे ज्यादा न्यायालय के आदेश नगर विकास विभाग में है, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है । जल निगम इसलिए बनाया गया था कि वह अपने राजस्व के ऊपर निर्भर होगा । अगर अपने संसाधन से एक ऐसी संस्था बनकर खड़ी हो जो कि प्रदेश भर में पानी के जल निस्तारण और संभरण देने का काम करे उसे आप एक पैसा नहीं देते हैं, हां जो काम होते हैं, विभागों से लेकर उन कामों को उनके द्वारा चलाया जाता है, जो सेन्टेज चार्जेस मिलते हैं, उससे सारा खर्च चलता है । उसका अलग से विधान है । उसमें चीफ सैक्रेट्री रैंक के अधिकारी चेयरमैन हुआ करते थे आज उसको हटाकर मंत्रीजी स्वयं चेयरमैन बन गए हैं, उसका परिणाम यह हो रहा है कि जल निगम खत्म हो रहा है । अगर इसी को आप प्रशासनिक सुधार कहते हैं तो यह आपको मुबारक हो । क्योंकि एक विभाग है मंत्री का और उसमें जो कमाऊ कारपोरेशन है उसमें से निकलकर दूसरे मंत्री जी के पास आ जाय, या जो अधिकारी के पास है, स्वयं मंत्री जी छीनकर ले लेंगे तो यह इस्टेबिलिश सिस्टम को न डिस्टर्ब करें । हाँ आप कोई नई योजना बनायें । लेकिन जो विधान है, जो सदन से आपने पास किया है बिना संशोधन किये उसमें जो स्वयं संशोधन किया है तो यह असंवैधानिक है और नगर विकास मंत्री जी ने किया है यह उचित नहीं है । वक्फ मंत्री कोई है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन स्वयं हैं । ऐसा लगता है कि नगर पंचायत के चेयरमैन स्वयं बनना चाहते हैं । जो विधेयक यहां आ रहा है उसका सीधा मतलब यह है कि स्थिति यहां से कन्ट्रोल है । जो कुछ करना है हम करें, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है । आप अनुभवी हैं, इन चीजों का प्रभाव पड़ता है, विकास पर उनका बहुत असर पड़ता है । जब तक आप द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करेंगे, उनका संशोधन कहां से जोड़ेंगे, जो विकास के लिए दी गई थी, जिससे जनता की आमदनी बढ़ी थी, वह सब रोक दिया गया । आप अन्यथा नहीं लेंगे मैं कोई उसको बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ईश्वर करे प्रदेश का हर गांव सैफई जैसा हो, लेकिन अगर आप उस क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, एक बात समझ में आ सकती है, लेकिन बाकी सब जगहों का हक काट करके केवल रामपुर में चला जाएगा तो बाकी को क्या भाड़ में झोंक देंगे ? तो इसलिये आज हम, अगर आपको सत्ता मिली है तो उसमें कोई अंकुश करना चाहते हैं, आपकी बराबर भावना निकलती है, आपकी दिल से इच्छा है तो विकास हो, लेकिन यह लक्षण है, इसमें कोई विकास कार्य हो सकता है ? आज सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं, कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है । आपसे सारे प्रदेश के चेयरमैन मिले भी थे और उन्होंने आपको सारी बातें बताई भी थीं कि ए0ई0 लूट रहे हैं और वह चेयरमैनों की बात सुनते ही नहीं हैं । जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनका आप एक तरह से राजतिलक कर रहे हैं, उसको सजा क्या दे पायेंगे आप, यहां से चिट्ठियां जाने लगी हैं कि कहां-कहां काम कराये जायेंगे और कहां-कहां नहीं कराये जायेंगे । जो सौगन्ध खाई थी अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता उसी समय खत्म कर दी जानी चाहिए । कसमें खाली खाने के लिए नहीं होती हैं, कसम खाने का मतलब यह है कि हम उस आधार पर भेद-भाव विहीन शासन देना चाहते हैं, हम सौगन्ध खाते हैं कि हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, हम किसी के साथ भेद-भाव नहीं करेंगे सबको एक समान दृष्टि से देखेंगे । अगर वहां पर भेद-भाव हो रहा है, वहां पर असमानता हो रही है, अगर वहां इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो यह सौगन्ध कहां गई और अन्त में अपनी गलती मानने के बजाए यह कहना चाहेंगे कि राज्यपाल मेरे पीछे पड़े हैं, जैसे यह भाग रहे हों और इनके पीछे-पीछे राज्यपाल दौड़ रहे हों कि पकड़ लो एक विषय हो सकता है जिसमें राज्यपाल इनके पक्ष का नहीं हो सकते हैं, लेकिन बाकी हर बात में राज्यपाल को घसीट लेना उनका रोज का काम हो गया है, हर चीज को साम्प्रदायिकता से जोड़ देना उनका काम हो गया है। आज कितने वर्षों के बाद लखनऊ में समझौता करके लखनऊ में जुलूस निकलवाना शुरु किया था और इस

वर्ष दंगा हो गया और क्यों हो गया, इसके ऊपर आप गम्भीरता से विचार करें । केवल एक सज्जन हैं जिन्होंने समझौते में लिखा था कि इतने-इतने स्थान हैं, जहां से जुलूस निकलेगा, हर साल जुलूस निकल जाते हैं, लेकिन इस साल दंगा हो गया । प्रशासन भी क्या कर सकता है कि इस रूट से जुलूस नहीं निकलना है और इस रूट से बहुत से निकलने हैं, स्वाभाविक है कि प्रशासन की शक्ति उस रूट पर ज्यादा लगेगी जहां से ज्यादा निकलने हैं और जहां से कम निकलने हैं वहां पर प्रिकाशनरी रहेंगे और वहां से ज्यादा निकल गए और दंगा हो गया, लोग भिड़ गए तो निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं । जब कहीं अन्य इस तरह की घटना हो जाती है और लोग मारे जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं कि आप वैसा ही मुआवजा दीजिए जैसा लखनऊ में दिया गया है । हम इसको बुरा नहीं मानते हैं । आप और ज्यादा दीजिए, लेकिन पैमाने अलग-अलग न हों । आपके बजट में कई जगह वर्णन है, कि पांच हजार मुस्लिम को रिक्शा चलाने के लिए पैसा दिया जायेगा । तो जो हिन्दू हैं उनको क्या गोमती में बहा दिया जायेगा । ऐसी बातें क्यों ?आप पांच हजार नहीं पचास हजार मुस्लिम को यह पैसा दीजिए लेकिन जो हिन्दू हमारे गरीब हैं उनके बारे में भी सोचें, उन्होंने क्या पाप किया है क्या इस तरह की बातें यहां पर कही जायेगी ? मान्यवर, इस सदन में आपने भी आश्वासन दिया था जब मदरसों के शिक्षकों की बात आई थी कि संस्कृत के शिक्षकों के लिए भी आप वही व्यवस्थाएं चाहते हैं जो मदरसों के शिक्षको के लिए कर रहे हैं । लेकिन आज स्थिति क्या है आपने संस्कृत के शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया वे आज रो रहे हैं और जिनकी सेवाएं पहले समाप्त कर दी गई थी उनको पुन: नौकरी नहीं मिल रही है । संस्कृत के शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है वे शिक्षक आज रो रहे हैं । इन गरीबों की आह खतरनाक होती है यह मैं कहना चाहता हूं । आप इनके साथ तो न्याय नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको चिढ़ाने के लिए यह आप जरूर करते हैं कि हम इस वर्ग के लिए यह कर रहे हैं । यह बातें आप क्यों करते हैं ?

मान्यवर, बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना चल रही थी उसमें भारत सरकार का सब पैसा आना है । जब विकास के लिए बातें होती हैं और कहते हैं कि हमारे पास गरीबों के आवास के लिए पैसा नहीं है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर हम लोगों ने अपने समय में यह लाखों मकान कैसे बनवा दिए हैं । लोगों को जमीनें दी हैं और लाखों लोगों को मकान मिले हैं । आज मान्यवर, वह योजना लगभग बन्द है । आप के यहां से यह आदेश चला गया है कि गांव समाज की जो जमीन शहरों में आई है वह इस काम के लिए नहीं दी जायेगी । तो फिर कहां से जमीन आयेगी ? क्योंकि व्यवस्था तो यही है कि अगर जमीन है तो चालीस हजार रुपये का कर्ज मिल जायेगा । मान्यवर, इससे पहले इससे अच्छी कोई और योजना आज नहीं थी जिसमें आधा पैसा भारत सरकार की ओर से अनुदान के रूप में है और आधा पैसा बीस साल में लाभार्थी को अदा करना है । मान्यवर, हम लोगों ने जो पांच रुपये और दस रुपये प्रतिदिन की दर पर जो गरीबों को आवास देने की योजना तैयार की थी उसी के आधार पर सारे देश के लिए इतनी बड़ी यह योजना बनाई गई है ।

मान्यवर, इसी तरह से छोटी-छोटी टाउन एरिया के लिए भी कई योजनाएं बनाई थीं उसमें आधा काम शुरु हुआ था लेकिन अब वह रुका हुआ है । आपको उसमें योजना के नाम से परेशानी हो सकती है । क्योंकि वह पंडित दीनदयाल नगरोदय योजना के रूप में थी । वह चाहे तो आप नाम बदलकर राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर या आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर कर दे या आप और किसी के नाम पर कर दें, आप मुख्यमंत्री के नाम पर कर दें । लेकिन यह जो योजना चल रही थी उसको खत्म न करें, बन्द न करें लेकिन सब योजनाएं बन्द हो रही हैं और विकास ठप्प है ।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में आपने कहा कि योजना आयोग भी आपकी तारीफ कर गया है और दूसरे लोगों ने भी आपकी तारीफ की है । आपने बजट में शिक्षा के लिए 18 प्रतिशत व्यय का प्राविधान

किया है लेकिन आप देखें कि देश के **जो छोटे-छोटे** राज्य हैं जैसे केरल है वहां 33 प्रतिशत बजट का प्राविधान है इसी तरह से तामिलनाडु में 28 प्रतिशत, गुजरात में 26 प्रतिशत प्राविधान है । आप कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन आप देखें कि यह छोटे-छोटे राज्य कितनी बड़ी धनराशि बजट की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं और आप 18 प्रतिशत ही कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह भी रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है ।

मान्यवर, आपने राज्य कर्मचारियों के साथ वादा किया था और उसका उल्लेख इस बजट में नहीं है । आपने कहा था कि इनका जो मंहगाई भत्ता है उसका पचास प्रतिशत आप मूल वेतन में जोड़ देंगे भारत सरकार अपने कर्मचारियों को यह सुविधा दे रही है लेकिन हमारे यहां के कर्मचारी इस सुविधा के न मिलने से रो रहे हैं और वह वादा आपने अभी तक पूरा नहीं किया है । आखिर में हर एक को लालीपाप दिखाकर कुछ नहीं देंगे तो इससे एक विस्फोट निकलता है, इससे लोगों में एक विद्रोह पैदा होता है कि हमारे साथ हर बार छलावा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है । अगर इसमें कुछ गलत हो तो मैं आपके सम्मुख यह कह रहा हूं कि अगर यह गलत है तो मुख्यमंत्री जी कह दें कि वापस ले लो, मैं ले लूंगा । मुख्यमंत्री जी कह दें कि 50 प्रतिशत भत्ता मूल वेतन में शामिल कर दिया है, संस्कृत शिक्षक को बाकी शिक्षकों की तरह, उर्दू के मदरसों के शिक्षकों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वही दी जा रही हैं ? भारत सरकार में यहां से लेकर केन्द्र तक जो यहां आया है उसमें है कि नौकरी बन्द कर दिया लेकिन रोजगार इतने किये कि सबको मिल जायेगा तो कहां से मिल जायेगा, यह कहां से मिल जायेगा, श्रम दिवस पैदा कर देंगे, यह सर्व समाज के लिए नहीं है । जो मजदूरी करते हैं उसको यह श्रम दिवस पैदा करके देंगे तो उसको कुछ दिन के लिए रोजी मिल जायेगी लेकिन जो पढ़-लिखकर निकल रहे हैं जो किसी लाइन में नहीं जा रहे हैं एम0 ए0 हैं, बी0 ए0 हैं, टीचर्स हो गये हैं तो उनके लिए क्या हो रहा है । उच्च शिक्षा में बी0एड0 की मान्यता देना बन्द हो गया अब कन्याओं के लिए खाली शिक्षा पाना रह गया है । लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पढ़कर वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं ।

महिला सशक्तिकरण उसका सबसे ज्वलन्त उदाहरण है, यह क्यों बन्द हो रहा है ? पिछले दिनों जहां पर स्वकेन्द्र बनाये गये उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं लेकिन आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । लेकिन 90 किलोमीटर पर केन्द्र दिया, 55 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर, मान्यवर, 90 किलोमीटर पर छोटी-छोटी बच्चियों को, लड़कों को परीक्षा देने जाना है, रोज जाकर नहीं आ सकते और शहर में इतनी हैसियत नहीं कि होटल में कमरा लेकर रह सकें तो इसे देखना चाहिए था अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको जेल भेजो, अगर किसी ने नकल कराई है तो उस शिक्षक की डिग्रियां छीन लो लेकिन उसकी सजा इन बच्चों को क्यों दी जा रही है ? आप जैसे संवेदनशील व्यक्ति के लिए जहां आप शिक्षा के लिए बहुत चिन्तित हैं और बहुत सी आपने योजनाएं लागू कर दी हैं । लेकिन मैं यह कहता हूं कि अगर योजनाएं आपने लागू की हैं और अगर यह हो गया तो इसको सुधार करने के लिए कोई आश्वासन आपने सदन में अभी तक नहीं दिया कि यहां यह हो गया है, हम सुधार कर लेंगे । लाखों नौजवान बच्चे एक इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन हमको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा ? क्योंकि सरकार में आने के बाद पहले दिन यह घोषणा आपने की थी, तो यह भत्ता कब मिलेगा ? कैसे मिलेगा इस बजट में कहीं उसका उल्लेख नहीं है । किसानों के लिए, इस समय आपके पास सूचना आ रही होगी माननीय मुख्यमंत्री जी, खाद आप कह रहे हैं कि पूरी है लेकिन ब्लैक में बिक रही है ।

आप जांच करा लीजिए, कहीं मिल नहीं रही है । ब्लैक मार्केट शब्द जो खत्म हो गया था, यह फिर से पता नहीं कैसे पैदा हो गया ? सामने बैठे लोग महसूस करते होंगे, लेकिन दलीय अनुशासन के कारण बोल नहीं सकते ?

***कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डॉ0 अशोक वाजपेयी)–**

प्रदेश का कोई एक भी जिला बता दें, जहां डी0ए0पी0 और यूरिया की कमी हो ? इस समय कहीं पर प्रदेश में खाद की कमी नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह–

हरदोई को छोड़कर कोई जिला बता दें, जहां कमी न हो ?

डॉ0 अशोक वाजपेयी–

जितनी डिमाण्ड है, उससे अधिक पहुंच गयी है ।

श्री लालजी टण्डन–

मान्यवर, जब मैं अपराध के बारे में कहता हूं तो रोज इस तरह की घटनायें आती हैं, जिसके बारे में मुझे कहना पड़ता है । डी0जी0पी0 कहें कि अपराधों में वृद्धि हुई है तो उसे आप मानेंगे नहीं । हाईकोर्ट कहे कि प्रदेश प्रदेश अपराधों से जूझ रहा है, अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है तो उसे मानेंगे कि नहीं ? मान्यवर, जब सारे समाचार-पत्र, पत्रिकायें इसके ऊपर लिख रहे हैं, रोज घटनायें प्रकाशित हो रही हैं, इलैक्ट्रानिक चैनल रोज दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश होगा, जहां के सारे इलैक्ट्रानिक चैनल अपराध नाम से पूरा कार्यक्रम रोज दिखा रहे हैं, रोज एक अपराधी के बारे में दिखाते हैं, उसमें अधिकांश तो उत्तर प्रदेश के ही हैं । आप सबको गलत मान लें । अगर यह सब गलत है तो जिसने गलत खबर छापी है उस अखबार के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । जो चैनल गलत दिखा रहा है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । जो डी0जी0पी0 कहे कि अपराधों में वृद्धि हो गयी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही तो हो ही गयी, उनको हटा दिया गया । अब केवल हाईकोर्ट बचा है, अब किसी जज साहब को भी बुलाइये सदन में और कहिये कि क्यों आप ऐसा आदेश पारित कर रहे हो, क्योंकि यहां तो रामराज्य लागू हो गया है । अभी आजम खाँ साहब होते तो नाराज हो जाते । लेकिन यहां पर अगर कोई और राज हो तो उसे मान लिया जाय ? जो राज यहां कायम है ।

मान्यवर, एक देश के लिए तुलसीदास जी ने केवल 4 पंक्तियों में बहुत कुछ कह दिया है । 'सचिव, वैद्य, गुरु तीन, जो प्रिय बोलें भय आस, राज धर्म तीन कों, होई वेगहिं नाश ।' इसका मतलब यह है कि यदि सचिव डरकर कोई सलाह देता हैया वैद्य को पता नहीं है कि रोग क्या है और गुरु से कोई बात छिपाते हैं तो यदि यह तीनों किसी डर के मारे सही नहीं बोल पा रहे हैं तो उस राज्य का नाश निश्चित है । आज प्रदेश में यही हो रहा है, किसी मंत्री के सामने कोई भी सचिव सही बोल नहीं सकता। कल जो प्रस्ताव पास हुआ है, वह बहन जी के डर से हुआ है । हमारे डर से नहीं हुआ है, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है, प्रमोद जी को, कि यह कर दो नहीं तो ठीक कर देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

मान्यवर, मुझे कोई एलाटमेंट नहीं मिला है, मैं तो सदन में उन लोगों में से हूं, जो पांच साल तक पूरा सदन चलाने के पक्षधर हैं ।

श्री लालजी टण्डन–

इसीलिए हम बार-बार आपसे कहलवा लेते हैं ताकि यह रिकार्ड में रहे कि कितनी बार आपने यह बात कही है कि पांच साल चलायेंगे और बीच में आकर ।

श्री प्रमोद कुमार–

बताइये न कब ? मैं तो चुनौती दे रहा हूं ।

श्री लालजी टण्डन–

सच बोलता हूं यार, खतावार नहीं हूं,
खुद्दार हूं, शायर हूं, गुनहगार नहीं हूं ।
दामन बचाकर मुझसे क्यों जाते हो हुजूर,
फूलों का रहनुमा हूं, कोई खार नहीं हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल के भाषण के बाद जो विभिन्न दलों के नेता बोलेंगे, वह 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे और जो माननीय मंत्रिगण हैं वह 10 मिनट में और माननीय सदस्य भी 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, परम श्रद्धेय टण्डन जी के प्यार भरे भाषण के बाद मुझे बोलने का जो अवसर मिला है, में उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं । जब टण्डन जी बोल रहे थे तो मैं पाल साहब से कह रहा था कि यह मौजूदा सरकार की आलोचना कर रहे हैं या पूर्व की कल्याण सिंह सरकार की आलोचना कर रहे हैं । मुझे लगता है कि उन्होंने उस दौर की सरकार की आलोचना की है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, वह नेता हैं कुछ भी कहें । मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इनसे होशियार रहें, यह कहते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं । यह चाहते हैं कि केन्द्र की सरकार अस्थिर हो, लेकिन वह तो होने वाली नहीं है, यहां कोई आपके झांसे में आने वाला नहीं है । मैं मौजूदा बजट-सत्र में प्रस्तुत बजट के लिए कुछ सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं । दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं, एक तो यह कि कई वर्षों के बाद मार्च के महीने में बजट प्रस्तुत हो गया है । अगर यह बजट पारित हो जाएगा तो पूरे 12 महीने सरकार को काम करने का मौका मिलेगा, यह एक उचित परम्परा पड़ी है । दूसरा जो जेण्डर बजट आया है, यह भी प्रशंसनीय है । हम तो बात करेंगे उसी जेण्डर की लेकिन टण्डन जी अपने जेण्डर की बात करते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है । मैं तो केवल इतना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही कहना चाहता हूं कि दोनों काम आपने किये हैं, और यह दोनों ही काम आपने कांग्रेस के प्रभाव में आकर किये हैं । जब आप कांग्रेस के सम्पर्क में रहते हैं तो बहुत अच्दे काम करते हैं और जब अपने आप काम करते हैं तो कम अच्छे काम करते हैं । जैसे चिदम्बरम ने 1 लाख 25 हजार रुपये कर दिये महिलाओं के लिए, तो हम आप उसी रास्ते पर चलते हैं लेकिन इनके जेण्डर का जो रास्ता है, उस पर चलने की कोशिश न कीजिएगा । यह जेण्डर वाली बात आपने आधे मन से की है, मैं माननीय नेता सदन को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसे पूरे मन से करिये । मान्यवर, जेण्डर बजट की बात कही, इसे ईमानदारी से लागू करना चाहते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा नौकरियों में आरक्षण नहीं हो सकता । अगर सचमुच, ईमानदारी से जेण्डर बजट लाना है और उस तरफ कदम बढ़ाना है, तो आप सरकारी नौकरियों में जो स्थान जिस समुदाय के जिस वर्ग के लिए और जिस जाति के लिए सुरक्षित है उसमें हॉरीजेण्टल एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित कर दें, रिजर्वेशन विद-इन-रिजर्वेशन कर दें । तो मैं समझता हूं कि 30 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा । 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए है उसमें 7 प्रतिशत महिलाओं के लिए कर दें । पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण है उसमें आप 9 प्रतिशत आरक्षित कर दें और जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं कुछ उनके लिए कर दें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के बिना 30 प्रतिशत का आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा । अगर आप उचित समझें तो इसे करें । कुछ चिन्ता मुझे है, जो मैंने देखा है और पढ़ा है, आपने बजट प्रस्तुत किया है वर्ष 2005-2006 का, लेकिन बजट में लाइबिलिटी गत 14 वर्षों की है । विगत 14 वर्षों की लगातार कमियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में आपको प्रस्तुत करना पड़ रहा है । जरा आप देखें, जो आंकड़े मुझे मिले हैं, अगर गौर करें तो प्रति व्यक्ति औसत आमदनी वर्ष 1989-90 में क्या थी, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 3087 रुपये थी और भारतवर्ष की 4347 रुपये थी, अन्तर था 29 प्रतिशत का । आज वर्ष 2003-2004 में क्या स्थिति है? 10,817 रुपये उत्तर प्रदेश की है और भारत वर्ष की 20,989 रुपये हो गयी है, अन्तर 29 प्रतिशत से बढ़कर 51 प्रतिशत हो गया है । मान्यवर, दूसरे प्रदेश आगे बढ़े हैं लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी औरों के मुकाबले कम हुई है । यह एक दिन की देन नहीं है बल्कि 14 वर्षों की है । इसका जवाब आपके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी देना है । हम वर्ष 1989 को आधार वर्ष मानकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं । अगर हम दो-तीन और आंकड़े दें तो उससे लगेगा कि क्या स्थिति है ?

उत्तर प्रदेश की कुल आमदनी वर्ष 1989-90 में 44,644 करोड़ रुपये थी जबकि देश की कुल आमदनी 3,57,285 करोड़ रुपये थी, लगभग 11.7 प्रतिशत का योगदान था । आज योगदान घटकर 9.5 प्रतिशत रह गया है। इन 14 वर्षों में क्यों गिरावट आयी है, हमें उन परिस्थितियों में जाना पड़ेगा? इसलिए इस बजट को भी उसी के अनुसार देख सकते हैं । आज अगर हम देखें तो देश के 14 राज्यों में प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है । साक्षरता में देखें तो 13वें स्थान पर है, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देखें तो 13वें स्थान पर है । अगर प्रति व्यक्ति विद्युत उपयोग देखें तो 13वें स्थान पर है । अगर आप प्रदेश को खुशहाली की ओर ले जाना चाहते हैं तो दृढ़तापूर्वक कदम उठाने होंगे । जहां तक विकास और तरक्की की बात है, निश्चित रूप से हमारा दल आपका सहयोग करेगा, केन्द्र सरकार सहयोग करेगी, यह मै आपको आश्वस्त करना चाहता हूं । एक बात की बड़ी प्रशंसा है कि आपने बहुत बड़ी बात की है, वह यह कि 77.3 प्रतिशत धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने की बात कही है । गत वर्ष 71 प्रतिशत आपने किया था । इस वर्ष जो बढ़ाया है अगर उसको देखें

तो यह केवल 03 प्रतिशत बढ़ाया है । अगर गांवों की आबादी 80 प्रतिशत है और योजना आयोग ने पिछले वर्ष के मुकाबले 40 प्रतिशत की वृद्धि की है तो आपको भी यह राशि बढ़ानी चाहिये थी । मान्यवर, आपने भूमि सेना का गठन किया है यह अच्छी चीज है । 40 करोड़ रुपया जो इसके लिए दिया गया है यह उचित है। आपने केवल 27 जिलों के लिए यह रखा है तो बाकी जिलों ने क्या पाप किया है पूरे 70 जिलों को लीजिए । आप लोहिया जी के सपनों को साकार करने की बात करते हैं तो बाकी जिलों को क्यों छोड़ दिया । कुछ खास जिलों के लिए आपकी तवज्जह है । आप यह भेदभाव न बरतें और यह योजना सारे जिलों में चलायें।

मान्यवर, एक चिन्ता मुझे इस बजट को देखने से होती है । आपने कहा है कि 1250 करोड़ रुपयों के संसाधन बढ़ायेंगे । यह कहां से आयेगा यह मेरी चिन्ता है । जब आप जवाब देंगे या संबंधित मंत्री जी जवाब दें तो इसके बारे में बतायें ? 550 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों की बात कही गयी है । अगर इसको जोड़ दिया जाय तो 1750 करोड़ रुपये हो जाता है । यह कैसे पूरा होगा । आप हिडेन टैक्स लगाकर पूरा करने की कोशिश करेंगे । अप्रत्यक्ष कर आप लगायेंगे इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है । अगर और कोई रास्ता हो तो मुझे बता दें, मुझे खुशी होगी । मान्यवर, अब मैं विकास दर की बात करना चाहता हूं । आज प्रतिस्पर्धा का युग है । कौन कितना तेज चल सकता है यह ज्यादा आवश्यक है बजाय चलने के । जो आज आगे चलने की कवायद करेगा, जो प्रदेश ज्यादा तेज चलेगा उसको विकास का लाभ मिलेगा । 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8 प्रतिशत था लेकिन पिछले 2-3 सालों में जो लक्ष्य प्राप्त किया गया है वह 3प्रतिशत है । मान्यवर, 3 और 8 में बड़ा फासला है, यह कैसे पूरा होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कदम उठायेंगे यह मैं निश्चितरूप से जानना चाहूंगा । एक चिन्ता मुझे है मैं उसके लिए भा0ज0पा0 की तत्कालीन सरकारों को मैं दोषी ठहराता हूं। अगर मेरी बात गलत है तो माननीय नेता विरोधी दल खड़े होकर मेरी बात का खंडन कर दें । आज उत्तर प्रदेश का नाम कर्ज प्रदेश कर देना चाहिये । आज ऋण 1 लाख 16 हजार करोड़ बढ़ गया है । अगर इस प्रदेश पर इतना ऋण है तो यह ऋण प्रदेश नहीं कहलायेगा तो क्या कहलायेगा । इस ऋण की जिम्मेदार भा0ज0पा0 है और उसकी मिली जुली सरकारें हैं । अगर आपमें साहस है तो बतायें कि मैं गलत बोल रहा हूं ?

श्री हुकुम सिंह–

अभी केन्द्र का कल बजट आया है । वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है । केन्द्र पर कितना कर्ज है यह बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं तो प्रदेश के पाप के बारे में बताना चाहता था आप चाहते हैं कि पहले वहां आपकी जो सरकार रही है, जो आपके पाप रहे हैं वह सुनना चाहते हैं तो वह भी बता दूंगा । हमारा वहां पर पहला बजट है । आपने तो प्रदेश और देश को तबाह किया है । प्रदेश पर जो कर्ज है वह अगले वर्ष बढ़कर 1 लाख, 29 हजार करोड़ रुपये हो जायेगा । दुर्भाग्य होगा जो नया बच्चा पैदा होगा उसके सर पर पहले दिन ही 7,175 रुपये का कर्ज होगा । नया बच्चा इतने रुपये की लाइबिलिटी लेकर आएगा । यह चिन्ताजनक स्थिति है । यह मैं 14 साल की स्थिति को एक्यूमिलेट करके कह रहा हूं । इसमें आपकी सरकार ने सुधार का प्रयास किया है । कैसे प्रदेश चलेगा इसकी मुझे चिन्ता है । अगले साल और 12,307 करोड़ रुपया बढ़ जायेगा । यह चिन्ता का विषय है । कुल मिलाकर बहुत चिन्तनीय स्थिति प्रदेश की है । मेरा

उद्देश्य यह नहीं है कि मैं आलोचना करूं । मेरा उद्देश्य है कि निदान कैसे हो प्रदेश सरकार पर जब कर्ज बढ़ेगा तो विकास के कदम जो बढ़ेंगे उसमें रुकावट आयेगी । यह कर्ज भारतीय जनता पार्टी और बसपा सरकारों ने विरासत में दिया है । भारतीय जनता पार्टी की रुचि विकास में नहीं रही है आप वर्ष 1992 को देखें उस समय प्रदेश किस बदतर स्थिति से गुजरा है ? उसे पटरी पर लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया उसके बाद आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ी है । राजस्व घाटे के बारे में बात कही गई आज राजस्व घाटा कम किया है अपने समय में आपने कम किया है यह ठीक बात है परन्तु अभी राजस्व घाटा कितना है । सकल घरेलू उत्पाद को लें आपने लक्ष्य 1.7 का लिया था आप 2.1 पर हैं । इसी तरह से राजस्व घाटे में 4.0 प्रतिशत का लक्ष्य लिया था लेकिन 5.4 पर रुके हैं । लक्ष्य बहुत आगे है वहां पहुंचने के लिए एक लम्बी छलांग लगानी पड़ेगी । लम्बा प्रयास करना पड़ेगा । कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता होगी । पूंजीगत मामले में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई यह चिन्ता का विषय है । 77 प्रतिशत तो तनख्वाहों में व पेंशन में चला जाता है । विकास के लिए मुश्किल से 100 में 14 रुपये बच रहे हैं यह चिन्ताजनक स्थिति है । रोजगार के बारे में मैं कहना चाहता हूं 11 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण में बरोजगारी के के बारे में था बाद में आप केन्द्र सरकार के पाले में गेंद डाल रहे हैं । केन्द्र सरकार ने आपसे नहीं कहा था कि आप इस संबंध में घोषणा पत्र जारी करें । आपने अपने बूते पर जारी किया था आपको अपने संसाधन से करना पड़ेगा । गन्ना मूल्य की बात हो तो केन्द्र सरकार के ऊपर मामला डाल दिया जाता । केन्द्र सरकार की तो उत्तर प्रदेश से लेकर तामिलनाडु तक एक नीति होती है । उत्तर प्रदेश के लिए कोई अलग नीति नहीं होगी । आपको अपनी घोषणा अपने संसाधन के हिसाब से करनी चाहिए । बेरोजगारी भत्ता के लिए जितनी जल्दी शुरुआत हो सके निर्णय कर लीजिए । मैं कुछ नाम आपको दूंगा उसमें भारतीय जनता पार्टी वालों के नाम जरूर शामिल कर लें। क्योंकि अगली बार से यह भी बेरोजगार होने वाले हैं । हुकुम सिंह जी से तो बात चल रही है यह यहां होंगे क्योंकि इनका चक्र पूरा हो चुका है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

हुकुम सिंह तो [xxx] हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरे पास बहुत से आंकड़े थे बिजली की बात थी लेकिन समय की कमी है मैंने कुछ सुझाव दिए हैं जो चिन्ताएं प्रदेश की हैं उनसे अवगत कराया है यह भी कहा है कि यह डेढ़ वर्ष की देन नहीं है यह पिछले 14वर्षों की देन है । इसमें मजबूती के साथ आगे कदम बढ़ायें । प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर आगे लाने के लिए हम विश्वास दिलाते हैं कि आप जो भी कदम उठायेंगे उसमें हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पूरी मदद करेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

श्रीमन्, मैं सोच रहा था कि नेता प्रतिपक्ष जब बजट भाषण पर आलोचना करेंगे तो सुझाव भी देंगे और कहीं न कहीं से प्रशंसा भी करेंगे । इस बात की प्रशंसा जरूर करेंगे कि बहुत वर्षों के बाद समय से उत्तर प्रदेश में बजट प्रस्तुत किया गया और बजट समय से प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश की उस संस्कृति को समाप्त किया जो संस्कृति उत्तर प्रदेश में बजट को रिलीज करने में देरी करके विकास को रोकती

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

थी। ऐसा नहीं है कि जो 40 प्रतिशत बढ़ा है, पहले नहीं बढ़ता था । मुझे याद है बहुत से मुख्यमंत्री यहां घोषणा करते थे केन्द्र से पैसा ले आए, राजस्व की जो आय दिखाते थे उसका 50 प्रतिशत भी राजस्व भी पूरा नहीं कर पाए तो और जो घोषणायें सदन में होती थीं उनसे मालूम पड़ता था कि जो प्लान, जो बजट, जो उत्तर प्रदेश के विकास की दर बनाई गई है, वह योजना अपनी जगह खड़ी है । हमने तो यह गत वर्ष की अधूरी योजनाओं को पूरा करने के लिए बजट प्रस्तुत किया है । पहले क्या होता था कि सरकार बदल गई तो नीति भी बदल गई । उधर से इधर आये तो सोच भी बदल गई । आज हमने इस बात को भी देखा है कि बजट पर प्रतिक्रिया दलों के आधार पर की जाती है न कि दिलों के आधार पर । अगर बजट पर प्रतिक्रिया दिलों के आधार पर की गई होती तो टण्डन जी ने बजट की आलोचना के साथ कुछ सुझाव भी रखे होते । प्रमोद जी ने कुछ सुझाव दिये हैं, वे सहयोगी दल हैं ।

(किसी सदस्य के कुछ कहने पर)

चलिये आपको कुछ तो अच्छा लगा । हम व्यापारी संगठन का सम्मेलन कर रहे थे । हमने आपके कार्यकर्ताओं को देखा, तमामों की जेबें कट गईं ।

श्री हुकुम सिंह–

सम्मेलन आपका था । जेबें कैसे न कटतीं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इसीलिये तो टण्डन जी के क्षेत्र में किया था ताकि इनकी जेब सुरक्षित रहे । जैसा प्रमोद जी 1250 करोड़ रुपये कह रहे थे । हमने इतनी आय अर्जित कर ली है । ऐसा नहीं है कि यह प्रस्तावित है और यह हिडेन टैक्स नहीं है । बजट पेश करते समय हमने कोई टैक्स लगाने की बात नहीं कही है।हमारे ऊपर लायबिलिटी बढ़ी है । प्रदेश के सभी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात है । जाति के आधार पर नहीं किया गया है ।

(इस समय 2 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुए)

इसके लिए 700 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है उसका भी बजट में समाधान करना है। कन्याधन योजना में 300 करोड़ रुपये इस वर्ष प्राविधान किया है । पिछले वर्ष इसमें 200 करोड़ रुपये का किया था । हमने डी0ए0 59 से बढ़ाकर 61 प्रतिशत किया है । लायबिलिटी बढ़ी हैं घटी नहीं हैं। इतने के बाद घाटे का बजट है । घाटे का बजट तो सभी देशों में पेश किया जाता है और यह तो प्रदेश है । हिन्दुस्तान में घाटे का बजट दिया जाता है। जितनी डेवलपिंग कन्ट्रीज हैं वे घाटे का बजट देती हैं फायदे का बजट नहीं देती हैं । फायदे का बजट देखना है तो अमेरिका और यूरोप का देख लीजिए । हमारे सामने प्रतिबद्धता है विकास करने की, गरीबी को दूर करने की, सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की । प्रतिबद्धता है प्रदेश को विकास की ओर ले जाने की । प्रतिबद्धता है कि जो इतने वर्षों का टूटा-फूटा प्रदेश हमको विरासत में मिला है, साम्प्रदायिकता से जले हुए प्रदेश को सही रास्ते पर लाने की। हमने प्रक्रिया शुरु की है । आप बजट भाषण पढ़ लीजियेगा । टोटल राजस्व का जो अभी तक वेतन, पेंशन और ब्याज पर पैसा जाता था 80.3 प्रतिशत उसको 72.1 प्रतिशत किया है । राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वेतन, पेंशन ब्याज पर व्यय 69.9 प्रतिशत है जो 2005-2006 के बजट अनुमानों के अनुसार 64.4 प्रतिशत है । राजस्व घाटा राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में 14.8 प्रतिशत है जो वर्ष

2005-2006 में 12.7 प्रतिशत अनुमानित है । आप देख लें । पूरे देश की दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत विकास दर थी । पिछली सरकार का बजट कितना था ? श्रीमन् जो प्रदेश का बजट पेश किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश में अनुमानित प्रस्तावित खर्चा पेश किया गया वह 51,470 करोड़ रुपये था । 2003 में भाई-बहन की सरकार इस प्रदेश में थी । मैं जानता हूं कि टण्डन जी की आलोचना करने की आदत पड़ गई है मुख्यमंत्रियों की आलोचना करते हैं । लेकिन यह दिल से आलोचना नहीं कर रहे थे । 2003 का अनुमानित बजट 52 हजार 329 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ । 2005-2006 में 67494.61 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं । 40 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। जेण्डर बजटिंग का बजट में प्राविधान किया गया है अभी कामन जेण्डर की बात की जा रही थी । प्रमोद कुमार जी कह रहे थे, आप कह रहे थे प्रमोद जी तो सुझाव दे रहे थे तारीफ भी कर दी में बता रहा था हम जेण्डर बजटिंग कर रहे हैं इसका प्राविधान किया जा रहा है हम नारे नहीं दे रहे हैं । नारों के आधार पर उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं ।

पी0एल0ए0 के बारे में कहना चाहूंगा । ओवर ड्राफ्ट रोकने के लिए पी0एल0ए0 में धन डाल देते थे । बहुत दिन तक ओवर ड्राफ्ट रोकने के लिए ऐसा किया गया । विकास का पैसा पी0एल0ए0 में डाल दिया जाता था, अब इस पर रोक लगाने का काम हमने किया है । आपको बताना चाहूंगा अब तक कौन से मुख्यमंत्रियों ने आदेश दिया कि विभाग की योजनाओं का पैसा तुरन्त रिलीज हो । हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया और 96 प्रतिशत पैसा अब तक रिलीज हो गया है आज तक उत्तर प्रदेश में विकास का पैसा फरवरी माह में रिलीज नहीं हुआ है 31 मार्च की परम्परा पड़ी हुई है । हम उन परम्पराओं को तोड़ रहे हैं ऐसा भी नहीं है कि अच्छी नीति आप बनायेंगे और उसको खत्म कर देंगे । उत्तर प्रदेश के कई प्रधान मंत्री हुए उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री देश पर राज्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम पीछे हैं और दक्षिण भारत आगे है केन्द्र से उन योजनाओं पर बात करनी चाहिए । दक्षिण भारत शिक्षा में, परकैपिटा इन्कम में, विकास में सबसे आगे है । उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री हों और विकास सबसे ज्यादा दक्षिण भारत का हो रहा है हम देश के विघटन की बात नहीं करते हैं लेकिन इसमे दोष किसका है । केन्द्र की योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है । केन्द्र के प्रधानमंत्रियों ने उत्तर प्रदेश के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है । जब हम आप प्राविधान कर सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री क्यों प्राविधान नहीं कर सकते हैं इसका भी दोष समाजवादी पार्टी को देंगे ? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को देंगे । दक्षिण भारत की संस्कृति है प्रदेश के आधार पर विकास होता है । सभी एम0पी0 केन्द्र पर धावा बोलें उत्तर प्रदेश की जो योजनायें प्रस्तावित हैं उनके पास क्यों नहीं जाते हैं उत्तर प्रदेश के कोई विकास की बात नहीं होती है ऊर्जा मंत्री आप भी रहे हम भी रहे । मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को स्पेशल प्रोविजन देने की क्यों बात नहीं हुई ? एन0डी0ए0 की बैठक में मैंने कई बार बात उठाई भी थी और मैंने टण्डन जी से भी कहा था कि दिल्ली चलें यदि उत्तर प्रदेश रिफार्म लागू करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं दिया जाता । यदि कोई निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास कर रहा है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए । रोजा पावर हाउस जो कुमार मंगलम् बिड़ला लगा रहे हैं, आपने कहा कि वह नहीं करने वाले हैं, आखिर कहां भाग जायेंगे । हम दादरी में पावर हाउस लगाना चाहते हैं, तो आपको आपत्ति है । अगर हम कुमार मंगलम् बिड़ला के माध्यम से अनपरा-सी बनाना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है । यदि कोई उद्योगपति इस प्रदेश में नौकरी देना चाहता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए । आपकी सरकार ने तो पूरे देश में यह आदेश लागू कर दिया था कि नौकरियों में 2 प्रतिशत की कटौती की जाए । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 लाख नौकरी हम उत्तर प्रदेश में देंगे और सभी विभागों ने नौकरी खोल दी हैं । रोज अखबारों मे आ रहा

है, आप भी विज्ञापन देखते होगें । हमारे ऊपर इसका भी बोझ आ रहा है लेकिन हम यदि यह बोझ देखेंगे और बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारों की हमारी सरकार के प्रति आशा क्या बंधेगी। समाजवादी पार्टी के प्रति नौजवानों का जो विश्वास है, उसे हमारी सरकार कायम रखेगी । आपने तो यूनियन बैन कर दिया था । यदि छात्रों की मानसिकता शुरु से खराब कर दी गई और राजनीति में अपराधियों का जो हम विरोध कर रहे हैं तो उसके लिए हम अच्छे राजनीतिक लोग कैसे पैदा कर पायेंगे? आप कुछ लोगों की संस्कृति है कि पैसा दे दो और टिकट ले लो । लेकिन अच्छे पॉलिटिकल लोग तो पैसा देकर नहीं लाए जा सकते हैं ? यदि हम बदलाव की बात नहीं करेंगे या ऐसी संस्कृति को बदलने की बात नहीं करेंगे ।

श्री लालजी टण्डन–

जगदम्बिका पाल जी चले गये हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पाल जी तो एक दिन के मेहमान थे ।

श्री लालजी वर्मा–

आपका भी उसमें सहयोग था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हमारी सरकार ने अपने बजट में अपनी प्राथमिकताएं घोषित की हैं । हमारी सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पानी, कृषि रोजगार आदि की है । बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई, प्रमोद जी ने कहा कि केन्द्र सरकार के ऊपर क्यों डाल दिया गया । यदि कुछ देना चाहते हैं तो उसे प्लान में क्यों नहीं जोड़ा गया ? यदि दिल्ली का हैड उत्तर प्रदेश से है, सरकार यदि उत्तर प्रदेश की उंगलियों से चल रही है, आखिर कोई तो शुरुआत करे । उत्तर प्रदेश ने प्लानिंग कमीशन के सामने एक प्रस्ताव भेजा कि वह बेरोजगारी भत्ता देना चाहता है तो प्लानिंग कमीशन यह क्यों कह दे कि हमारे यहां इसका कोई मद नहीं है ? मैं तो कहना चाहता हूं, योजना आयोग क्यों नहीं सभी दल चलें और उत्तर प्रदेश के सभी दल अहलूवालिया के सामने यह दवाब डालें कि उत्तर प्रदेश यदि देश में कोई शुरुआत करना चाहता है, यदि विश्व के डेवलप देश बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत क्यों नहीं हो सकती है ? केन्द्र सरकार क्यों नहीं मानेगी । मद तो बनाने से बनता है। मद तो हम बनाते हैं । सरकार अपनी नीति, अपने घोषणा पत्र के आधार पर चलती है । जो लोग उत्तर प्रदेश में असहयोग की बात कर रहे हैं, आखिर उस असहयोग पर भी कम से कम विपक्ष को विरोध तो करना चाहिए । हमने 8 हजार करोड़ रुपये का प्लान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मांगा था आखिर वह पास क्यों नहीं किया ? अगर वह मिल जाता तो आज 8 हजार करोड़ रुपये हमें मिल जाते और हमारे बजट में 8 हजार करोड़ रुपये बढ़ जाते तो वह हमारे उत्तर प्रदेश के विकास में ही खर्च होते । आज बात कही जा रही है कि पूर्वांचल का विकास नहीं हो रहा है, बुन्देलखण्ड का विकास नहीं हो रहा है । तो उन्हीं के विकास की बात तो 8 हजार करोड़ रुपये में कही गयी । हम तो उपेक्षित उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि हम किसी के सामने भीख का कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे । हम उत्तर प्रदेश की जनता से मांग लेंगे । अगर हम जनता से कह

देंगे तो वह रुपये दे देगी । हम जनता से टैक्स के रूप में रुपये ले लेंगे । लेकिन यह हमारी सरकार की नीति है और हम उसका पालन कर रहे हैं । श्रीमन् गन्ने का समर्थन मूल्य 12 रुपये बढ़ा दिया गया। अब तक 90 प्रतिशत से ज्यादा गन्ना किसानों के गन्ने का भुगतान हो चुका है ।

श्री अधिष्ठता–

माननीय मंत्री जी, केवल 2 मिनट रह गये हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी मान्यवर, आपके आदेश का पालन होगा । श्रीमन् हमने 500 करोड़ रुपये से ऊपर किसानों का दे दिया, गेहूं की शत-प्रतिशत खरीद की और शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया तो इसमें हमारी प्रशंसा होनी चाहिए थी । हमने गेहूं का समर्थन मूल्य 630 रुपये पर किसानों का पूरा गेहूं बिकने दिया, हमने अपनी कृषि नीति घोषित की, हमने बजट में कृषि के क्षेत्र में किसानों के हित का ध्यान रखा । केन्द्र सरकार क्यों कृषकों को दी जाने वाली सब्सिडी वापस ले रही है । अगर उन्हें किसानों की चिन्ता है तो क्यों सब्सिडी वापस ले रही है ? आज तेल, खाद, बीज के दाम रोज बढ़ रहे हैं । हम पी0डब्लू0डी0 में 900 करोड़ रुपये का बजट लाए, हम 500 की आबादी वाले सभी गांवों की सड़कों का लेपन तक का कार्य करने जा रहे हैं । सड़कों के लिए हाट मिक्स प्लान से कर रहे हैं । हां, हेमामालिनी के गाल की तरह तो लाल नहीं कर सकते लेकिन उसमें लेपन जरूर कर देंगे । सिंचाई, ऊर्जा, शिक्षा । शिक्षा के लिए 1600 करोड़ रुपये का प्राविधान किया । यह ऐतिहासिक बजट है जिसमें 47 सौ नये विद्यालय बनाये जायेंगे, 42 हजार विशिष्ट बी0टी0सी0 शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है, 41 हजार शिक्षामित्रों की भर्ती की है । मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में पिछले उपचुनाव में जिस तरह से वोट दिया उससे लोगों के पेट में मरोड़ आनी चाहिए । लोगों ने व्यापारियों को बंधक बनाया था उनको दागी सांड बना लिया था, मैंने उसका विरोध किया था और उसकी सजा मुझे यह मिली कि मुझे मंत्रिपरिषद् से हटा दिया गया । मैं यह पूछना चाहता हूं कि तीन बटे सात किसने स्थगित की, टर्न ओवर किसने समाप्त किया ? वैट को किसने लागू नहीं किया, दुर्धटना बीमा योजना को दो गुना किसने किया। आखिर उन्होंने इनके पक्ष में निर्णय ले लिया है । अभी दो दिन पहले लखनऊ मे आप ही के क्षेत्र में व्यापारी इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम आपके साथ हैं, जिन दलों ने हमारे साथ छल किया हमने उनका साथ छोड़ दिया है । आज मान्यवर, जो राष्ट्रीय दल हैं वह क्षेत्रीय दलों से भी नीचे आ गये हैं ।

श्री अधिष्ठता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप आलोचना के साथ-साथ प्रशंसा भी करें । आप अच्छे सुझाव दें, महत्वपूर्ण सुझाव दें, आय कैसे बढ़े, बजट का घाटा कैसे पूरा हो यह सब सुझाव दें तो इससे प्रदेश के विकास को दिशा मिलेगी । अन्त में मैं बजट का समर्थन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं ।

***श्री रामवीर उपाध्याय–**

मान्यवर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं सम्मान के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं--अक्टूबर, 2004 में इगलास विधान सभा क्षेत्र से जहां से मेरा भाई मुकुल उपाध्याय, जो कि मेरे बगल में बैठा है बी0एस0पी0 से उम्मीदवार बनाया गया । [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] जैसे शातिर अपराधी से ए0के0 47 जैसे हथियार से और बम से मेरे तथा मेरे भाई के ऊपर प्राणघातक हमला कराया । मैंने इस सम्बन्ध में कई बार एस0एस0पी0 को लिखा । डी0आई0जी0 और डी0जी0पी0 साहब से मिला लेकिन उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की । मैंने उनसे कहा कि [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] और राजेश टोयटा जैसा शातिर अपराधी बैठा है जिसके ऊपर लगभग 35 केस 302 और 307 के हैं, आप इनकी गाड़ी को चैक कर लो लेकिन नहीं किया गया । चुनाव के दौरान ही 15 सितम्बर को राजेश टोयटा ने मेरे तथा मेरे भाई के ऊपर बम से प्रहार करना चाहा लेकिन वहां की जनता ने उसे दौड़ा लिया और उसको एक जगह ताले में बन्द कर दिया । हमने एस0एस0पी0 से कहा। वहां के जो थानाध्यक्ष और सी0ओ0 हैं उन्होंने कहा कि तुम लौटकर क्यों आये हो, क्यों नहीं मारा । माननीय मुख्यमंत्री जी जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक इतना अन्याय और अत्याचार, जितना इगलास विधान सभा क्षेत्र में हुआ है, उतना किसी और विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुआ है । [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] के द्वारा अन्याय किया जा रहा है । [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मैं किसी जाति का कोई विरोध नहीं करता हूं, चौधरी जाति का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और उनके वोट मुझे मिलते हैं लेकिन चौधरी जाति के सी0ओ0 और इंस्पेक्टर को वहां पर नियुक्त किया जा रहा है और [xxx xxx xxx xxx xxx] के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं । जब हम रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं तो इसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की जाती है । मान्यवर, मैं कई बार मुख्य सचिव एवं गृह सचिव से मिला और कई बार यह बात उनके संज्ञान में लाया हूं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में कैन्थल गाँव जो गोण्डा थाने में आता है एक विष्णु गौतम हैं, जो कि [xxx xxx xxx xxx xxx] उनके पास रिवाल्वर है, उनकी रिवाल्वर छीन ली जाती है । जब मेरे भाई मुकुल उपाध्याय को पता चला कि विष्णु गौतम को थाना गोण्डा में उठा लिया गया है और जिन लोगों ने मारा-पीटा उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो मुकुल उपाध्याय गोण्डा थाने जाता है तो [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] हजारों लोगों के साथ थाने में आते हैं, इन दोनों नेताओं को और पब्लिक को थाना गोण्डा में थाना अध्यक्ष बी0पी0 सिंह द्वारा बुलाया जाता है और थाने के अन्दर ही [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मेरे भाई मुकुल उपाध्याय को जान से मारने का प्रयास किया । मैं स्वयं उक्त घटना के सम्बन्ध में एस0एस0पी0 अलीगढ़ और डी0एम0 के यहां गया, दोनों लोग क्षेत्र में थे, दोनों से फोन पर मेरी बात हुई । उसके बाद मैंने डी0आई0जी0 और डी0जी0पी0 से फोन पर सारी बातें बताईं । डी0जी0पी0 के कहने पर एस0पी0आर0ए0 श्री उमाशंकर जायसवाल वहां पर पहुंचते हैं, उसके बाद लगातार कई महीनों तक पी0ए0सी0 के छः जवान, एक सब इंस्पेक्टर, तीन गनर, दो आर्म्स गारद के लोग मेरे भाई की सुरक्षा में लगते हैं उसके वाबजूद मेरे भाई के ऊपर जान लेवा हमला हुआ। वहां की पुलिस ने कोई कानूनी कार्यवाही उन गुण्डा, मवालियों और कांग्रेस तथा लोकदल के नेताओं के खिलाफ नहीं की ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

13 अक्टूबर को योगेन्द्र, निवासी भटोई थाना, कोतवाली इगलास में योगेन्द्र शर्मा को बुरी तरह मारा-पीटा जाता है और जब योगेन्द्र कोमा में आ जाते हैं और दस दिन तक कोमा में अस्पताल में रहते हैं उसके बाद दिल्ली में उनका इलाज कराया जाता है, तब दो माह बाद वह ठीक होते हैं और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के द्वारा चोट देने वाले लोगों के खिलाफ योगेन्द्र के परिवार वालों के द्वारा रिपोर्ट लिखाई जाती है, 283/2004 उसके विपरीत सी0ओ0 इगलास अलबेल सिंह व अनिल चौधरी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा पीटने वाले लोगों को बटोई गांव से बुलवा कर 383-ए/2004 मुकदमा पंजीकृत कर झूठे मुकदमें में 307 जैसे संगीन अपराध में चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है और सही प्रकरण में मात्र 323 की चार्ज शीट दाखिल की जाती है । थाना गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम शुमकरा में 19 नवम्बर, 2004 को रामेश्वर गौतम की हत्या कर दी जाती है, उसको लाठी-डण्डों से बुरी तरह से मारा-पीटा जाता है, उसके सिर में चोट मार कर, उसके गुप्तांगों में चोट मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है रिपोर्ट तो जरूर अपराध संख्या-144/2004 धारा 302 में दर्ज कर ली जाती है लेकिन पोस्ट मार्टम के लिए कागज तैयार किया जाता है कि रामेश्वर गौतम की मृत्यु हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है । पोस्ट मार्टम करने वाले डाक्टर, एस0 पी0 से बात करते हैं और थानाध्यक्ष को बुलाते हैं और दोबारा से पोस्ट मार्टम के कागज तैयार कराते हैं और उसमें हेड इन्जरी और गुप्तांगों में चोट के कारण उसकी मृत्यु होती है । रामेश्वर गौतम के हत्यारों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है । मान्यवर, 15-9-04 को राजेश टोयटा जैसे शातिर अपराधी के छोटे भाई के द्वारा मेरे और मुकुल उपाध्याय की सभा में बम फेंकने का दुस्साहस किया जाता है । जनता के द्वारा उसको एक मकान में घेर लिया जाता है, पुलिस को खबर दी जाती है तो लँगड़ा नाम के शातिर अपराधी और उसके तमाम साथी को पुलिस घर से गिरफ्तार तो कर लेती है दल सहित, लेकिन जब उसे थाने लाया जाता है तो थाना प्रभारी [xxx xxx] के द्वारा यह कहा जाता है कि [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] हम और हमारा भाई सबसे ज्यादा इगलास की पुलिस से भयभीत हैं क्योंकि गुण्डे, मवालियों के सभी पेशेवर हत्यारों के साथ [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] और [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] के इशारे पर पेशेवर हत्यारों को मुकुल उपाध्याय को मारने के लिए लगा दिया गया है । उक्त प्रकरण की शिकायत स्वयं मैंने और मेरे भाई ने एस0एस0पी0 से की, सैकड़ों बार कहा कि ए0के0-47 जैसे अवैध हथियार लेकर हमें मारने के लिए घूम रहे हैं, गाड़ी नम्बर बताया गया, लोकेशन बतायी गयी, लेकिन [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] में अलीगढ़ की पुलिस ने, न कि उसकी गाड़ी चैक की न उसकी ए0के0-47 और अन्य हथियार छीने । हम लोगों ने समस्त प्रकरण की जांच करने के लिए एस0एस0पी0 अलीगढ़, डी0आई0जी0 आगरा, डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव, गृह, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से कई बार मिलकर अनुरोध किया कि उनकी ए0के0-47 को जमा करा लिया जाए, लेकिन सत्ता के दवाब में पेशेवर हत्यारों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई और न ही उनके हथियारों को जमा करने के लिए कोई काम किया गया । इगलास में [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] के लोगों के साथ रोज अत्याचार हो रहा है । पिछले पांच माह में सैकड़ों वारदातें हो चुकी हैं, कई बार मेरे भाई मुकुल उपाध्याय को मारने के लिए प्रयास किए जा चुके हैं, पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ ने जो सुरक्षा व्यवस्था मेरे भाई को प्रदान की थी, उसे लोक दल और कांग्रेस के नेताओं के दवाब में आकर हटा लिया गया आज भी कांग्रेस और लोक दल के नेताओं के दवाब में और उनके संरक्षण में पेशेवर हत्यारे मेरे भाई को मारने का प्रयास कर रहे हैं । मैं माननीय अधिष्ठाता जी

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

से यह अनुरोध करता हूं कि अगर मेरे भाई के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो इस सदन में कोई शोक संवेदना प्रकट न की जाए क्योंकि मैं पिछले पांच माह से लगातार सभी सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, विधान सभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव तथा माननीय मुख्यमंत्री को तमाम पत्र लिख चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हुई है । ऐसी विषम परिस्थिति में सी0 ओ0 इगलास श्री सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक इगलास, श्री चौधरी, थाना अध्यक्ष गोण्डा श्री बी0पी0 सिंह के खिलाफ कार्यवाही की जाए तथा उन्हें वहां से हटाया जाए, मेरे भाई मुकुल उपाध्याय की जान-माल से सुरक्षा की जाए तथा मेरे भाई को श्रेणी-बद्ध करके जेड सिक्योरिटी दी जाए तथा कांग्रेस और लोकदल के नेताओं के ऊपर अंकुश लगाया जाए, पेशेवर हत्यारों के खिलाफ, उनके हथियार जब्त करके कानूनी कार्यवाही की जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय अधिष्ठाता जी मुझे 15 मिनट का समय बोलने के लिए मिला है और अभी पांच मिनट ही हुए हैं, मेरे दल के नेता ने मुझे बोलने के लिए लिखकर दिया है, मुझे बोलने दें ।

***श्री जियाउद्दीन रिजवी–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया।

(व्यवधान)

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, वहां के [xxx xxx xxx] यह सब मिलकर मेरे भाई की हत्या कराना चाहते हैं । मान्यवर, आप बोलने का मौका दें । ऐसा न हो कि कोई दुखद घटना हो जाए और हमें यहां खड़े होकर कोई शोक संवेदना प्रकट करनी पड़े । मान्यवर, मैं अपने दल की ओर से बोल रहा हूं मुझे 15 मिनट बोलने का समय मिलना चाहिए ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी हमारी सरकार बनी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सत्ता में आये तब जाकर जो समाज के कमजोर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, जिसके कि उत्थान का सपना महात्मा गांधी जी ने देखा था, उनके उत्थान और विकास का काम हुआ है ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

मान्यवर, आप इंटेलीजेंस की रिपोर्ट मंगा लें, आई0जी0 की रिपोर्ट मंगा लें । आप चाहें तो अपने दल और सांसदों की टीम को भेजकर वहां की स्थिति को दिखवा लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, यह जो बजट यहां पर लाया गया है, वह विकासोन्मुखी है । मान्यवर, कुछ हताशा की मानसिकता के जो लोग हैं जो यहां सत्ता में रहकर [xxx] किये हैं, तीन-तीन बार सरकार में रहकर [xxx] किये हैं, लेकिन इतिहास गवाह है और यह सदन गवाह है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय उपाध्याय जी आप माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखकर के दे दीजिए ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

जितनी चोरी बिजली विभाग में किया है, आज उसकी वजह से बिजली विभाग नरक के मुंह में चला गया है । मान्यवर, इनके राज्य में जितने जुल्म हुए हैं, हमारे विधायकों पर तमाम जुल्म हुए हैं, हमारे लोगों पर जुल्म हुए हैं । आप बार-बार अपने भाई की ही बात कहे जा रहे हैं । आपके समय में आई0जी0 और डी0आई0जी0 को थाने में भेजकर हमारे विधायकों के खिलाफ फर्जी दरख्वास्तें बनाने का काम किया गया है ।

(व्यवधान)

सरकार मे रहकर [xxx xxx xxx] आपको जो करना है, करिये ।

श्री डी0 प्रसाद अहरिवार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, हमारी सरकार सब वर्गों के प्रति बहुत संवेदनशील है । आज इस सरकार ने अपनी तमाम घोषणाओं के माध्यम से और कार्यों के माध्यम से गरीबों के लिए उनके विकास का रास्ता बनाने का काम किया है । यह हताशावादी लोग हैं । हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि गांव का जो अंतिम आदमी है गरीब आदमी है उसका उत्थान हो ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रिजवी जी कृपया व्यवस्था को बनाये रखें, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप न लगायें ।

(इसी मध्य श्री रामवीर उपाध्याय, श्री मुकुल उपाध्याय, श्री ओमप्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री लालजी वर्मा आदि बहुजन समाज पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये) (श्री रामवीर उपाध्याय सदन के फ्लोर से खड़े होकर कहने लगे कि मान्यवर, यह हमको चैलेंज करते हैं आप जांच करा लें । [xxx xxx xxx] बिल्कुल नहीं चलेगा । मैंने अध्यक्ष महोदय को, मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव गृह को लिखकर दिया है इसकी बाबत । जब कुछ नहीं होगा तो यह सब कैसे चलेगा ।)

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने स्थान पर बैठें । अगर कोई बात है, तो आप लिखकर दे दें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं । कार्यवाही में अगर व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप की बात होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा । रिजवी साहब आप भी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप मत करके बजट पर भाषण दें । आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(श्री अधिष्ठाता के अनुरोध को स्वीकार करते हुए सदन के वेल में आये हुए ब0स0पा0 के सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गए)

रिजवी साहब, व्यवस्था बनाये रखें, बजट पर बोलें, आरोप-प्रत्यारोप न करें, सीधे बात न करें, पीठ को सम्बोधित करके बोलें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

आज हमारी सरकार ने जो प्राथमिकताएं दी हैं समाज के उस गरीब, शोषित लोगों के लिए, उसे आज तक कभी किसी ने नहीं किया था ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है कि अगर किसी माननीय सदस्य पर या किसी मंत्री पर या किसी सदन के सदस्य पर आरोप लगाना है तो उसकी एक प्रक्रिया है । पहले वह लिखित आरोप भिजवायेंगे उसके बाद आप समय निर्धारित करेंगे तब सीधे आरोप लगाया जा सकता है । मान्यवर, जिस तरह से माननीय रिजवी जी ने माननीय पूर्व मंत्री जी के बारे में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, मेरा निवेदन है कि उस भाषा को, उस आरोप को आप कार्यवाही से निकलवाने की व्यवस्था देने की कृपा करें । इसलिए कि सीधा असंसदीय आरोप लगाया गया है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, मैंने असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया । आपने मुझे बुलाया था यह किस नियम में बोल रहे थे ? इनकी बात खत्म हो गई थी ।

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट आपको हो गया था और इस 10 मिनट में भी आप बजट पर नहीं बोले । माननीय वर्मा जी मैंने कह दिया है कि अगर कोई ऐसा शब्द होगा तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, दो बात मैं भी कहना चाहता हूं । यह सही है कि आप कार्यवाही देख लें जो असंसदीय शब्द हैं उनको कार्यवाही से निकाल दें क्योंकि एक दूसरे पर आरोप के पक्षधर हम भी नहीं हैं और माननीय सदस्यों को इससे बचना भी चाहिये । लेकिन पीठ के आदेश का पालन न करने की एक परम्परा बनती जा रही है, इस पर विचार होना चाहिए । अगर किसी सदस्य का समय समाप्त होने के बाद दूसरे सदस्य को आमंत्रित किया गया है तो इसका पालन होना चाहिए इस पर भी आप व्यवस्था दे दें इसको कड़ाई से लागू कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया कि अगर कोई असंसदीय या सीधा आरोप-प्रत्यारोप का शब्द ऐसा होगा तो उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा । आपका समय समाप्त हो गया था और मैंने रिजवी साहब को बुला लिया था और रिजवी साहब से कह दिया कि कोई आरोप-प्रत्यारोप न करें यह प्रवृत्ति उचित नहीं है । जो असंसदीय होगा उसको निकलवा देंगे ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक मुझे मालूम है मैंने कोई असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है और न करेंगे । लोकतंत्र में हम माननीय मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं उन्होंने हम लोगों को सिखाया है, शिक्षा दी है कि किसी को मारना नहीं, किसी के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना। हम डा0 लोहिया के बताये हुए रास्ते पर चलने वाले समाजवादी लोग हैं, किसी पर आक्षेप नहीं लगाते हैं लेकिन जब गलत बात आती है तब बोलना पड़ता है जब कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी तो इन्होंने अपनी बात कह दी थी । माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चला गया, संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तर भी दे दिया था । इनको बजट पर बोलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहां थाना-पुलिस में चले गये । इनके जमाने में थाने में क्या-क्या होता था, हमें पता है । क्या-क्या जुल्म इनके जमाने में नहीं ढाये गये ? क्या इनके राज में हमारे लोगों को प्रताड़ित नहीं किया गया ? हम कुछ कहना नहीं चाहते। हम केवल बजट भाषण पर चर्चा करना चाहते हैं । इतना लोकप्रिय बजट माननीय मुलायम सिंह जी ने रखा है, इसकी सराहना पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने ही नहीं, बल्कि बिहार तक की जनता ने की है। इसका प्रमाण है कि वहां पर भी हमने 4 सीटें जीती हैं । जब गुजरात में [xxx xxx xxx] ने दंगा कराया था, वहां लोगों के घर जल रहे थे, लोग मजबूर हो गये थे, अल्पसंख्यक समाज के लोग भय के मारे निकल नहीं रहे थे, तब वहां की औरतों ने, पीड़ित लोगों ने सूरत से माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया । तब मुलायम सिंह जी गुजरात की सड़कों पर जब गये, तो वहां की औरतों ने उनको अपने जख्म दिखाये, वहां से लौटकर मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में अपना बयान दिया और बताया कि कितनी ज्यादती हुई है । तब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कहना पड़ा कि गुजरात जला है और इसमें हमारे भी कुछ लोग हैं । यह मामला हमारे नेताजी ने ही उठाया था । पूरा देश इस बात को जानता है, यह लोग क्या बात करेंगे ? आज हमारे टण्डन जी आरोप लगा रहे थे, माननीय आजम साहब पर, कि सारा पैसा सैफई जा रहा है, सारा पैसा रामपुर में जा रहा है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनकी सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से इन्होंने लखनऊ के लिये और अपने लिये कुछ लिया था कि नहीं ? क्या अम्बेडकर पार्क बनवाने में बहन जी का सहयोग नहीं किया था, जिसमें जनता की गाढ़ी कमाई का सारा पैसा खर्च कर दिया गया, तब इनको सिंचाई का ध्यान नहीं आया, नहरों का ध्यान नहीं आया, बिजली का ध्यान नहीं आया, तब एक भी उद्योग लगाने का इनको ध्यान नहीं आया, तब गन्ना किसान का ध्यान नहीं आया । जब गन्ना किसान मिल पर धरना-प्रदर्शन किये, जब उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य दे दो तो नहीं दिया गया । जब किसान ने कहा कि इसके बदले चीनी ही दे दो, बिटिया की शादी है तो वह भी नहीं मिली । मान्यवर, तब इन्हीं लोगों की सरकार थी, कल्याण सिंह के राज्य में किसानों पर गोली चली, राजनाथ सिंह के राज में गोली चली । हम लोगों को मान्यवर, नैनी जेल में बन्द कर दिया गया । हमारे नेता जनेश्वर मिश्र की पत्नी बीमार थीं, वह आन्दोलन में कूद गये थे, इस बीच उनकी पत्नी मर गयीं, अन्तिम संस्कार में वह किसी तरह रात में पहुंच सके ।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

यह इन लोगों ने किया है । कहां तक हम इनके पाप को धोयेंगे ? इतना पाप का घड़ा भरा हुआ है, इसको पूरा धोने के लिये काफी समय चाहिये । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोकप्रिय बजट प्रस्तुत किया है, उससे पता चलता है कि यह सरकार कैसे काम करने वाली है ? इस बजट में जाड़े के दिनों में खेत में काम करने वालों, पानी लगाने वालों का भी ध्यान रखा गया है । मान्यवर, मैं अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं हमारे यहां लोगों ने 12 साल से नहर में पानी नहीं देखा था, इनकी सरकार थी, लोग हमसे पूछते थे, आप विधायक हैं, यह हमारी नहरें क्यों सूखी हुयी हैं । तब हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि हमारी नहरें सूखी हैं और एक ही आदेश पर नहरों की सारी सिल्ट सफाई हो गयी, सारी सिल्ट निकल गयी और टेल तक पानी पहुंचने का काम हुआ । इसके अलावा आपको यह भी बताना चाहूंगा कि वहां 14 से 1⁻ घन्टे बिजली मिल रही है । आपकी सरकार में यह सब क्यों नहीं हुआ ? टण्डन जी यहां राय देते हैं, ठीक है, उनको राय देना चाहिये । लेकिन सदन के बाहर वह उल्टा भाषण देते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बरगलाते हैं । जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि वैट प्रणाली बिना व्यापारियों की सहमति से प्रदेश में लागू नहीं की जायेगी, यह पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने ऐसा कहा है, तो पूरे व्यापारियों ने उनकी इस घोषणा का स्वागत किया । लेकिन आपके नेताओं का बयान दूसरा आता है, वह आन्दोलन कराते हैं, उकसाने का काम करते हैं । आप जानते हैं कि व्यापारिक समाज हमें वोट नहीं देता था, मगर धीरे-धीरे काम शुरु हुआ, हमारे नेता जी की नीतियां साफ हुयीं और व्यापारी वर्ग की समझ में हमारे नेताजी की नीतियां आ गईं । आइने की तरह है हमारे मुख्यमंत्री जी का इतिहास, उसे कोई भी पढ़ सकता है । कोई माई का लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी कथनी और करनी में अन्तर न हो । भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जब 15 अगस्त को भाषण दिया था तो हम लोग भी खुश हुए थे । उन्होंने कहा कि एक करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और भी बहुत से वायदे उन्होंने किये थे । मैं पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को रोजगार मिला ? जो 6 गुना फीस लागू की गई, वह किसने की ? जब हमारे नेता जी ने सदन में क्वेश्चन किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था । हमारे नेताजी जैसे ही शपथ लेते हैं, अस्पताल का पर्चा एक रुपये में बनने लगता है, सारी योजनायें चलने लगती हैं । अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इन्हीं की सरकारों में, जब भाई-बहन की सरकारें चल रही थीं, बन्द किया जाता था । आज अल्पसंख्यक समुदाय को उसका अधिकार मिल रहा है । मैं एक घटना का जिक्र करना चाह रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, कई औरतें रेलगाड़ी पर जा रही थीं, वहीं पर किसी ने एक न्यूजपेपर खरीदा तो वह औरतें उससे पूछने लगी कि इसमें क्या छपा है मुलायम सिंह यादव जी के लिए । मैं मान्यवर, यही बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का हर आदमी, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, रिक्शा चालक है, तांगे वाला है, हर गरीब आदमी माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शुभचिन्तक है । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बजट में पूर्वांचल के लिए कोई पैकेज नहीं है, इसलिये इसमें पूर्वांचल के पैकेज को बढ़ा दिया जाए । हमारा पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ है और उसमें से हमारा इलाका सिकन्दरपुर बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल के लिए भी कुछ योजनाएं बजट में रख दी जाएं । इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

***डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है । माननीय नरेश जी ने कहा था कि हम लोग प्रशंसा नहीं करते हैं, तो मान्यवर, जहां प्रशंसा करने वाला होता है, हम लोग प्रशंसा भी करते हैं । पहली प्रशंसा तो मैं इस बात की करूंगा कि सरकार द्वारा राजस्व बढ़ाने के अच्छे प्रयास किये गये हैं । आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं । दूसरी प्रशंसा जो आपने बुन्देलखण्ड विकास के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक पैकेज दिया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं । तीसरी प्रशंसा जो मुन्ना सिंह चौहान जी का पत्र हमें मिला है, यह एक पूर्वाग्रह रहित काम किया गया है, इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं । इसी के साथ मान्यवर, क्षेत्रीय संतुलन के सिद्धान्त की अवहेलना की गई है । अध्यक्ष महोदय, यदि आंकड़े रखें तो 10.78 प्रतिशत जनसंख्या के सापेक्ष बुन्देलखण्ड में 20.86 प्रतिशत जनसंख्या है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12.46 प्रतिशत ऐसे गांव हैं, जहां 200 से कम की आबादी है और हमारे बुन्देलखण्ड में 8.5 ऐसे गांव हैं, जहां पर 200 से कम की आबादी है ।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 1 लाख की आबादी पर 2.03 है जबकि बुन्देलखण्ड में 3.15 है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों की संख्या 1 लाख की जनसंख्या पर 12.25 है जबकि बुन्देलखण्ड में 16.1 है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की साक्षरता 56.26 प्रतिशत है जबकि बुन्देलखण्ड की साक्षरता 59.3 प्रतिशत है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 244 लोग मिलों में काम करते हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की संख्या 652 है । पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय रुपये 6,788 है जबकि बुन्देलखण्ड की रुपये 9195 है । मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बुन्देलखण्ड को धन दिया गया । बुन्देलखण्ड पश्चिमांचल के मुकाबले कम विकसित है लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले विकास के जितने भी संकेत हैं, हर संकेत के आधार पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुकाबले अधिक विकसित है और उसकी कुल जनसंख्या 4 प्रतिशत है जबकि बुन्देलखण्ड के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के लिए इस बजट में इतनी घोर अवहेलना क्यों की गई है ? माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं । 23 फरवरी, 05 को जब इस सदन में एक संकल्प आया था तो माननीय राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा था कि व्यवस्था की जायेगी । इसलिये मान्यवर, इस बजट में सुधार किया जाए । जब बुन्देलखण्ड की 4 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों के लिए जिसकी जनसंख्या 40 प्रतिशत है, उसके लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए । अभी नरेश जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की अवहेलना केन्द्र सरकार कर रही है इसलिए उत्तर प्रदेश के सांसदों को मिल करके केन्द्र पर धावा बोलना पड़ेगा । आपने अच्छी बात कही है तो क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के माननीय विधायकों--चाहे रिजवी साहब हों, वसीम भाई हों या चौधरी साहब हों, क्या इस बात की स्वीकृति देंगे कि इस सरकार के विरुद्ध लड़ने का काम करें ? (श्री नरेश अग्रवाल द्वारा बैठे हुये यह कहने पर कि यह मौका नहीं आयेगा) मौका नहीं आयेगा तो धन्यवाद देंगे । इस सरकार ने फरवरी, 2004 में उत्तर प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व बजट प्रबन्धन अधिनियम पारित किया । इस अधिनियम के तहत लक्ष्य तय किया गया कि वर्ष 2009 तक राजस्व घाटा समाप्त कर दिया जायेगा और राजकोषीय घाटा घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया जायेगा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकल घरेलू उत्पाद 25 प्रतिशत कर दिया जायेगा । जो बजट प्रस्तुत किया गया है, आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों तथा जो कुछ आप दिशा देना चाहते हैं उसके विपरीत है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब इस बिन्दु पर आना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ 61 लाख की जनसंख्या है जो पूरे देश का 16.2 प्रतिशत है । वर्ष 1951 में खाद्यान्न उत्पादन हमारा 117.75 लाख टन था वह बढ़कर 432 लाख टन हो गया है, इसी तरह से गन्ना उत्पादन में भी हम काफी आगे बढ़े हैं । वर्ष 1951 में साक्षरता 12.02 प्रतिशत थी वह अब बढ़कर 57.37 प्रतिशत हो गयी है। लेकिन सच्चाई का दूसरा पहलू भी है प्रति व्यक्ति आय की तुलना की जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 48.6 प्रतिशत कम है । यह 14 सालों से है यह पता नहीं लेकिन पिछले 3 सालों से यह अन्तर बढ़ा है लेकिन जो कुछ आंकड़े दिये गये हैं वह वर्ष 2004-2005 के आंकड़े दिये गये । उसके अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का जो अन्तर था वह 8326 रुपये था लेकिन आज 10,101 रुपये है । इस सरकार के कार्यकाल के दौरान भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की आय और केन्द्र सरकार के नागरिकों की आय में अन्तर आया है । आज उत्तर प्रदेश साक्षरता में 13वें स्थान पर है । विकास सूचकांक में बहुत पीछे है । उत्तर प्रदेश का सी0डी0 रेशियो भी 13वें स्थान पर है, फैक्ट्रियों की संख्या में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर है, उत्तर प्रदेश स्वीकृत अस्पतालों की संख्या में तथा कृषि के व्यवसायीकरण में भी 13वें स्थान पर है । इसीलिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय प्रबंधन अधिनियम जारी किया गया है और उसके लिये लक्ष्य बनाये गये हैं । लेकिन जो लक्ष्य बजट में रखे गये हैं और जो सिद्धांत बताये गये उन दोनों में कोई तालमेल नहीं है । राजस्व घाटा आज 5304 करोड़ 47 लाख रुपये का है । यह 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.1 प्रतिशत हो गया है । इसी तरह से राजकीय घाटा 10352 करोड़ 58 लाख रुपये का हो गया है । जो हमारी ऋण ग्रस्तता है वह वर्ष 2003-2004 में 91 हजार 182 करोड़ थीं । यह वर्ष 2003-2004 में एक लाख 6494 करोड़ हो गयी और वर्ष 2004-2005 में ऋण ग्रस्तता बढ़कर 116182 करोड़ रुपये हो गयी है। अब जो आंकड़े दिये गये हैं उसके अनुसार इस समय यह 129154 करोड़ रुपये हो गयी है । इस तरह देखा जाय तो ढाई साल में 38 हजार करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता हो गयी है । इसका दायित्व आपको लेना होगा । यह जो राजकीय कोष प्रबंधन अधिनियम बनाया गया है अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाली सरकारें इसका पालन करेंगी । इसलिये मेरा आग्रह है कि आपने बजट में आवश्यक सुधार करते हुये जो अधिनियम जारी किया गया है उसके अनुसार अपने बजट का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा को दूर करने का प्रयास करेंगे ।

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया)–

मान्यवर, आपने मुख्यमंत्री जी द्वारा रखे गये वर्ष 2005-2006 के बजट पर अपने विचार प्रकट करने के लिए मौका दिया । इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय से वर्ष 2005-2006 का बजट प्रस्तुत किया है और अपनी समय की वचनबद्धता का परिचय दिया है । गतवर्ष जो उन्होंने कहा था उसको पूरे का पूरा लागू किया है । उन्होंने समय से बजट प्रस्तुत करके प्रदेश में समय पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है जिससे साल भर विकास के काम करने का मौका मिलेगा और प्रदेश में विकास की नई कार्य संस्कृति का विकास होगा । ऐसा करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ ले जाने का जो संकल्प किया था वह लक्ष्य पूरा होगा । प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, रोजगार को प्राथमिकता दी गयी है । यह मूलभूत आवश्यकतायें हैं इससे प्रदेश का विकास होगा । मान्यवर, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया

गया है इसके लिए उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना की गयी है । चाहे राजमार्ग प्राधिकरण नीति हो, ऊर्जा नीति हो, चीनी उद्योग नीति हो, इन सभी के माध्यम से प्रदेश की स्थिति को सुधारने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, गन्ना मूल्य में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की गयी है । प्रदेश में समय के अन्दर गन्ने की खरीद चल रही है और त्वरित भुगतान किया जा रहा है । पहले वर्षों तक किसानों को उनके गन्ने का मूल्य नहीं मिलता था आज हमें आश्चर्य होता लगता है कि विपक्ष की तरफ से मांग आती है कि ब्याज बढ़ा दें । जो लोग पिछले 10-12 साल सत्ता में रहे उनके समय में 4-4 साल तक गन्ने के मूल्य का भुगतान नहीं हो पाता था । इस सरकार ने किसानों के गन्ने के मूल्य का समय पर भुगतान किया है और गन्ना मूल्य बढ़ाया है । मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि गन्ने के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के गन्ना मूल्य के संबंध में अपनी सक्षमता का परिचय दिया है । आज गन्ने का मूल्य 12 रुपये बढ़ाया गया है और समय से गन्ने के मूल्य का भुगतान हो चुका है । मान्यवर, यह बजट इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिला समाज के सशक्तिकरण के लिए जिस प्रकार से जेंडर बजटिंग की व्यवस्था प्रदेश में लागू हुयी है उसके अनुसार महिलाओं पर एक निश्चित प्रतिशत खर्च किया जायेगा इससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा । जिस तरह से इस बजट में आधे अधूरे कामों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्धता व्यक्त की गई है और उसके लिए धन की व्यवस्था की गई है उससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि सरकार बिना किसी भी प्रकार का भेदभाव किए अधूरे कार्यों को पूरा कराना चाहती है । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 71.3 प्रतिशत योजना के धन का प्राविधान बजट में किया गया है यह सरकार की संकल्पबद्धता को परिलक्षित करता है कि हम गांवों की तरफ देख रहे हैं जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा । इसके लिए सरकार ने प्राविधान किया है । प्रदेश में जो सबसे क्रांतिकारी काम हो रहा है वह सड़कों के निर्माण का हो रहा है । सड़कों के निर्माण के लिए पुलों के निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जिससे 2158 कि0मी0 सड़का के निर्माण की वचनबद्धता जाहिर की गई है । इसके लिए 375 करोड़ का प्राविधान किया गया है । इस सरकार के समय में 121 पुलों का निर्माण समय के अन्दर पूरा किया गया है । हमारे क्षेत्र में एक पुल का शिलान्यास किया गया था और उसको 7 महीने में बनना था लेकिन वह साढ़े पांच महीने में ही बनकर तैयार हो गया और वह यातायात के लिए खोल दिया गया ।

सिंचाई के बारे में कहना चाहता हूं हमारे समय में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है । वर्ष 2004-2005 में हमने 28,772 कि0मी0 नहरों की सिल्ट साफ कराई है और टेल तक पानी पहुंचाया । मैंने स्वयं जाकर देखा है किसानों ने अवगत कराया कि जहां पर 15-15 साल से पानी नहीं आ रहा था वहां पर इस समय पानी पहुंच रहा है । यह माननीय मुख्यमंत्री जी की संकल्पबद्धता थी, निर्देश था कि विभाग ने मजबूती के साथ कार्य किया । शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री जी ने 1600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जिसमें अधिकतम 1158 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा के लिए की गई है । यह इस भावना को परिलक्षित करता है कि प्राथमिक शिक्षा से गांव गरीब, कमजोर बच्चा जुड़ा होता है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में चिन्ता व्यक्त की थी कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि कृष्ण और सुदामा के बच्चे एक साथ शिक्षा ग्रहण करें । इसी भावना के तहत प्राथमिक शिक्षा के लिए बजट की व्यवस्था की है । इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों के लिए पेंशन व उनकी विधवाओं के लिए पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दी गई है । यह कदम प्रशंसा योग्य है । व्यापारियों के हित

संरक्षण की बात भी इस बजट में रखी है । अभी व्यापारियों का सम्मेलन हुआ था । जिस तरह से वैट का हौवा खड़ा किया गया उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में बिना व्यापारियों की सहमति से वैट लागू नहीं करेंगे उसके लिए हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं । प्रदेश में जब तक राजस्व का संवर्धन नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है इसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है । इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । राजस्व घाटा जो सकल घरेलू उत्पाद का 2.4 प्रतिशत था उसको हमने वर्ष 2005-06 में 2 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है । जो इस बात का परिचायक है कि प्रदेश में जो ऋणग्रस्तता की स्थिति है उसके सुधार की दिशा में सरकार ने प्रयास किया है । जो यहां पर ऋणग्रस्तता के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है तो यह एक दिन की तो देन नहीं है हमने प्रयास किया है कि प्रदेश की ऋणग्रस्तता कम हो ।

मान्यवर, सबको विकास के समान अवसर मिलें, संसाधनों पर सबका बराबर का हक हो । सरकार आगामी वर्ष को विकास वर्ष के रूप में मनाना चाहती है और इसकी वचनबद्धता इस बजट से परिलक्षित होती है । समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को सरकार सुविधा और संसाधन पहुंचाना चाहती है और यह सरकार की प्राथमिकता भी है । मैं बजट के साथ-साथ कुछ बातें अपने जनपद गोण्डा के बारे में भी कहना चाहता हूं जहां से मैं चुनकर आया हूं । मान्यवर, वहां पर चीनी मिलों के अलावा और कोई उद्योग नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि कृषि पर आधारित उद्योग वहां पर लगाए जायं ।

श्री अध्यक्ष–

आई0टी0आई0 टेलीफोन वाला तो है वहां पर ।

श्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया–

मान्यवर, वह तो है लेकिन वह मृतप्राय: हो रहा है । बन्द होने की स्थिति में है । ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र शूकरखेत पसना पड़ता है, उसके लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं । परसपुर को नगर पंचायत बनाने हेतु अनुरोध करता हूं । घाघरा सरयू नदी के दोआबा सेतु में पुल और सड़कों के निर्माण कराये जाने की बात कहकर मैं बजट भाषण का समर्थन करता हूं तथा करनेलगंज में महिला डिग्री कालेज की मांग करता हूं । जयहिन्द ।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों को बोलना है वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाया करें ।

श्री रिजवान अहमद खाँ–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं इस बजट में एक कमी महसूस कर रहा हूं । 2004 और उससे पहले के बजटों में भी निजी क्षेत्र की शिक्षाओं के लिए व्यवस्था की गई थी । लेकिन इस बजट में निजी क्षेत्र की शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । इससे पहले निजी कन्या माध्यमिक स्कूल के लिये व्यवस्था की गई थी लेकिन इस बार बजट में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है । मेरी भी एक निजी समस्या है कि मैं भी एक निजी कन्या स्कूल अपने क्षेत्र में खुलवाना चाह रहा था लेकिन उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई है । मैं जिस गांव गढ़ी, ब्लाक-छजलेट (कांठ) का रहने वाला हूं

उस गांव व पास के एक और गांव की आबादी मिलाकर 30 हजार है और वहां पर कन्याओं की शिक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं है । दोनों गांव अल्पसंख्यक समाज के हैं । वहां पूरे ब्लाक में एक ही कन्या माध्यमिक स्कूल है जो कि 20 कि0मी0 की दूरी पर है । इस बजट में निजी क्षेत्र की शिक्षा के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और आपसे मांग करता हूं कि वहां कन्या माध्यमिक स्कूल की व्यवस्था की जाए । इसी तरह से एक बात मैं बच्चों को दिये जाने वाले पके हुए खाने के बारे में कहना चाहता हूं । मेरा अनुरोध है कि इसके स्थान पर बच्चों को रेडीमेड खाना दिया जाय जिससे बच्चों का समय नष्ट न हो और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा होगा क्योंकि वह डाक्टर से पास किया हुआ होगा । वहां खाना बनाने में बच्चों को बीमारी का खतरा रहता है । मैं दुबारा अनुरोध करूंगा कि हमारे यहां कन्या माध्यमिक शिक्षा के लिए कोई प्राविधान किया जाए ।

डॉ0 शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का अवसर आपने दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आजादी के बाद तमाम सरकारों का बजट आया लेकिन ऐसा क्रान्तिकारी बजट किसी का नहीं आया । मान्यवर, इस बजट में समाज के वह अंग जो उपेक्षित हैं चाहे वह अल्पसंख्यक हों, चाहे वह रिक्शा चालक हों, चाहे वह महिलायें हों उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है । मान्यवर, इस बजट के विरोध का मतलब है समाज के उन वर्गों का विरोध करना जिनकी झोंपड़ियों में अंधेरा है जिनकी झोंपड़ियों में प्रकाश डालने का प्रयास मा0 मुख्यमंत्री जी ने किया है । इस बजट के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है । ऐसी व्यवस्था कभी नहीं की गई। मान्यवर, जिस तरह से रिक्शा चालकों को मालिक बनाने का प्राविधान बजट में किया गया है वह ऐसी सोच है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह डा0 लोहिया जी की सोच है । आचार्य नरेन्द्र देव जी की सोच है । समाजवादी विचारधारा की सोच है । समाज के हर वर्ग के लिए विशेष प्राविधान किया जाए इस सोच के तहत मुख्यमंत्री जी ने, जो लोहिया जी की विचारधारा से ओत-प्रोत हैं उस विचारधारा से प्रभावित होकर बजट रखा है । आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे गन्ना किसान जो विगत 10-12 साल से जब 1995 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को साजिश के तहत गिराया गया था उसके बाद प्रदेश के गन्ना किसान निराश हो गये थे कि उन्हें उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा । यहां तक कि किसानों ने गन्ने के दाम के भुगतान को लेकर आन्दोलन कर दिया तो उन पर गोलियां चलवाई गईं । चाहे वह रामकोला हो, चाहे पडरौना हो,चाहे मुंडरेवा की चीनी मिल का मामला हो । पहली बार मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरक र ने गन्ने के रेट 95 रुपये से 107 रुपये व 112 रुपये किये । यह जो 95 रुपये था यह कागज में रेट था । एक्चुअल में 77 रुपये मिलता था । इस तरह से कागजों में 12 रुपया बढ़ा है लेकिन एक्चुअल में 77 रुपये से 30 रुपये का फायदा हुआ है । किसानों में खुशी की लहर है । जो लोग कहते हैं कि सरकार को बर्खास्त किया जाएगा यह सरकार चली जाएगी तो वह मुगालते में हैं । इस सरकार को अगर छूने का प्रयास किया जाएगा तो पूरे प्रदेश में आग लग जाएगी । प्रदेश के 80 फीसदी किसान खुश हैं उनको गन्ने का अच्छा मूल्य मिलेगा, धान का अच्छा मूल्य मिलेगा, गेहूं का अच्छा मूल्य मिलेगा । आज जैसे काम किसानों के लिए हो रहे हैं आजादी के बाद किसी ने किसानों के लिए नहीं किया जो किसान विरोधी हैं वह इस बजट का विरोध कर रहे हैं। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं । शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से क्रान्तिकारी कदम इस सरकार ने उठाये हैं 1993 में जब माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी ।

(इस समय 4 बजे अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए)

जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बालिकाओं के लिए असेंवित ब्लाक योजना चलाई थी । जहां पर कन्या इण्टर कालेज नहीं थे वहां पर कन्या इण्टर कालेज खोलने के लिए 5 से 6 लाख रुपये दिये जाते थे और अब 20 लाख रुपये दिये जा रहे हैं । मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जहां पर निरक्षरता की भरमार है, वहां पर दो असेवित कन्या इण्टर कालेज खोलने की अनुमति दी है । मान्यवर, यह बहुत ही संवेदनशील सरकार है जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करना गांव की शिक्षा का विरोध करना है, किसानों का विरोध करना है, अल्पसंख्यकों का विरोध करना है । इसलिए जो लोग इस बजट का विरोध करते हैं, मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि वह अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लेकर इस बजट का समर्थन करें ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात कहना चाहूंगा । मैं जनपद-बलरामपुर से चुनकर आया हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । बलरामपुर-ललिया मार्ग पर राप्ती नदी में कोड़री घाट पर 4-5 साल पहले पुल बनाया गया था लेकिन अब इस नदी का बहाव कई किलोमीटर दूर चला गया है और अब नदी का पानी पुल के नीचे से नहीं बह रहा है इसलिए उस पुल का उपयोग नहीं हो पा रहा है । नदी का बहाव अलग हो जाने के कारण बलरामपुर जनपद के शिवपुरा ब्लाक के लोगों को 80 कि0मी0 की दूरी तय करनी पड़ रही है । जबकि शिवपुरा ब्लाक से बलरामपुर की दूरी 22 कि0मी0 है । इसलिये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कोड़री घाट पर निर्मित नया पुल उपयोगी बनाया जाय । इसमें एक पत्र भी लिखा गया था । मान्यवर, बरसात के मौसम में वहां पुल न होने के कारण लोगों को नाव से नदी को पार करना पड़ता है जिससे दुर्घटनाएं भी होती हैं । मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, बलरामपुर में थारू जनजाति के 20-25 गांव हैं उनकी प्रगति के लिए केन्द्र सरकार से पैसा नहीं आ रहा है, मैं आग्रह करूंगा कि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार को लिखकर भेजे कि थारू जनजाति के विकास के लिए पैसा दिया जाए ताकि केन्द्र से धनराशि मिले और उस क्षेत्र में विकास की गंगा बहायी जाए । मेरा विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, नेपाल सीमा से सटा है और माओवाद से प्रभावित है, इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में जो जंगल इलाका है, वहां इस समय 14 घण्टे बिजली आ रही है, मैं आग्रह करूंगा कि वहां कम से कम 20 घण्टे बिजली दी जाए । मान्यवर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में पहाड़ी नाले-नदियों की भरमार है, उन पर लकड़ी के जो पुराने पुल बने हैं, उनके निर्माण के लिए शिवपाल जी ने स्वीकृति दी थी और वहां 10 पुल बन रहे हैं, अभी 8-10 पुल और हैं जिनको बनाये जाने की जरूरत है । मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अप्रैल महीने में इनके लिए पैसा दे देंगे तो मैं सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गैसड़ी और परड़िया में कन्या विद्यालय की स्वीकृति दे दी गयी है और उसका निर्माण कार्य शुरु हो गया है इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ।

श्री अधिष्ठाता–

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक पर चर्चा जारी रहेगी।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्ययोजना बनायी जाए" विषयक दिनांक 9 नवम्बर, 2004 को डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव†

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि पिछले सत्र से लम्बित नियम 103 के प्रस्ताव पर चर्चा-'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्ययोजना बनाई जाय', इस पर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया । मान्यवर, इस चर्चा को इस सदन में करने का उद्देश्य यह है कि इस सदन के जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं वह भी जनसंख्या वृद्धि और उसके कारण होने वाले सम्भावित नुकसान या कठिनाइयों से अवगत होकर अपने-अपने क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए जो भी शासन की योजनाएं हैं उनकी मानीटरिंग स्वयं करें कि शासन द्वारा इस निर्धारित क्षेत्र में जो काम किये जा रहे हैं वह हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं । इस तर्क के पीछे केवल एक बात कहकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा कि प्रदेश की एक बड़ी समस्या है-अधिक जनसंख्या। प्रदेश की जो स्थिति है तो इसके लिए संकल्प की आवश्यकता है कि इसके स्थिरीकरण के लिए यह सदन संकल्प लेगा तो निश्चित रूप से हम इसमें कुछ कर पाएंगे । जब 'जय जवान' का नारा दिया तो युद्ध में भारत की जीत हुयी थी, जब 'जय किसान' का नारा दिया गया तो हमने अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी । उसी प्रकार से जनसंख्या के स्थिरीकरण पर संकल्प की आवश्यकता इस सदन को है। मान्यवर, बढ़ती जनसंख्या का कारण है अशिक्षा, अज्ञानता और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पर रुचि न दिखाया जाना । इसको मैं इसका मुख्य कारण मानता हूं । अगर जनसंख्या का नियंत्रण होगा तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार आएगा । गुणवत्ता पूर्ण जीवन के कारण शिक्षा की स्थितियों में सुधार आएगा लेकिन प्रश्न यह है कि जनसंख्या की बढ़ती हुयी गति को कम कैसे किया जाये और इससे विकास की गति प्रभावित होती है या नहीं होती है यह भी सोचने का विषय है ।

एक मत तो यह है कि जनसंख्या से हमें श्रम शक्ति प्राप्त होती है । दूसरी बात यह है कि जनसंख्या अधिक होने के कारण विकास की गति प्रभावित होती है । चीन ने तो अपनी जनसंख्या को श्रम शक्ति के रूप में डाइवर्ट कर लिया लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को श्रम शक्ति के रूप में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं । इसलिये जनसंख्या का स्थिरीकरण उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से महती आवश्यकता है । इसके परिप्रेक्ष्य में परिणाम क्या हो रहे हैं । मान्यवर, इसके कारण जमीन के क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात में जमीन कम होती जा रही है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, आवासीय क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं । तालाब और सार्वजनिक स्थान पर कब्जे हो रहे हैं, पहाड़ नंगे हो रहे हैं, नदियों में सिल्ट बढ़ रहा है जिसके कारण सिंचाई के लिए जल नहीं मिल पा रहा है । जल स्तर घट रहा है, भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो रही है । अधिक उत्पादन करने के लिए कृत्रिम खाद का प्रयोग किया जा रहा है, इससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं । इन सबका कारण है-हमारी अधिक जनसंख्या । हम अधिक जनसंख्या के लिए आवासीय ढांचा नहीं दे पा रहे हैं । विकास अराजकता के चंगुल में कसता जा रहा है । अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से विचार करें । 1980 में 2.14, 1990 में 1.95 तथा सन् 2000 में 1.70 है । अगर उत्तर भारत को छोड़ दें और दक्षिण भारत को देखें तो उसका प्रतिशत कम है और उसका कारण है वहां की शिक्षा और विशेषत: महिलाओं की शिक्षा । परिवार की रूप रेखा निर्णय के बारे में वहां पर महिलाओं की बराबर की भागीदारी है इसके

†दिनांक 9 नवम्बर, 2004 की कार्यवाही से ।

कारण वहां की जनसंख्या दर कम है । चाहे आप केरल ले लें, तामिलनाडु ले लें, आंध्रा ले लें और महाराष्ट्र और गुजरात ले लें तो शिक्षा का प्रतिशत वहां पर ज्यादा है इसलिये वहां पर जनसंख्या का नियंत्रण हो पा रहा है । लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है । वह यह है कि धीरे-धीरे महिलाओं की संख्या घटती जा रही है । लोगों के मन में मेल चाइल्ड की इच्छा ज्यादा जाग्रत हो रही है इसके कारण महिलाओं की संख्या घट रही है । बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में जनसंख्या वृद्धि की दर में काबू नहीं पाया जा रहा है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बच्चों में जन्म का अन्तर भी कम है । यू0पी0 में 13 प्रतिशत में 18 माह है जिसको बढ़ाया जाना चाहिए । महिला और पुरुष का अनुपात यदि देखा जाय तो यह भी कम है । हरियाणा में यदि एक हजार पुरुष पैदा हो रहे हैं तो आठ सौ इकसठ लड़कियां पैदा हो रही हैं और वहीं केरल में 1058 लड़कियां पैदा हो रही हैं । जो चाइल्ड सैक्स अनुपात है वह 1991 में 945 तथा सन् 2001 में 927 का है और भ्रूण परीक्षण इसका कारण है । मान्यवर, जो टोटल फरटिलिटी रेट है उसक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य 2010 में 2.1 करने का है । 1980-82 में यह 4.5 प्रतिशत था, 2000 में यह 3.2 प्रतिशत था । इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर भारत में अभी भी जल्दी शादी हो जाती है दक्षिण भारत के मुकाबले में । उत्तर में चालीस प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है और यही कारण है कि 15 से 19 वर्ष में 15 प्रतिशत लोगों की सन्तानें उत्पन्न हो जाती हैं इसको रोका जाना चाहिए । यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का । जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए इस पर भी विचार करना होगा ।

मान्यवर, साधारणतया परिवारों में जन्म हेतु कोई नियोजन नहीं होता है इसके कारण भी जनसंख्या वृद्धि होती है । परिवार नियोजन के उपायों का लाभ न लेना, लड़के होने की इच्छा, शिशु मृत्यु दर अधिक होना यह कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख संचारी रोग से शिशु मृत्यु दर अधिक होती है । एम0एम0आर0 रेट 1997 में 408 था । इसका कारण यह है कि अस्पतालों में ट्रेन्ड दाई का न होना, परिवहन का साधन न होना, गरीबी, कुपोषण, जल्दी शादी, बार-बार गर्भवती होना दो बच्चों में अन्तर न होना है । केरल और हिमाचल प्रदेश हमारे आदर्श होने चाहिए । हिमाचल प्रदेश ने अपने विशेष प्रयासों में जो जन्म की अपेक्षित दर है उसको प्राप्त कर लिया है । इसके लिए हमें अपने व्यवहार में शोधन, मानसिकता में परिपक्वता, जन-जागरण और महिला शिक्षा की तरफ ध्यान तथा पति पत्नी में संतुलन दोनों का मिलकर निर्णय यह होना चाहिए । उत्तर प्रदेश में जनसंख्या 17 करोड़ 20 लाख है । उत्तर प्रदेश में घनत्व की दृष्टि से अगर हम विचार करें तो 1981 में उत्तर प्रदेश का घनत्व भी प्रति स्क्वायर कि0मी0 384 के स्थान पर अब 578 प्रति स्क्वायर कि0मी0 हो गया है, जबकि देश का जनसंख्या घनत्व 256 प्रति स्क्वायर कि0मी0 है, इसलिये मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या चिन्ता का विषय है । मान्यवर, वर्ष 1991 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश के तकरीबन 40 प्रतिशत गांवों की आबादी 500 से कम थी, इसके अलावा 26 प्रतिशत गांव ऐसे थे जिनकी आबादी 500 से 999 के बीच थी । प्रति गांव औसत जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ 989 है, इस प्रकार से विकास से जुड़े आधारभूत ढाचे और सभी प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता की राह में प्रदेश में बड़ी संख्या में बिखरे छोटे गांव सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं । मान्यवर, प्रदेश की 73 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुयी है और राज्य की आय का 46 प्रतिशत इसी क्षेत्र से आता है फिर भी प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रही है । उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 1981 में 28 प्रतिशत से बढ़कर 1991 में 42 प्रतिशत हो गई थी, पुरुष और महिला साक्षरता का अन्तर यहां काफी बड़ा है । मान्यवर, पांच दशकों

में जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर में तेजी से कमी आने की वजह से भी जनसंख्या तेजी से बढ़ी और 1951 की 6.3 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2000 में 17 करोड़ हो गई यानि शताब्दी के पूर्वार्द्ध में जहां आबादी में 1.5 करोड़ की वृद्धि हुई थी, वहीं उत्तरार्द्ध में 11.9 करोड़ की वृद्धि हो गई, वर्तमान में आबादी 2.19 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है यानि हर साल प्रदेश की आबादी 38 लाख और हर तीसरे साल एक करोड़ से अधिक बढ़ रही है, यह चिन्ता का विषय है ।

मान्यवर, जनसंख्या नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है । प्रजनन की मौजूदा दर अगर जारी रही तो उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 में 21.6 करोड़, 2031 में 32.5 करोड़ और 2051 तक 44.1 करोड़ तक पहुंच जाएगी, यानि 5 दशकों के अन्दर इसमें 27 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी । फिर न तो लोगों के रहने के लिए भूमि बचेगी, न खाने के लिए भोजन पैदा करने के लिए जमीन बचेगी । मान्यवर, प्रदेश के दस जनपद ऐसे होंगे जिनकी आबादी एक करोड़ से अधिक और 18 जनपद ऐसे होंगे जिनकी आबादी 60 लाख से अधिक होगी । इस आबादी को स्थिर रखने की आवश्यकता है और संसाधनों को सक्रिय करके 2016 तक प्रजनन दर को प्रतिस्थापन प्रजनन दर तक लाने और उसके बाद जितनी जल्दी हो सके, आबादी को स्थिर रखने का लक्ष्य प्राप्त करना बेहद जरूरी हो गया है । जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य 2016 तक प्रजनन दर को प्रजनन प्रतिस्थापन दर 2.1 पर लाना होगा । 1998 में जो दर 22 प्रतिशत थी उसको 2016 तक 52 प्रतिशत पर लाना होगा । शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में तुरन्त कमी लानी होगी, पुरुषों के लिए शादी की आयु पर हमें जागरुकता का प्रतिशत 2011 तक 18 से बढ़ाकर 80 करना होगा और स्त्रियों के लिए शादी की उम्र के बारे में जागरुकता का प्रतिशत 27 से बढ़ाकर 80 तक लाना होगा तभी निश्चित रूप से जनसंख्या के नियंत्रण में सफलता हमको मिल पाएगी और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे । 1997 में सफल प्रजनन दर 4.3 को 2011 तक 2.6 पर लाना होगा और साथ ही प्रजनन की प्रतिस्थापन दर को भी 2016 तक 2.1 तक लाना होगा । पश्चिमी क्षेत्र में 1997 के 4.6 से घटाकर 2011 में 2.7 और 2016 में 2.1 पर लाना होगा, मध्य क्षेत्र में 1997के 4.4 से घटाकर 2011 में 2.6 और 2016 में 2.1 पर लाना होगा, पूर्वी क्षेत्र में 1997 के 4.6 से घटाकर 2011 में 2.7 और 2016 में 2.1 पर लाना होगा, बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1997 के 3.4 से घटाकर 2011 में 2.1 और 2016 में 1.9 पर लाना होगा, तब जाकर हम लक्ष्य को प्राप्त कर पायेंगे। मान्यवर, जनसंख्या नियंत्रण से सम्बन्धित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायत निकायों की बहुत बड़ी भूमिका है । मान्यवर, निजी क्षेत्र को भी इसमें श मिल करना होगा तभी हम जनसंख्या स्थिरीकरण को प्रभावी रूप दे सकेंगे और इसमें गैर सरकारी संगठन, सहकारी संस्थाओं, संगठित क्षेत्र और भारतीय चिकित्सा पद्धति के जो चिकित्सक हैं, उनका इसमें सहयोग लेना आवश्यक है ।

मान्यवर, जो सरकारी संसाधन हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमें देखना होगा, मान्यवर, जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य 2016 तक प्रजनन दर को प्रजनन प्रतिस्थापन दर 2.1 पर लाना है । मान्यवर, जो बात है उसमें हमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में तुरन्त कमी लाने का काम करना होगा । मान्यवर, हमें मातृत्व के अच्छे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम करना होगा । आर0सी0एच0 की बेहतर सुविधाएं हमें देनी होंगी। मान्यवर, हमें देखना होगा कि वह सुविधाऐं उपलब्ध हों । मान्यवर, हमें देखना होगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्या सुविधाएं हैं और गांव में ए0एन0एम0 को क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं जो उसे गर्भवती माताओं को देनी हैं । मान्यवर, अगर इन सबकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं होगी और उनके माध्यम से इसकी मानीटेरिंग नहीं होगी तो निश्चित तौर पर केवल सरकारी तंत्र के आधार पर, किसी भी दल की सरकार हो, जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में समुचित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा

सकेगा । पुरुषों और महिलाओं को गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और जिनका उपयोग बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

मान्यवर, जो राज्य स्तर पर बात है उसके अनुसार परिवार सीमित रखने की स्थायी विधियां अपनाने वालों की बाबत हमें यह कहना है कि 2009 में इसकी सर्वाधिक 13 लाख पर वार्षिक संख्या पहुंच जानी चाहिए । अभी तक इसका जो लक्ष्य है उसमें वांछित उद्देश्य की हमें प्राप्ति नहीं हुई है । मान्यवर, अगर हम क्षेत्र के स्तर पर देखें तो पश्चिमी क्षेत्र में जिन दम्पत्तियों को परिवार सीमित रखने वाली समयान्तर विधियां उपलब्ध कराई जानी हैं उनकी वार्षिक संख्या 2016 में पहुंचते-पहुंचते 2205 हजार हो जायेगी । मान्यवर, इसी तरह से मध्य क्षेत्र में दम्पत्तियों की वार्षिक संख्या 2016 में पहुंचते-पहुंचते 978 हजार से ज्यादा हो जायेगी । मान्यवर, और पूर्वी क्षेत्र में आप देखें 2009 में सर्वाधिक वार्षिक संख्या 535 हजार हो जानी चाहिए । मान्यवर, अगर हम इस दिशा में प्रयत्नशील नहीं हुए और संसाधनों को नहीं बढ़ाया गया तो हम जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।

मान्यवर, इसी तरह से आप देखें कि नगरीय स्वास्थ्य प्रणाली और स्थानीय नगर इकाईयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है । मान्यवर, हमें निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला डाक्टरों का सहयोग लेना आवश्यक होगा । मान्यवर, यहां एक आयोग का गठन किया गया था जब 2000 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित की गई थी तथा प्रदेश में जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन किया गया था और एक जनसंख्या स्थायित्व समिति भी गठित की गई थी । तो मेरा यह कहना है कि जो यह आयोग गठित किया गया था और जो समिति गठित की गयी थी । उसकी कितनी बैठकें हुईं तथा उनकी बैठकों की कार्यसूची क्या थी ? वह बैठकें हुईं या नहीं ? मान्यवर, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि अब हमें क्या करना होगा । मान्यवर, पहले केन्द्र सरकार का टारगेटेड एपरोच था केन्द्रीकृत व्यवस्था थी । केन्द्र, राज्य और जिला का टारगेट तय होकर उसकी चिन्ता होती थी आज टारगेट नहीं है । पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 अपने स्तर पर निर्णय करेगी और टारगेट तय करेगी कि अपने क्षेत्र में कौन गांव में कौन मौहल्ले में और कौन वार्ड में इससे अधिक लोग प्रभावित हैं और यह नियंत्रण में नहीं आ रही है और उनके अनुसार अपनी योजना बनायेगी ।

मान्यवर, जैसे आप देखें पल्स पोलियो के अभियान में एक-एक मौहल्ले को चिन्हित कर रहे हैं और जहां बच्चे बिना ड्राप रह जा रहे हैं उनको ड्राप पिलाये जा रहे हैं । मान्यवर, इसी तरह से जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में जो अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो उसमें इसी तरह से क्षेत्र को चिन्हित करके और चिन्हित करने के बाद उसी अनुसार योजना बनाई जाय । मान्यवर, यह लक्ष्य पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 पर बनेगा यह बात सरकार की ओर से तय हो गई है इसमें परिणाम अभी आने हैं और जनसहयोग की बहुत कमी है । मान्यवर, जो इसमें जनप्रतिनिधियों की जो भूमिका की बात है चाहे वह विधायक हों या सांसद या जिला पंचायत के सदस्य या स्थानीय निकायों के सदस्य यदि इन सबको इस कार्य में नहीं जोड़ा जायेगा तो वह अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। अगर वह एक एडवोकेट के रूप में काम नहीं करेंगे तो इस दिशा में पर्याप्त सफलता नहीं मिल पायेगी । अत: जो सुझाव है कि इन सब बातों के लिए सबका सहयोग लिया जाए और जो निजी क्षेत्र की प्राइवेट महिला डाक्टर हैं उनका भी सहयोग लिया जाए । जो सुविधाएं प्राइवेट अस्पतालों में हैं वह सुविधाएं हमारे अस्पतालों में बढ़नी चाहिए और वह लोगों को मिलें । रिमोट एरिया में डोर स्टेप सुविधा देनी होगी । सीधी बात यह है कि परिवार कल्याण की सुविधाएं गुणवत्तायुक्त हों और सेवाभाव से देंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति हो जायेगी । हेल्थ वर्कर यदि उस क्षेत्र की जनता को उचित दिशा में यदि उसकी अपेक्षा के अनुसार उनकी भाषा में अपनी सुविधाएं, अपनी सेवाएं उनको देंगे तो निश्चित रूप

से एक आपसी विश्वास विकसित होगा और इसका परिणाम जनसंख्या स्थिरीकरण के रूप में आयेगा। स्टाफ, दवा, डाक्टर, उपकरण यह सब संसाधन अगर उपलब्ध करायेंगे ताकि परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, गर्भावस्था माता किसी प्राइवेट में न जाने पाये तो इसमें अपेक्षित सुधार होगा । .3 प्रतिशत बजट अगर स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त नहीं होंगे । वित्त अनुभाग ने सुझाव दिया है कि अब स्वास्थ्य सेवाओं पंर 5 प्रतिशत खर्च होना चाहिए कांक्रेट लिस्ट में । 90 प्रतिशत वेतन भत्ते में जायेगा तो व्यवस्था में सुधार नहीं आयेगा । जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाने के लिए सदन या सदन के माध्यम से कोई मांग मैं सरकार से नहीं कर रहा हूं लेकिन कुछ प्रेरणा हो, जो लोग शासन की इस नीति के अनुसार जनसंख्या के स्थिरीकरण के कार्यक्रमानुसार सहयोग करके जनसंख्या स्थिरीकरण में मदद करेंगे अर्थात अप्रत्यक्ष तौर पर इस प्रदेश और देश के विकास में अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और जाति-धर्म और राजनीतिक दल के ऊपर उठकर कार्य करेंगे और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से इंसेंटिव की घोषणा होगी तो निश्चित तौर पर कार्य करने में आसानी होगी । इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान जनसंख्या नीति 2000 है इसमें भी आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए । इसके अन्तर्गत आयोग और समिति की बैठकें हुईं या नहीं इसकी जानकारी मिलनी चाहिए । एक स्वास्थ्य सेवा डोर स्टेप के रूप में विकसित करना चाहिए अच्छी गुणवत्ता विकसित करना चाहिए और इसके साथ इंसेंटिव देना चाहिए । इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान न देना इस प्रदेश और देश की अनदेखी करना है । हर दो सेकेण्ड में एक बच्चा इस देश में पैदा हो रहा है । अब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान से अधिक हो गयी है ऐसा इस कारण नहीं है कि हमारे यहां नियमों या कार्ययोजनाओं की कमी है, बस नियमों और योजनाओं का सही ढंग से अमल नहीं हो रहा है । हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में जानते हैं कि 14-15 वर्ष की बच्ची का विवाह होना आम बात है । उस हिसाब से देखा जाय तो 30-35 साल के दम्पत्ति दादा दादी नहीं तो नाना नानी अवश्य बन जाते हैं । ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो गांव में बड़े गर्व के साथ यह बात कहते हैं कि उनकी नस्ल, उनका परिवार आज 100 व्यक्तियों का है । 60 साल का व्यक्ति यह दावा कर रहा है, गर्व के साथ कह रहा है । धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं के नाम पर जो बड़े परिवार का हिमायती बन रहा है वह केवल गरीबों का शोषण कर रहे हैं, राजनैतिक लाभ लेने के लिए, चाहे सरकार यहां पर किसी ने बनाई हो । विषय यह नहीं है, विषय यह है कि छोटे कस्बे और गांव में आज भी उतने कच्चे मकान हैं, स्वास्थ्य की उतनी कमियां हैं जितनी पहले थीं तो यह राजनैतिक लाभ उठाना ठीक नहीं है, इस राजनैतिक लाभ को हमें रोकना पड़ेगा । मान्यवर, मैं संक्षेप में दो-तीन बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा.। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि यह जो परिसीमन चल रहा है, इसमें किसी भी प्रदेश के एम0पी0 की संख्या नहीं बढ़ायी जायेगी । जितने इस समय हैं, उतने ही रहेंगे । इस तरह का हमें भी कोई नियम बनाना चाहिये कि हम किसी भी परिवार के मतदाताओं को नहीं बढ़ायेंगे । अगर किसी परिवार की जनसंख्या बढ़ जाती है तो उनमें से जो सबसे योग्य वारिस होगा, उसे ही मतदान का अधिकार देना चाहिये, तब हम इस गंभीर समस्या से निपट पायेंगे । जब तक हम लोग इसमें लाभ देखेंगे, किसी भी तरह का, चाहे साम्प्रदायिक हो, चाहे राजनैतिक पार्टी का हो, जब तक लाभ देखते रहेंगे, तब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पायेंगे । यह बहुत बड़ी समस्या है । आज यहां बजट की चर्चा हुयी, लेकिन यह सब चीजें निरर्थक हो जाती हैं, क्योंकि अभी देश की आधी जनसंख्या को बिजली

के कनेक्शन नहीं मिल पाये हैं, इस देश में । 62 प्रतिशत लोगों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है और 13 प्रतिशत जनता बेघर है । जब तक सरकार जनसंख्या नियंत्रण नियमों को दृढ़ता से पालन नहीं करवायेगी, जनसंख्या वृद्धि से सत्ता पर काबिज होने की परिकल्पना को भंग नहीं करती, ऐसे सख्त नियम नहीं बनाती, जिनसे इसका पालन हो सके, तब तक विकास की दौड़ के लिए यह सदन की कार्यवाही, बजट सब निरर्थक हो जाता है । इस गंभीर विषय पर निश्चित रूप से इस सदन को कुछ न कुछ करना चाहिये । धन्यवाद ।

डॉ0 पी0 के0 राय–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । काफी विस्तार से माननीय लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । विभिन्न प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश की और अन्य देशों से इस देश की तुलना भी की है । निश्चित तौर पर, आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, बल्कि पूरे मुल्क की यह समस्या है और वह है जनसंख्या विस्फोट की । इसलिये अब इस बात की चर्चा होने लगी है कि जनसंख्या का स्थिरीकरण होना चाहिये। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की हालत इस देश में सबसे ज्यादा खराब है और उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में, चाहे वह जनसंख्या नियंत्रण का कार्य हो, मैटरनिटी चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम हो, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का प्रोग्राम हो और चाहे चिकित्सा सेवाओं की बात कही जाय, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे आखिरी स्थान पर है । इसके लिए कहीं न कहीं, चाहे इधर बैठे लोग हों, चाहे उधर बैठे लोग हों, कहीं न कहीं उनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी रही है । जिस किसी को भी इस बात का अवसर मिला है, कि वह नीति निर्धारित कर सकता है, इसको एक मास मूवमेंट का रूप दे सकता है तो उसमें किसी तरह की पहल नहीं हुयी है । इसलिये इतने अच्छे विषय पर जो चर्चा हो रही है, सदन को इसे गंभीरता से लेते हुये, इस पर कोई न कोई नीति बनानी चाहिये और कोई निर्णय लिया जाना चाहिये । मान्यवर, दक्षिण के प्रदेशों में हम लोग गये थे, केरल, कर्नाटक, आन्ध्र और तामिलनाडु, यह वह प्रदेश है, जो बहुत अच्छा कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं और सदन में बैठे हुए लोगों को बहुत ताज्जुब होगा कि हमारे प्रदेश में तो पुरुष नसबन्दी तो नहीं के बराबर है । लेकिन आन्ध्रा में वह एक जागरुकता का परिणाम है और मास मूवमेंट पीपुल्स पार्टीसिपेंड का परिणाम है, जिसके कारण आज भी 60 और 40 का रेशियो है । कहीं न कहीं इसका सम्बन्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ शिक्षा से भी है, साक्षरता से भी है । साक्षरता के मामले में दक्षिण के प्रदेश अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं और इसीलिए वह हमसे ज्यादा अच्छा कर गुजरने की स्थिति में हैं।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि आबादी बढ़ाई जाती है वोट की संख्या बढ़ाने के लिए, राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए । गरीब तबके के लोग जो बच्चों को ज्यादा पैदा करते हैं, वह इसलिए करते हैं कि वह बच्चों को श्रमशक्ति के रूप में देखते हैं । इस भ्रम को जब तक जनता के मन से नहीं हटाया जायेगा, तब तक परिवार को सीमित रखने के लिए हम जो कदम उठाना चाहते हैं, नहीं उठा पायेंगे । हमारे पास जितने ज्यादा बच्चे होंगे, बच्चे उतना ही ज्यादा काम करेंगे और उतना ही ज्यादा ले करके आयेंगे और हमें देंगे, यह भावना हमारे प्रदेश की जनता में पनप रही हैं । उत्तर प्रदेश में कोई भी, चाहे वह किसी भी दल का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर चाहे वह ग्राम पंचायत की बैठक हो, चाहे विकास खण्ड की बैठक हो, चाहे जिला पंचायत की बैठक हो, किसी भी स्तर पर इस विषय में चर्चा नहीं होती है । इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं, एच0आई0वी0 आदि किसी

विषय पर भी चर्चा नहीं होती है । यह आवश्यक है कि लोग जनसंख्या स्थिरीकरण और स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों के ऊपर जहां कहीं भी अवसर मिले, चर्चा करें । जब हम चर्चा करेंगे, तभी लोग चर्चा करेंगे । मैं अभी साउथ के स्टेट्स में गया था, वहां के मुख्यमंत्री रेड्डी साहब हैं, उनसे हम लोगों की वार्ता हुयी थी । मैंने वहां भी एक सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि आपका प्रदेश इतना आगे है ? और हम लोग आपसे सीखने आए हैं । तब भी यही बात आई कि सरकार किसी की भी बने लेकिन जो भी सरकार बने, उसमें एक निरन्तर प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य के प्रति चर्चा, जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रति चर्चा, एड्स नियंत्रण पर चर्चा होनी चाहिए । क्योंकि जब यहां चर्चा से शुरु होगी तब वह निश्चित रूप से सदन से गांव तक की चर्चा होगी । आज इसके लिए इच्छाशक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है । मैं आंकड़ों में न जाते हुए माननीय अधिष्ठाता जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आंकड़े जो डॉ0 बाजपेयी जी ने प्रस्तुत किये हैं, उन्हें हम स्वीकार करते हैं, उन पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है । लेकिन केवल आंकड़े दिखाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बल्कि हमें आइना देखना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, परम श्रद्धेय डॉ0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या के स्थिरीकरण के संबंध में जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । मान्यवर, पहले जनसंख्या कम थी, अगर आप कुछ पीछे जायें तो देखेंगे कि पहले घर छोटे-छोटे और कच्चे मकान हुआ करते थे और एक ही मकान में कई-कई परिवार निवास करते थे । एक सामूहिक चौपाल हुआ करती थी और उस चौपाल पर ताऊ/बाबा या कोई न कोई बैठा करता था, एक ही हुक्का होता था, सब बैठ करके एक साथ हुक्का पिया करते थे । उस हुक्के में थैलियां टंगी होती थीं और तम्बाकू लाकर उस थैली में डाल देते थे । उस समय तीन बच्चे का बाप भी अगर रास्ते से गुजर रहा है और कोई ताऊ या बुजुर्ग व्यक्ति उसकी पैछर पहिचान लें तो कहते थे कि अरे कहां जा रहा है, कौन है अगर उसने कहा कि मैं सुक्खा तो कहते थे कि पहले भर ला मेरा हुक्का। चुगल कहीं से, तम्बाकू कहीं से ला करके हुक्का भर करके देते थे कि लो ताऊ हुक्का । वह पूछते थे कि कहां जा रहे हो तो कहते थे कि खेत में काम चल रहा है, गन्ना कट रहा है या और कोई काम हो रहा है । आज एक नहीं दो-तीन या 5-6 बच्चे पैदा कर रहे हैं बल्कि दर्जनों बच्चे पैदा कर रहे हैं । वह इस उम्मीद में अगर एक नहीं रोटी देगा तो दूसरा देगा, दूसरा नहीं देगा तो तीसरा देगा, वह यह मानकर चलते हैं कि कोई न कोई रोटी दे ही देगा। हम यहां माननीय सदस्यगण बैठे हैं, अधिकारी-कर्मचारी अनुभव कर लें । आज जो स्थिति है उसमें यह है कि अगर आप शाम को खाना खाने बैठे हैं तो आप पानी रखना भूल जायें अपने 3 वर्ष के बच्चे से पानी को कहें लड़के एक-दूसरे पर टालते रहेंगे कि छोटा वाला लाकर दे देगा लेकिन वह भी नहीं लायेगा । अगर 6-7 लड़के हैं तो भी कोई सुनने वाला नहीं है लेकिन अगर कोई बिटिया सुन रही होगी तो वह पानी लाकर दे देगी लेकिन बेटा पानी नहीं देगा जिससे आस रोटी की लगाई है । इसके बारे में चिन्ता कौन करेगा, इसके बारे में क्या वह चिन्ता करेगा जो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है ? इसके बारे में आप चिन्ता करें माननीय सदस्यगण, अधिकारी/कर्मचारीगण और बुद्धिजीवी । मैं बुलन्दशहर का उदाहरण देते हुये कहना चाहता हूं, वहां पर विजय नगर है, विजय नगर में एक मकान है, उसमें कई अधिकारी/कर्मचारी रहते हैं । सुबह खेलने के समय पर मैं वहां पर गया, एक साथी ने बुला लिया । वहां जाकर देखा तो एक लहसुन छील रहा था, एक आटा गूंथ रहा था, एक सब्जी काट रहा था तो मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है, तो यह बताया गया कि

ये लोग छुट्टी जायेंगे उससे पहले अपनी पत्नी को खुश करने के लिए खाना पकाकर रख जायेंगे और लौटकर के आयेंगी तो उनकी पत्नियां नाराज नहीं होंगी। अगर सप्ताह में एक दिन नहीं तो महीने में एक दिन कम से कम अपने हाथ से खाना बनाकर खिलायें तो पत्नी खुश हो जायेगी । जनसंख्या वृद्धि के कई कारण रहे हैं, अभी रिजवी साहब बोल रहे थे । मैं बता रहा हूं लोग अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने से मना करते हैं कि उसमें ऐसी कोई दवा मिला रखी है और इसके पिलाने से बांझपन आ जायेगा । राष्ट्रीय कार्यक्रमों की अवहेलना की जा रही है । पोलियो की दवा नहीं पिला रहे हैं ।

राजा सगर के 60 हजार पुत्र थे, राजा प्रथम के 1000 रानियां थीं, गान्धारी के 100 पुत्र थे । हमारा इतिहास जनसंख्या बढ़ाने में मदद कर रहा है । इस जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए कुछ संकल्प लेने होंगे या तो सरकार कम से कम 5 साल तक शादी ब्याह पर प्रतिबंध लगा दे या फिर लोग शादी न करें । यदि कोई व्यक्ति जाता है चेकअप कराने और यह पता चलता है कि बेटी गर्भ में है तो अबार्शन करा दिया जाता है । अगर हमारी बहिनें यह सलाह कर लें या यह प्रतिज्ञा ले लें कि 10 साल तक कोई लड़का पैदा नहीं करेंगे और पैदा होगी तो लड़की होगी । मान्यवर, यह मेरे सुझाव हैं, मैं यह सुझाव आपके समक्ष देना चाहता हूं । इससे दहेज हत्यायें जो हो रही हैं वह रुकेंगी और जो बहनों को जलाया जा रहा है, मारा-पीटा जा रहा है, वह रुकेगा । आपने जो बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह बताया है कि यह हावड़ा में आने के पहले घरवाली के लिए रोटी बना के आते हैं ।

श्री मुंशी लाल गौतम–

मान्यवर, महीने में एक-दो दिन तो यह करता ही हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, हम लोग विदेश दौरे पर गए थे । माननीय बाजपेयी जी जरूर भोजन बनाते थे ।

श्री अध्यक्ष–

अगर बाजपेयी जी सुपाकी हैं तो यह प्राचीन संस्कृति के परिपालक हैं, यह अच्छी बात है ।

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, बाजपेयी जी जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए कह रहे थे । क्या वह यह चाहते हैं कि मृत्यु दर बढ़ायी जाय । जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और उसके लिए जो नए-नए इलाज, दवाइयां निकल रही हैं, उससे मृत्यु दर बहुत कम हो गई है । क्या वह मृत्यु दर बढ़ाना चाहते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि न हो । यदि ऐसा है तो वह इसको स्पष्ट कर दें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी–

मान्यवर, माननीय सदस्य इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए गम्भीर नहीं हैं । मैंने यह कहा है कि शिशु मृत्यु-दर और प्रसव के दौरान जो जो माता की मृत्यु हो जाती है उसमें कमी लाई जाय। मेरे कहने का उद्देश्य यह था । आपकी सोच निगेटिव है और मैंने पाजिटिव एप्रोच के माध्यम से जनसंख्या स्थिरीकरण की बात की है । जो प्रजनन दर आज 2.9 है उसको 2016 तक 2.1 तक लाने का हमारा उद्देश्य है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में मैं केवल 4 सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे प्रदेश में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट बना हुआ है । ज्यादातर गांव में और दूर-दराज के इलाकों में कम उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, उन शादियों में जन प्रतिनिधि वहां जाकर आशीर्वाद देते हैं तो कम से कम वह इस बात में संयम रखें और यह शादियां जिनको मैं इललीगल कहता हूं, उनमें उनको शरीक नहीं होना चाहिए । इससे ऐसी शादियों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । मान्यवर, दूसरा सुझाव मेरा यह है कि भारतवर्ष में धर्म के साथ संतति को जोड़ दिया जाता है जो जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है । मेरा मानना है कि धार्मिक भावनाओं को संतति से जोड़ना देश और प्रदेश के हित में नहीं है । यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति इस बात का प्रयास करे कि जनसंख्या में वृद्धि न होने पाए । मैं किसी जाति या वर्ग विशेष को इंगित कर यह बात नहीं कह रहा हूं ।

श्री अजीम भाई–

इनका इशारा एक वर्ग विशेष पर ही रहता है ।

श्री अध्यक्ष–

अजीम भाई कृपया बैठ जायं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में आज जब वाजपेयी जी ने बड़ी गम्भीरता के साथ यह विषय उठाया है जनसंख्या स्थिरीकरण के सबंध में जो चिन्ता उन्होंने व्यक्त की है उसका विरोध मत करें। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश में कामन सिविल कोड की आवश्यकता है । तभी जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है । तीसरी बात इस बात को सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि आज देश के अन्दर कामन सिविल कोड की आवश्यकता है । जिस परिवार में एक या दो बच्चे हैं उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि जनता को इस बात का अहसास हो सके कि अगर हम कम बच्चे पैदा करेंगे तो हमें इसका लाभ मिलेगा अन्यथा एजूकेशन के अभाव में गरीबी में परिवार बढ़ता रहता है इससे देश का अहित हो रहा है । चौथी बात मैं कहना चाहता हूं कि जूनियर हाई स्कूल से पाठ्य पुस्तकों में सेक्स एजूकेशन के बारे में शिक्षा देना आज की परिस्थितियों में अनिवार्य हो रहा है ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपके बिजनौर वाले एम0पी0 इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

श्री तिवारी जी सम्पन्न परिवार से हैं जहां पर जनसंख्या का महत्व नहीं है जनसंख्या कम हो या ज्यादा आप चाहे जितनी बढ़ाते रहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

***श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा–**

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं । जनसंख्या और विकास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । यदि जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो हम कभी भी विकास की तरफ नहीं जा पाएंगे बल्कि विनाश की तरफ जाएंगे। यदि स्वर्ग की कल्पना की गई है तो आज तक की वैज्ञानिक खोज के आधार पर किसी भी गृह पर जीवन प्राप्त नहीं हुआ है शायद मंगल गृह पर जीवन मिल जाय । यह सुन्दर धरा यदि हम समय से सचेत नहीं हुए तो जैसा कि डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने आंकड़े देकर समझाया पर्यावरण से लेकर सारी चीजों के आंकड़े दिए और बताया कि 2051 में हमारी स्थिति क्या होगी । हम सभी को चाहे पक्ष में या हों या विपक्ष में हम चिन्तन नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा । हम आने वाली पीढ़ी को इस तरह का खाज देंगे जो नई संतति भोगेगी । इसलिए यह जो प्रस्ताव रखा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए यह सामयिक प्रस्ताव है । चाइना जो विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश था और वहां पर सबसे बड़ी समस्या थी लेकिन चाइना ने एक कानून बनाकर दो बच्चों का आज अपनी जनसंख्या पर कन्ट्रोल कर लिया है । हम ऐसे राज्य में हैं, हमारे देश में उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां की जलवायु न चाहते हुए भी जनसंख्या बढ़ाती है । यह रिटेन है और डॉ0 साहब भी जानते हैं कि जलवायु का बहुत प्रभाव है । हमारे यहां 12-13 साल में लड़कियां एडल्ट हो जाती हैं और विदेशों में लड़कियां 18 साल में एडेल्ट होती हैं और इससे वे हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आगे आती हैं । यहां 12-13 साल की कन्या माता की तरह होने लगती है और उसकी शारीरिक क्षमता कम होने लगती है । यह हमारे यहां की जलवायु के कारण है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितने भी सरकारी नियम और कानून हैं उनको लागू करते हुए कुछ पेनाल्टी का भी प्राविधान करें । भ्रूण हत्या चायना में हो रही है, जिससे महिलाओं और पुरुषों की संख्या में अंतर हो रहा है । वे नियम लगा रहे हैं कि यदि भ्रूण हत्या महिलाओं की होती है तो उस डॉक्टर को जो अपने यहां भ्रूण हत्या करवाता है उस पर पेनाल्टी लगेगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि चाइना में दो बच्चों का प्राविधान है, एक दम्पत्ति का एक बच्चा हुआ और उसके बाद उसके जुड़वा बच्चे हो गये । सरकार ने अपनी तरफ से उस पर मुकदमा चलाया और 50 हजार डॉलर की पेनाल्टी उन पर लगाई । इस तरह से इतनी कठोरता के बाद वे जनसंख्या पर नियंत्रण पा सके हैं । मैं अपने जिले के एक वकील नेता की बात करना चाहती हूं, उनके 9वां बच्चा हुआ तो हमने कहा कि वकील साहब आप यह क्या कर रहे हैं ? उन्होंने कहा कि जब लालू यादव के 11 बच्चे हैं तो हमारे 12 बच्चे होंगे । हम कहां जा रहे हैं ? कैसी शिक्षा देंगे हम गरीबों को जब अमीर भी उसमें पीछे नहीं हैं । जनसंख्या नीति हमारे विकास के लिये बहुत महत्व रखती है । मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे डॉक्टर लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा रखे जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया ।

***बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–**

मान्यवर, इस सदन के वरिष्ठ विद्वान सदस्य डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी जी ने जो संकल्प रखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है जनसंख्या स्थिरीकरण का, वह बहुत ही सोच समझकर रखा है और यह प्रदेश के विकास के लिये आवश्यक है ।

(पाल साहब के कुछ कहने पर)

अभी पाल साहब कुछ कह रहे थे । बलिया बस्ती दोनों बराबर हैं उस मामले में और जिन्होंने उठाया है उसके ये अगुवा भी हैं । श्रीमन्, बहुत आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण । दूसरे सदन की बात दूसरे सदन में नहीं कहने का प्राविधान है लेकिन कल मैं विधान परिषद् में बैठा था, एक क्वेश्चन लगा था हमारा । वहां इस बात पर बड़ा बवाल हुआ कि किसी अधिकारी ने किया या नहीं किया लेकिन यह छपा था कि लाइसेंस उसी को देंगे जो नसबन्दी करायेगा । जनसंख्या का असर सीधे विकास से है । उत्तर प्रदेश की सीमा बढ़ नहीं सकती है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है । इस पर सदन ने जो चिन्ता व्यक्त की है, यह अच्छी बात है । श्रीमन् इधर संख्या देख लीजिये (सदन के अन्दर माननीय सदस्यों की उपस्थिति की ओर ध्यान इंगित करते हुए) जनसंख्या लगता है कि यहां कम हो गई है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आपको और विपक्ष को गम्भीरता से सोचना चाहिए ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आज सवेरे सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पढ़ा होगा और जब यह प्रस्ताव आने वाला था तो उनको यहां रहना चाहिए था । राजनीति और समाज सेवा के लिए भी यह बहुत जरूरी है । हम सदन में बैठे हैं, तो ऐसे विषय पर भी विचार करना चाहिए जिससे प्रदेश का विकास हो और उसमें जनता का हाथ हो । यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश का विकास जनसंख्या के बढ़ने के कारण इतना नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए और हम जनता को वह सुविधाएं भी नहीं दे पा रहे हैं जो देनी चाहिए । इसलिए वह अभावग्रस्त घोषित हो रहे हैं । लेकिन सरकार संकल्पबद्ध है सारी योजनाओं को लागू कर रही है । जिससे जनसंख्या नियंत्रण कर सकें । आबकारी सरकारी विभाग है एक माननीय सदस्य बताते हैं आबकारी से कैसे राजस्व बढ़ायेंगे यह भी कहा जाता है कि कैसे इसको रोका जाएगा। वही स्थिति हमारी भी है, जनसंख्या कम होनी चाहिए लेकिन मैं खुद जिम्मेदारी लिए हूं, ऐसी मां जो गर्भधारण किए हैं गरीब और असहाय हैं शक्ति के अभाव में उसका बच्चा उसके पेट में न मर जाए या बच्चा पैदा होते ही तत्काल न मर जाए हम पुष्टाहार देकर मां और बच्चे को जीवित रखने का प्रयास करते हैं । यह मोबिलाइजेशन से यह बात हो सकती है कानून से नहीं हो सकती है । 1975 में इमरजेंसी लागू हुई । इमरजेंसी में नसबंदी के मामले को लेकर कड़ाई हुई ।

बाजपेयी जी हंस रहे थे इतिहास रहा है हिन्दुस्तान अपनी धार्मिक परम्पराओं को मानता रहा है इसको सभी स्वीकार करते हैं । पहले उन माता और पिता को प्रोत्साहित किया जाता था सम्मान दिया जाता था जो अधिक बच्चे पैदा करते थे । तब जनसंख्या बढ़ाने की आवश्यकता थी । आज जनसंख्या को रोकने के लिए कौन से उपाय करें यह परिस्थिति है । यह प्रस्ताव चल रहा है । जैसा हमारी बहन जी ने अभी कहा ऐसे माता पिताओं को पुरस्कृत करने का काम किया जाए जो कम बच्चे पैदा करें । सरकारी पट्टे की जमीन उनको दी जाए जहां गरीबी के कारण बच्चे अधिक पैदा होते हैं । गरीबों को पट्टे की जमीन दें कोई सुविधा दें ताकि वह नसबन्दी करायें । हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से मोबिलाइजेशन

करते हैं लेकिन इस सदन में बैठे लोग चाहे किसी दल के लोग हों चाहे पार्टी के लोग हों अपने संबोधन में अपने भाषण में कोई व्यवस्था उन्होंने की है ? कि जो कार्यक्रम करेंगे उसमें इतने महीने का यह कार्यक्रम रहेगा माता पिता कम बच्चे पैदा करें इसमें राजनीतिक पार्टियां दिल नहीं लगाती हैं । जनसंख्या अभिशाप बन रही है । इसको कैसे रोका जाए यह लोगों में स्वच्छ भावना भरने से हो सकता है । आंकड़े हैं जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जो आवश्यक चीज है आप उसको लाएं मेरे जैसा आदमी चिन्तित रहता है सदन में इस तरह की चीजों पर विचार-विमर्श होना चाहिए । जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा के मामलों पर विचार-विमर्श होना चाहिए सदन इस पर विचार नहीं करता है । बाजपेयी जी आप किस पर विचार करते हैं किसने किसको मार दिया । अध्यक्ष महोदय सदन की कार्यवाही को देखें नियम 311 में या भाषण में देख लें यही सब है । बजट भाषण सब लोग बोलते हैं माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में जवाब देते हैं । वरिष्ठ सदस्य जीतकर आते हैं प्रश्न होते हैं उत्तर आ जाते हैं झगड़ा, मार-काट, डकैती, लूट पर आप विचार करते हैं । सदन उसी पर विचार करता है, कभी विचार नहीं करता कि प्रदेश का विकास कैसे होगा, शिक्षा का प्रसार कैसे होगा, अशिक्षित लोग कैसे शिक्षित होंगे, जिसके लिए हम यहां चुनकर आते हैं, कभी बहस नहीं होती । हम सभी को विचार करना होगा कि हम यहां किस लिए चुनकर आए हैं । क्या यहां पर एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए आए हैं ? यहां पर प्रदेश के विकास, जनसंख्या नियंत्रण और प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के लिए क्या करना है, यह बात होनी चाहिए । मैं बाजपेयी जी से कहूंगा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप अपना संकल्प वापस ले लें । हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर आगे बढ़ रही है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए, यह सबके मोबिलाइजेशन से होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

एक घन्टा कम्प्लीट हो गया है ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैंने सरकार के सामने चर्चा करते हुए यह बात कही थी कि जनसंख्या नीति-2000 में कुछ आवश्यक संशोधन पर सरकार विचार करेगी ? दूसरा, जनसंख्या नीति के अन्तर्गत गठित आयोग और समिति की बैठक हुई है या नहीं और इस सदन के सदस्यों का मोबिलाइजेशन नीचे गांव स्तर तक जाए, इस पर सदस्यों की सहभागिता की दृष्टि से क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

सरकार ने आश्वस्त कर दिया है कि हम इससे सहमत हैं । इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाय । इसके लिए आवश्यक है कि सभी दल के लोग बैठकर चिन्तन करें ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो दो मिनट का समय बढ़ा लिया जाए ।

(सदन की सहमति से उक्त प्रस्ताव पर चर्चा का समय दो मिनट के लिए बढ़ाया गया ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो जनसंख्या नीति-2000 बनी है, यह सरकार की नीति है और यह सही है तथा सरकार उस नीति का पालन करती है और जल्दी ही सभी दलीय नेताओं की बैठक बुलाने के उपरान्त कुछ निर्णय लिया जाएगा ।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी, आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक सुझाव आया था, आप उसको पास करा दें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

अध्यक्ष जी, मैंने इसे जिस भावना से रखा था, सरकार ने उसकी भावना से सहमति भी व्यक्त की है और आम राय भी उभर कर आई है । सरकार ने यह भी कहा है कि सभी दलीय नेताओं को बुलाकर आवश्यक जनसहभागिता के सम्बन्ध में विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

तो आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को वापस लिया हुआ मान लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष–

सभी लोग सहमत हैं ?

(सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की ।)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव की वापसी के लिए सदन सहमत है ।

(सदन की सहमति से प्रस्ताव वापसी की अनुज्ञा सर्वसम्मति से प्रदान की गई ।)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 01 मार्च, 2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 43 सूचनाएं प्राप्त हुईं--पहली सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद ललितपुर के ग्राम सेमराबुजुर्ग निवासी श्री रामेश्वर लोधी की मृत्यु के उपरान्त आरोपियों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना

डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जनपद मेरठ स्थित नौचन्दी मेले में भाग लेने वाले व्यापारियों को व्यापार कर में छूट दिये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना, श्री प्रमोद कुमार की जनपद प्रतापगढ़ की कोतवाली-नगर में आरोपों के उपरान्त भी श्री पहुप सिंह, निरीक्षक को तैनात किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना, श्री अनिल कुमार मौर्य की राजकीय कालोनी, बादशाहनगर, लखनऊ में स्थापित पानी की टंकी से सप्लाई ठीक से न होने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना, श्री जय प्रताप सिंह की जनपद सिद्धार्थनगर स्थित बांसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठी सूचना, श्री विनोद कुमार सिंह की जनपद जौनपुर स्थित तरहठी, असवाँ, काछीडीह सम्पर्क मार्ग की मरम्मत किये जाने के संबंध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर नगर की सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट को चालू कराये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना, श्री ओमप्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की जनपद सुल्तानपुर के चोरमा गांव में निर्मित सड़क के खड़ंजे को प्रशासन द्वारा उखाड़े जाने एवं अपात्र व्यक्ति को पट्टा किये जाने के संबंध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया की जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में बन्द पड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को चालू कराये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना, श्री कौशल किशोर की उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में फरूर्खाबाद से सेवा निवृत्त हुए श्री देवनाथ सिंह के जमा धनराशि एवं स्थायी पेंशन को स्वीकृत किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई तथा ग्यारहवीं सूचना डॉ0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर स्थित तमुकहीराज तहसील के विकलांगों को विगत वर्षों से पेंशन की धनराशि का भुगतान न किये जाने के संबंध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम हैं--श्री विश्राम सिंह यादव, डॉ0 पूर्णमासी देहाती, डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री नवाब सिंह नागर, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, श्री राम करन आर्य, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री लालजी वर्मा, श्री आर0 के0 सिंह पटेल, श्री रामवीर उपाध्याय, श्री मुंशी लाल गौतम, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री कालीचरन राजभर, श्री राजेश कुमार, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री रामशंकर पाल, श्री रामहेत, श्री छोटे लाल वर्मा, श्रीमती गुलाब देवी, श्री राम इकबाल सिंह, श्री अशोक सिंह चौहान, श्री दीनानाथ कुशवाहा, श्री बैजनाथ दूबे, श्री गंगा बख्श सिंह, श्री डी0 प्रसाद अहिरवार, श्रीमती माया प्रसाद, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल, श्री उदयभान करवरिया, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जगन प्रसाद गर्ग, डॉ0 अरुण कुमार मेहरोत्रा ।

बोर्ड परीक्षा के स्वकेन्द्र निर्धारण विषयक दिनांक 25 फरवरी, 2004 को नियम-56 की सूचना पर दिये गये आश्वासन के संबंध में जानकारी

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है विषय यह है कि नियम-56 में स्वकेन्द्र के संबंध में विषय उठाया था और आपने कृपापूर्वक कहा था कि शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक को बुलाकर बात करेंगे । मान्यवर, बोर्ड की परीक्षाएं प्रारम्भ हो गयी हैं और बोर्ड की बैठक आपके कक्ष में नहीं हो पाई है । आपने कहा था कि आपने शाम 6.00 बजे शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव को अपने कक्ष में बुलाया है । मेरा कहना है कि कल प्रात:काल इसका हल जरूर निकलवा दें जिसमें 46 से 90 कि0मी0 दूर परीक्षा केन्द्र बन गये थे उनका निराकरण करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उस दिन प्रयास किया था परन्तु किन्हीं कारणों से ऐसा सम्भव नहीं हो सका । अभी मैंने प्रमुख सचिव को बुलाया है और कल इस पर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा निदेशक से बात करेंगे ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के ग्राम छलेरा बांगर, नोएडा के किसानों को जमीन का मुआवजा न दिये जाने के संबंध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[गौतमबुद्ध नगर के ग्राम छलेरा बांगर, नोएडा के किसानों के जमीन का मुआवजा न दिये जाने के सम्बन्ध में एल0ए0आर0 संख्या-2/85, धीरज सिंह आदि बनाम सरकार में मा0 जनपद न्यायाधीश के निर्णय दिनांक 20-5-92 के आधार पर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 28-ए अन्तर्गत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर से मा0 जनपद न्यायाधीश के निर्णयानुसार बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किये जाने के संबंध में अनुमति दिये जाने हेतु प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ ।

प्रश्नगत प्रकरण में शासन के परामर्शी विभागों के परीक्षणोपरान्त कतिपय कमियां पाई गईं । जिसके संबंध में जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर से सूचना मांगी गयी है । जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर से सूचना प्राप्त होने पर धारा 28-ए के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण किये जाने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।]

श्री नवाब सिंह नागर–

मान्यवर, सन् 1992 में किसानों के मुआवजे के बारे में एल0आर0 का मामला तय हुआ था । आज 12 साल हो गये हैं अभी तक यहां से निर्णय नहीं हो पाया है । जो प्रस्ताव डी0एम0 ने भेजा है उसको स्वीकृति नहीं मिल पायी है । आखिर कब तक यह मुआवजा लटका रहेगा और यह डी0एम0 को कब भेजा गया ?

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, सात साल तक मुकदमा आपकी सरकार के पास रहा उसका निर्णय आप नहीं करा पाये।

(व्यवधान)

पहले पूरी बात तो सुन लीजिए । उसके बाद यह प्रस्ताव आया । यह 14-2-2001 को औद्योगिक विकास विभाग को मिला है, उसके बाद डी0एम0 गौतमबुद्ध नगर को भेजा है वहां से यह आयेगा । इसमें राजस्व विभाग और न्याय विभाग से परामर्श लिया जाता है उसके बाद निर्णय आयेगा। यह आपकी सरकार में रहा तो पहले ही आपको करा लेना चाहिए था ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री नवाब सिंह नागर–

डी0एम0 को कब भेजा गया है ?

श्री बलराम यादव–

उत्तर में स्पष्ट है आप इसको पढ़ लें ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित कृष्णा नदी में बांध बनाने की परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अवशेष बन्धों के बन्द पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

डॉ0 अशोक बाजपेयी–

माननीय सदस्य द्वारा यह सूचना दी गयी है कि समस्त पश्चिमी [उत्तर प्रदेश में जल स्तर के निरन्तर घटते स्तर के समस्या के समाधान हेतु कृष्णा नदी में बांध बनाने की परियोजना 3 वर्ष पूर्व केन्द्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी तथा केन्द्र द्वारा धन भी आबंटित कर दिया गया था । इस परियोजना से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत के लाखों कृषक लाभान्वित होंगे । प्रस्तावित 08 बांधों में से एक बांध बनकर तैयार हो गया था । जिसका विधिवत लोकार्पण भी कर दिया गया । शेष बन्धों के निर्माण हेतु करोड़ों रुपये की सामग्री क्रय कर ली गई थी, जो अभी तक प्रस्तावित बन्धों के निर्माण के स्थान पर पड़ी है । जंग खा रही है । डेढ़ वर्ष से बन्धों के निर्माण कार्य बन्द पड़े हैं । ये सब या तो राजनीतिक दुर्भावना या फिर नौकरशाही की हठधर्मी का परिणाम है कि जनउपयोगी इतनी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरु हो जाने एवं आंशिक रूप से कुछ कार्य पूर्ण हो जाने के बावजूद आगे कार्य रोक दिया गया है । स्थानीय व आम जनता में तरह-तरह की चर्चाएं तो चल रही हैं वहीं उपेक्षापूर्ण रवैये से घोर निराशा भी व्याप्त है ।

उक्त सूचना के संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में जलस्तर के निरन्तर घटने की समस्या के समाधान हेतु कृष्णी नदी के जलागम क्षेत्र के जल संभरण (वाटर रिचार्ज) हेतु केन्द्र सरकार के अनुमोदन के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा योजना स्वीकृत की गई, जिसके क्रम में तदनुसार कार्य प्रारम्भ किया गया । इस योजना के अन्तर्गत जल संरक्षण संबंधी भूमि एवं जल संभरण, उपचार के अतिरिक्त प्रारम्भ में नदी की मुख्य धारा में 12 चैक डैम प्रस्तावित किये गये थे, जिसमें से मौके पर प्राविधिक टीम द्वारा परीक्षण के उपरान्त मुजफ्फरनगर के 8 बांधों को उपयुक्त पाया गया, जिनमें से 7 की स्वीकृति मुख्यालय के तकनीकी समिति द्वारा प्रदान की गई ।

कृष्णी नदी की मुख्य धारा का चैक डैम काबड़ौत-मुजफ्फरनगर में निर्माण प्रारम्भ कराया गया । जो वर्ष 2003-2004 में पूर्ण हुआ । तकनीकी समिति के द्वारा प्रथम चैक डैम काबड़ौत की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गई थी कि नदी में बहने वाले जल को प्रदूषण मुक्त किया जाये । शेष चैक डैमों की स्वीकृति तकनीकी समिति के द्वारा इसलिये प्रदान नहीं की जा सकी, क्योंकि नदी में बहने वाले जल को लगातार प्रयास किये जाने के पश्चात भी प्रदूषण मुक्त नहीं कराया जा सका, जिसके फलस्वरूप चैक डैमों का कार्य अवरुद्ध रहा और वर्ष 2004-2005 में चैक डैमों के निर्माण हेतु कोई भी धनराशि स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अवमुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । चैक डैम के व्यतिरेक अन्य कार्यों यथा भूमि उपचार कार्य, रिसाइक्लिंग आफ ड्रेन एवं रिचार्जवेल निर्माण आदि का सम्पादन इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूर्ण कराया गया ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

निर्धारित चैक डैम के कमाण्ड एरिया में रिचार्ज होने वाले पानी का परीक्षण दिल्ली जल बोर्ड की प्रयोगशाला में दिनांक 23-8-2004 को कराया गया । परीक्षण में यह पाया गया कि काबड़ौत चैक डैम से भू-जल प्रदूषित नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप पुन: 6 चैक डैम के निर्माण की स्वीकृति तकनीकी समिति द्वारा प्रदान की गई तथा भारत सरकार को चैक डैम निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए संशोधित अतिरिक्त कार्य योजना प्रेषित की गई । जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 17-2-2005 द्वारा प्राप्त हुई । इस स्वीकृति के पश्चात इस चैक डैम के निर्माण कार्य शुरु करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है । इन चैक डैम के निर्माण हेतु पूर्व में क्रय की गई सामग्री का उपयोग भी कर लिया जायेगा।]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ तो मान लिया गया । माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पैरा-3 में कहा है कि चैक डैम में निर्माण प्रारम्भ कराया गया जो 2003-2004 में पूर्ण हुआ । इसमें जब चैक डैम का निर्माण शुरु हुआ उसमें सारा परीक्षण भारत सरकार की टीम ने कर लिया था फिर स्वीकृति जारी हुई। स्वीकृति जारी होने के बाद जब सामग्री क्रय कर ली गई तो इसमें रोक लगायी गयी यह कहकर कि प्रदूषण के मामले में परीक्षण करा ले । मान्यवर, इसका परीक्षण कराकर ही स्वीकृति जारी की गई थी। यह कहकर इसको रोका जा रहा है । कारण कुछ दूसरा है और आप जैसे प्रगतिशील मंत्री जी से हम अपेक्षा करेंगे कि इसके कारण में चले जायें और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

डॉ0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, हम इसे दिखवा लेंगे ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में कार्यरत तदर्थ चिकित्साधिकारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

मान्यवर, कार्मिक विभाग की अधिसूचना...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[दिनांक 20-12-2001 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशक, आयुर्वेद के पत्र दिनांक 25-9-2003 में चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारी के कुल 1555 पदों के विनियमितीकरण हेतु जो प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

था, उसका परीक्षण करने पर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में आवश्यक विवरण यथावश्यक वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियां, जांच की स्थिति, कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध आरक्षणवार भरे एवं उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण पूर्ण न होने के कारण तत्समय उन्हें छोड़ते हुए चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के 1051 चिकित्साधिकारियों को विनियमित किये जाने के आदेश दिनांक 27-12-2003 को निर्गत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कदाशयता के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

चूंकि तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु गठित समिति में उसकी अद्यतन चरित्र प्रविष्टियों व जांच की स्थिति पर विचार करना होता है, इसलिए ही उक्त 434 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की अद्यतन चरित्र प्रविष्टियों व जांच की स्थिति मांगी गयी है जो विद्यमान नियमों के अन्तर्गत आवश्यक है। वांछित अभिलेख/सूचनाएं प्राप्त होते ही अवशेष 434 तदर्थ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के विनियमितीकरण पर यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायेगा ।]

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, 1555 पदों पर विनियमन का शासनादेश जारी हुआ । यह शासनादेश 25-9-2003 को जारी हुआ और इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी । 27-12-2003 को एक हजार इक्यावन चिकित्साधिकारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा वाले थे उनको विनियमित किया गया, लेकिन जो आयुर्वेदिक और यूनानी निदेशालय में चिकित्सा के 434 चिकित्साधिकारी हैं उनको छोड़ दिया गया है । सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि जिन लोगों को ठीक पाया गया उनको कर दिया । तो इससे यह लगता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वाले ठीक पाये गये और आयुर्वेदिक यूनानी निदेशालय वाले ठीक नहीं पाये गये, दूसरा इनकी जो दोबारा रिपोर्ट मांगी जा रही है तो जिस तारीख से उनको प्रोन्नति दी गयी है उस तारीख से इनको भी दी जायेगी । भले ही इनका निर्णय देर से हो ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह सही है कि 1555 पद थे और उनको विनियमितीकरण करने के लिए जो सी0आर0 की जरूरत होती है । विशेष उल्लेख की जरूरत होती है और आरक्षण वाली नीति के तहत प्रमोशन करना होता है, उस स्थिति को देखते हुए 27-12-2003 को एक हजार, इक्यावन चिकित्साधिकारियों को विनियमित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं । तदर्थ कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु गठित कमेटी उनकी चरित्र प्रविष्टियों की जांच कर रही है और बहुत शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों के कुल 1555 पद थे और शासन ने 1051 सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र के अधिकारियों को नियमित कर दिया और 434 आयुर्वेदिक, यूनानी सेवा निदेशालय के जो लोग थे उनको नहीं किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय सदस्य का कहना है कि जिनकी प्रविष्टियों का परीक्षण कराया जा रहा है अगर परीक्षण में उन्हें ठीक पाया गया तो क्या उनका **उसी दिन से** विनियमितीकरण किया जाएगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, जो नियमों में आयेगा, उसी के अनुसार निर्णय ले लिया जायेगा, किसी के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय कालोनियों में स्वीकृत आवासीय मानचित्रों के पश्चात् भी व्यक्तियों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाये जाने के संबंध में श्री ओमप्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

माननीय सदस्य विधान सभा.... ।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

[श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना की नोटिस दिनांक 25-2-2005 में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दु उठाये गये हैं :--

1-लखनऊ के मोतीनगर, अमीरनगर एवं नेहरूनगर क्षेत्रों में आवासीय कालोनियों में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत आवासीय मानचित्र के विपरीत व्यवसायिक प्रतिष्ठान खोले गये हैं, जिससे आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

2-मोतीनगर चौराहे पर बड़े-बड़े प्रतिष्ठान एवं दुकानें खुल जाने के कारण सड़कों पर आवागमन बाधित हो रहा है और दुकानों के अतिक्रमण के कारण यातायात जाम की स्थिति बनी रहती है ।

3-ऐशबाग स्टेशन के सामने स्वीकृत आवासीय मानचित्र के विपरीत होटल रेस्टोरेंट आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिये गये हैं, जिससे उस क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है ।

4-लखनऊ विकास प्राधिकरण में अनेकों बार शिकायत किये जाने के उपरान्त भी प्रश्नगत आवासीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं ।

2-लखनऊ विकास प्राधिकरण से प्राप्त सूचनानुसार मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना की नोटिस में मुख्य रूप से मोतीनगर चौराहे एवं ऐशबाग स्टेशन के सामने आवासीय भवनों में व्यवसायिक प्रतिष्ठान के संचालन का उल्लेख है । मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना की नोटिस के परिप्रेक्ष्य में स्थल का निरीक्षण कराया गया । मोतीनगर चौराहे पर 06 आवासीय भवनों में उनके भवन स्वामियों द्वारा दुकानें संचालित की जा रही हैं । ऐशबाग स्टेशन के सामने 05 आवासीय भवनों में भवन स्वामियों द्वारा दुकानें संचालित की जा रही हैं । इन समस्त भवन स्वामियों को आवासीय परिसर से व्यवसायिक प्रतिष्ठान बन्द करने हेतु मौखिक रूप से सचेत किया गया है, इनके द्वारा व्यवसायिक उपयोग बन्द न किए जाने की स्थिति में इन भवन स्वामियों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)–

मान्यवर, मोतीनगर, अमीरनगर एवं नेहरूनगर समेत पांच अन्य स्थानों पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान चलाये जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि मौखिक रूप से सचेत कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप सीधे सवाल पूछें ?

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)–

मान्यवर, इन्होंने कहा है कि मौखिक रूप से सचेत किया गया, मान्यवर, इससे पहले भी शिकायत की गई थी उसके बाद भी मौखिक रूप से सचेत किया गया, इससे कोई अंकुश नहीं लगेगा। सिर्फ मंत्री जी इतना बता दें कि कब तक उन व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द करा दिया जायेगा और कब तक उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमने उत्तर में स्पष्ट लिखा है इन भवन स्वामियों के विरुद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)–

मान्यवर, मैंने जो पूछा उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, आपकी बात आ गई है, उन्होंने कह दिया है कि मौखिक रूप से चेतावनी दे दी गई है, उनको नोटिस देकर, अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)–

मान्यवर, कब तक उन पर कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्राविधान पढ़ करके पूरा सेक्शन पूछें कि किस सेक्शन के तहत क्या कार्यवाही की जा रही है ? पढ़ कर आते नहीं हैं ? खाली उत्तर पढ़ लेते हैं फिर प्रश्न करते हैं ।

जनपद फैजाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मिल्कीपुर को चालू किये जाने के संबंध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)–

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मिल्कीपुर में वर्ष 1994-

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

95 में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार द्वारा स्वीकृति एवं उक्त केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य सी0 एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम अमेठी, सुल्तानपुर द्वारा कराये जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 11 वर्ष बाद भी उक्त निर्माण एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण न किये जाने एवं जिला नुख्यालय से मिल्कीपुर को 60 कि0मी0 की दूरी के कारण ग्रामीण जनता/क्षेत्रीय जनता को चिकित्सा सुविधायें नहीं मिल पा रही हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में असन्तोष व्याप्त है । इस प्रकरण पर सदन में वक्तव्य की मांग की गयी है ।

मान्यवर, प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद का निर्माण कार्य वर्ष 1996-97 में रु0 96.78 लाख का स्वीकृत किया गया था । निर्माण कार्य सी0 एण्ड डी0 एस0 उ0प्र0 जल निगम द्वारा सम्पादित किया जा रहा है । कार्य के पुनरीक्षित लागत वर्ष 2000-01 में 117.06 लाख की लागत की स्वीकृतिप्रदान की गई । पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रु0 117.06 लाख निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध करायी जा चुकी है । निर्माण कार्य की प्रगति आख्या निम्नवत् है :--

(1) मुख्य भवन	--98% 31-03-05 तक कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा ।
(2) चिकित्साधिकारी आवास-4 नग	--95% 15-04-05 तक कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा ।
(3) श्रेणी-2 आवास-6 नग	--75% 30-04-05 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्माण इकाई द्वारा आश्वासन दिया गया है ।
(4) श्रेणी-1 आवास-6 नग	--75% 30-04-05 तक कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्माण इकाई द्वारा आश्वासन दिया गया है ।
(5) चहारदीवारी का निर्माण	--पूर्ण ।

जलापूर्ति हेतु ओ0एच0टी0 एवं ट्यूबवेल का निर्माण प्रगति पर है व निर्माण कार्य को दिनांक 15-04-05 तक पूर्ण करने का आश्वासन निर्माण एजेन्सी द्वारा दिया गया है । निर्माण एजेन्सी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के समस्त स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करके दिनांक 30-04-05 तक विभाग को हस्तगत करने का आश्वासन दिया गया है । प्रश्नगत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रियाशील किये जाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है जिस पर निर्णय लेकर शीघ्र ही आदेश निर्गत किया जायेगा ।]

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, यह निर्माण कार्य कब तक हो जाएगा ?

श्री जयवीर सिंह–

मान्यवर, एजेन्सी द्वारा यह कार्य 15 अप्रैल तक पूर्ण कर लिया जायेगा और 30 अप्रैल तक इसे हैण्ड-ओवर करने जा रहे हैं और यह सब इसी वित्तीय वर्ष में हो जाएगा ।

जनपद लखीमपुर खीरी, विकास खण्ड बिजुआ बांकेगंज, तहसील गोला के विभिन्न ग्रामों में हुई ओलावृष्टि से फसल के नष्ट होने एवं सहायता न मिलने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार दैवी आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को आपदा राहत निधि से सहायता प्रदान की जाती है, जिसके अन्तर्गत पीड़ित कृषकों की फसल क्षति पर राहत सहायता दिये जाने का भी प्राविधान है । भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार दैवी आपदा से जहां कृषि, उद्यान, वार्षिक व बारहमासी फसलों की 50 प्रतिशत या उससे अधिक की क्षति होती है वहां के लघु एवं सीमान्त कृषकों के असिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 1000/-, पूर्ण सिंचित क्षेत्रों हेतु रु0 2500/- तथा बारहमासी फसलों के लिए रु0 4000/- प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता दिये जाने का प्राविधान है । भारत सरकार के दिशानिर्देश शासन के पत्र सं0 जी0आई0 81/1-11-2003-46/96, दिनांक 11 जुलाई, 2003 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्नगत प्रकरण में ओलावृष्टि से फसलों की क्षति का सर्वेक्षण कराकर भारत सरकार के उपर्युक्त दिशानिर्देशानुसार नियमानुसार राहत सहायता वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को आवश्यक निर्देश दिनांक 25-02-2005 को भेज दिये गये हैं ।]

जनपद सिद्धार्थ नगर में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री जय प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री

(आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

[डॉ0 विनोद कुमार त्रिपाठी, चिकित्साधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बांसी जनपद सिद्धार्थ नगर एवं कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थ नगर द्वारा क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालय सिद्धार्थ नगर में ताला लगा देने की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, न ही किसी कर्मचारी/अधिकारी ने यह अवगत कराया है कि उनके वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है ।

यह सत्य है कि डॉ0 विनोद कुमार त्रिपाठी जनपद सिद्धार्थ नगर में कनिष्ठ एवं अस्थाई चिकित्साधिकारी हैं, किन्तु आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची जो शासनादेश संख्या-2807/71-2-2001-सी0 डब्लू0-11/98 दिनांक 13-8-2001 द्वारा जारी की गयी है, के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण में योजित निर्देश याचिका संख्या-920/2001 डॉ0 श्याम किशोर उपाध्याय व अन्य बनाम राज्य सरकार में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 14-6-2002 द्वारा उक्त ज्येष्ठता सूची के आधार पर क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पदों पर नियमित चयन की कार्यवाही हेतु रोक लगाई गई है, जिसके कारण स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यवाहक रूप से क्षेत्रीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के पद पर तैनाती की जा रही है । उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत डॉ0 विनोद त्रिपाठी को भी कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है । यह व्यवस्था नितान्त अस्थाई है तथा इस कार्य हेतु डॉ0 त्रिपाठी को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि का लाभ नहीं दिया जा रहा है ।

मा0 जनप्रतिनिधियों एवं मा0 विधायक श्री जय प्रताप सिंह द्वारा डॉ0 विनोद कुमार त्रिपाठी, कार्यवाहक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी सिद्धार्थ नगर के विरुद्ध प्राप्त कराये गये शिकायती पत्रों के सम्बन्ध में जांच हेतु निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या-981 सी0एम0/71-2-2004-32 स्था0/2003 दिनांक 27 जनवरी, 2005 द्वारा निर्देश दिये गये हैं । वांछित जांच आख्या में आरोप सिद्ध पाये जाने पर डॉ0 त्रिपाठी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।]

श्री जय प्रताप सिंह–

मान्यवर, वह कनिष्ठतम और अस्थायी चिकित्साधिकारी हैं और उनका मूल निवास सिद्धार्थ नगर भी है । उन्होंने अधिकांश लोगों का ट्रांसफर-चाहे वह फार्मेसिस्ट हो, क्लास फोर्थ का इम्पलायी हो, किया है और ट्रांसफर करके पैसा वसूलते हैं । उनकी जांच नहीं हो रही है और मैंने उनको वहां से हटाने का अनुरोध किया था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे अगर जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं तो जो उसमें कार्यवाही हो सकती है वह करेंगे ।

डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी–

मान्यवर, क्या शासन की नीति में किसी व्यक्ति को उसके गृह जनपद में तैनात करने का प्राविधान है ? मान्यवर, आप देखें माननीय विधायक ने उस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें की हैं और वह एक कनिष्ठ व्यक्ति है और जब उस जनपद में उससे वरिष्ठ लोग मौजूद हैं तो उसका चार्ज वरिष्ठ व्यक्ति को दिया जाना चाहिए और अगर किसी कारण से वरिष्ठ व्यक्ति की कमी है तो जो अगला व्यक्ति है उसको चार्ज दिये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी? और क्या उनको डॉक्टर त्रिपाठी को उस जनपद से हटाया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

यह सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित है, जैसा कि माननीय विधायक जी ने कहा है इनके विरुद्ध तमाम गंभीर आरोप थे और इनको कनिष्ठ से वरिष्ठ किया गया है ये वहां बहुत कनिष्ट व्यक्ति हैं क्या यहां से किसी अधिकारी को भेजकर उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी पाये जाने पर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे यह माननीय विधायक का कहना है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, सिद्धार्थ नगर एक महत्वपूर्ण जिला हो गया है । मान्यवर, आपके कक्ष में जय प्रताप सिंह जी के साथ बैठकर बात हो जायेगी और उसमें अन्तिम निर्णय ले लेंगे ।

लखनऊ स्थित टिकैतराय सचिवालय कालोनी के आवासों में सिविल अनुरक्षण का कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी सूचना पर मुख्यमंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)—

[टिकैतराय राजकीय कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग की 20 वर्ष से भी अधिक पुरानी आवासीय कालोनी है जिसमें श्रेणी-3 के 225 आवास, श्रेणी-2 के 318 आवास तथा श्रेणी-1 के 132 आवास कुल 675 आवास हैं । कालोनी में स्थित इन आवासों का अनुरक्षण कार्य राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा देखा जाता है । कार्यदायी संस्था 39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ है । इस कालोनी के अनुरक्षण हेतु वर्ष 2004-05 में रु0 8.25 लाख की धनराशि सामान्य अनुरक्षण मद में स्वीकृत की गयी है । कालोनी का अनुरक्षण कार्य एक अवर अभियन्ता तथा एक सहायक अभियन्ता की देख-रेख में सम्पादित किया जाता है । अवर अभियन्ता, प्रतिदिन प्रात: 9 बजे से सायं 5-00 बजे तक कालोनी में स्थित स्थल कार्यालय में नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं एवं सहायक अभियन्ता बुधवार तथा शनिवार को प्रात: 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक नियमित रूप से उपलब्ध रहते हैं । सामान्य अनुरक्षण के अन्तर्गत पुताई एवं छोटे-छोटे मरम्मत कार्य जैसे-खिड़कियों के शीशे, पानी की टोंटी, मच्छर जाली, प्लास्टर मरम्मत इत्यादि के कार्य कराये जाते हैं । इस वर्ष दिसम्बर 2004 तक श्रेणी-1 के 40, श्रेणी-2 के 118 तथा श्रेणी-3 के 96 कुल 254 आवासों में पुताई का कार्य कराया गया है और विशेष मरम्मत के अन्तर्गत रु0 5.67 लाख के कुल 27 आगणनों को स्वीकृत किया गया है । स्वीकृत आगणनों/कार्यों के सापेक्ष अधिकांश कार्य सम्पादित कराये जा चुके हैं । केवल आवास संख्या-आर0एस0-2/195 व 2/102 में ताला बन्द होने के कारण अपेक्षित कार्य नहीं कराये जा सके हैं ।

माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत सूचना में संदर्भित आवास संख्या-आर0एस0 2/282 एवं 2/298 में विशेष मरम्मत के कार्य हेतु रु0 19,405/- को वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है । साथ ही आवास संख्या-आर0एस0 2/290 में फर्श की मरम्मत से सम्बन्धित कार्य भी करा दिये गये हैं ।]

जनपद सन्त कबीरनगर के ग्राम जोरवापुर से होते हुए पंच पोखरी बाजार तक अधूरी सड़क को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री द्वारिका प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य परिवहन मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)—

[माननीय श्री द्वारिका प्रसाद, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23-2-05 को प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत जनपद सन्त कबीर नगर के मुख्य मार्ग एन0एच0 28 से निकलकर ग्राम जोरवापुर से होते हुए स्टेट बैंक भदाह चौराहा होते हुए पंचपोखरी बाजार तक अधूरे मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई है ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि उपरिसंदर्भित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के कि0मी0 229 से प्रारम्भ होकर पंचपोखरी बाजार तक जाती है जिसकी कुल लम्बाई 8.9 कि0मी0 है । इसमें 0 से कि0मी0 1 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा लेपित है जिसके पश्चात् कि0मी0 1 से कि0मी0 1.6 तक अर्थात् 600 मीटर खड़न्जा स्तर तक किसी अन्य विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित है । कि0मी0 1.6 से कि0मी0 3.1 तक कुल 1.5 कि0मी0 मण्डी परिषद्/क्षेत्र पंचायत द्वारा लेपित है । कि0मी0 3.1 से कि0मी0 5.6 तक कुल 2.5 कि0मी0 जिला योजना के अन्तर्गत लेपित है । कि0मी0 5.6 से कि0मी0 7.6 तक अर्थात् 2 कि0मी0 नाबार्ड-4 के अन्तर्गत स्वीकृत है जिसमें से 1.5 कि0मी0 निर्मित हो गया है । शेष 500 मीटर निर्माणाधीन है जो मार्च, 2005 तक पूर्ण हो जाएगा । कि0मी0 7.6 से कि0मी0 8.9 तक का 1.3 कि0मी0 मार्ग लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व से लेपित है

इसमें से पूर्व से लेपित 7.8 कि0मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत की आवश्यकता है । इस प्रकार 600 मीटर खड़न्जा को लेपित करने तथा शेष क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कर यातायात हेतु सुगम बनाने के लिए वर्तमान में लगभग रु0 22 लाख की आवश्यकता है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।]

जनपद इलाहाबाद स्थित शंकर घाट कालोनी, तेलियरगंज के शवदाह गृह की चिमनी को ऊंचा कराने के संबंध में डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 23 स्थगित है ।

जनपद सोनभद्र के ग्राम पड़रक्ष में वन अधिनियम की धारा-4 की कार्यवाही रोककर पट्टे के नवीनीकरण में अनापत्ति जारी न किये जाने के संबंध में श्री दीनानाथ कुशवाहा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 23 स्थगित है ।

कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक दिनांक 17 फरवरी, 2005 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं0-2 (नत्थी क)के सम्बन्ध में डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी आदि द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय वाजपेयी जी सहमत हैं इस चर्चा को चालू रखे जाने की घोषणा करने का कष्ट करें ।

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, कानपुर, इलाहाबाद तथा वाराणसी में गंगा नदी के पानी के प्रदूषण को दूर करने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नए सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक मेरे प्रश्न की सूचना पर आपने कृपा पूर्वक आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की है इसे कृपया जारी रखने का कष्ट करें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है इसकी चर्चा जारी रहेगी ।

प्रदेश में वर्ष 2004-2005 में किसानों को सूखे से हुई क्षति तथा सूखा राहत देने हेतु मानक बनाये जाने विषयक दिनांक 17 फरवरी, 2005 के तारांकित प्रश्न सं0-9 (नत्थी-'ख') के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य आदि की सूचना पर नियम-49 के अन्तर्गत निर्धारित चर्चा का स्थगन

अध्यक्ष–

मद संख्या 26 स्थगित है ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: बैठेंगे ।

इसके बाद सदन का उपवेशन सायं 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

खनऊ :
नांक 01 मार्च, 2005

उत्तर प्रदेश विधान सभा

0एस0यू0पी0-एल0 39 विधान सभा (75)-13-6-05--813 (कम्प्यूटर)।